खण्ड-230, अंक-7
शुक्रवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1884
(11 मई, 1962 ई0)

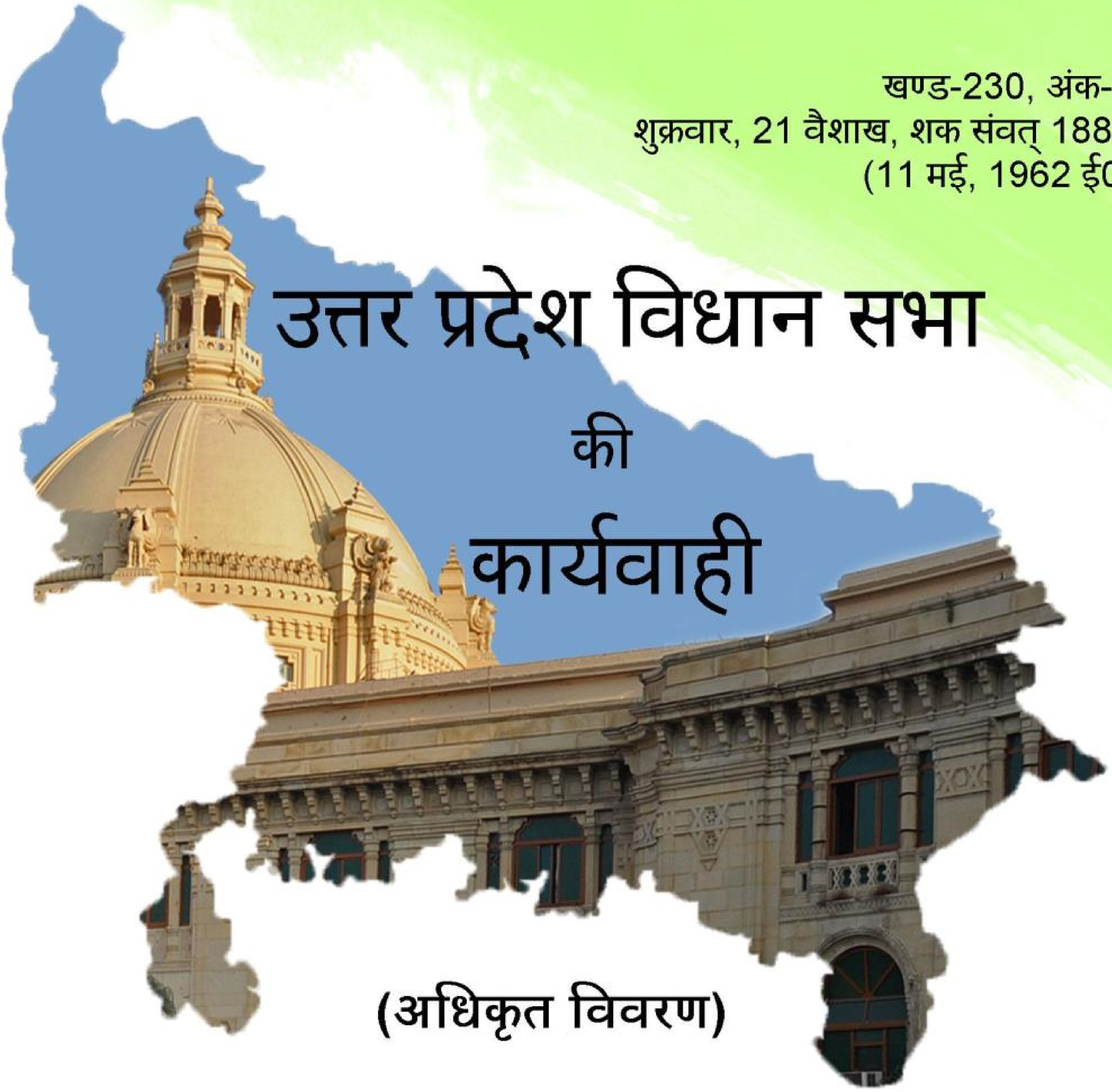

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१७–५२१
प्रश्नोत्तर	५२१–५३८
उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन सम्बन्धी लाभ और हानि के लेखों तथा स्थिति पत्रकों की आडिट रिपोर्ट (मेज पर रखी गई) ..	५३९
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५३९
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५३९
इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली का १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५३९
इंडियन बाविन कम्पनी लिमिटेड, बरेली का १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५३९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४०
नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५४०–५४१
बिजली काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५४२–५४४
लखनऊ स्थित गोमती नदी के किनारे मोहल्ला सुल्तानगंज में एक कथित मंदिर गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५४४–५४७
रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५४७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	५४८
प्रश्नों के संबंध में जानकारी (जारी)	५४८
सदन का समय बढ़ाने के संबंध में जानकारी	५४८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	५४८
सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में जानकारी	५४९
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २१–कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२–उपनिवेशन और अनुदान संख्या २३–पशुपालन तथा अनुदान सख्या ४७–कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	५४९–६०२
विभिन्न घोषणायें	६०२–६०३
नत्थी	६०४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ११ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७१

अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द्र, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखंडेराय श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतउल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रताप सिंह, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्द्र, श्री
भगवानदास, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलसिंह, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रफी खां, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजानारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअवार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्रविकल, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री

सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
सालिगराम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीतलप्रसाद, श्री
सीताराम, डाक्टर,
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ११ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बेवर टाउन एरिया में मेहतरों की हड़ताल

**१—श्री जसराम सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर में टाउन एरिया बेवर के सफाई करने वाले मेहतरों को नौ महीने से अधिक से वेतन नहीं मिला और उक्त मेहतरों ने दो सप्ताह से अधिक से हड़ताल कर रखी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? अब वहां पर हैजा शुरू हो गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—जी हां, टाउन एरिया कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा कर्मचारियों को वेतन देने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । परन्तु शासन के पास हैजा फैलने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री जसरामसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि हड़ताल की सूचना उनको कब प्राप्त हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जिलाधीश का एक तार आया जिसमें बताया है कि वहां पर हड़ताल हो गई है और उस टाउन एरिया में हड़ताल होने की वजह से गन्दगी फैल गई है, बीमारी होने का अंदेशा है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कब सूचना प्राप्त हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—८ मई को ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—मंत्री जी ने अब कोई और खबर मंगायी है कि वहां हैजा फैल गया है कि नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, इसके लिये मालूम किया गया है, जन-स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसा मालूम हुआ है कि हैजे वाली सूचना नहीं है बल्कि बुलन्दशहर के तीन गांवों में गेस्ट्रोएनट्राइटिस की बीमारी हो गई है जिसके द्वारा ८ व्यक्ति ग्रसित हुये हैं किन्तु मृत्यु कोई नहीं हुई ।

श्री जगवीर सिंह---मंत्री जी ने कहा कि तीन गांवों की खबर है । क्या मंत्री जी को इस टाउन एरिया की बाबत कुछ मालूम है कि वहां हैजा फैला या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, हैजा नहीं फैला ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---मेहतरों को तनख्वाह मिले इसके लिये सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मान्यवर, उत्तर में बताया जा चुका है कि कर्मचारियों को वेतन देने के संबंध में सरकार शीघ्र ही विचार कर रही है ।

श्री ऊदल---मंत्री जी बतायेंगे कि जो ९ महीने से वेतन नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---इसका कारण उत्तर में बताया गया है कि उसकी आमदनी बहुत कम है, उन्होंने टैक्सेज रियलाइज नहीं किये । यही वजह है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---मंत्री जी ने बताया कि इस टाउन एरिया के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? तो वह कार्यवाही कब तक हो जायगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---बहुत जल्द हो जायगी ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)---मंत्री जी ने बताया हैजा नहीं फैला, गेस्ट्रो एनट्राइटिस फैला है । तो मंत्री जी बतायेंगे कि गेस्ट्रो एनट्राइटिस और हैजे में क्या अन्तर है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस बारे में किसी ऐक्सपर्ट से पूछा जाय, वही माकूल जवाब दे सकता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेहतरों ने जो हड़ताल की और उसके पहले जो उन्होंने मांग पेश की, उनमें से प्रमुख मांगें क्या क्या थीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है कि टाउन एरिया का जो उत्तरदायित्व है उसे वह पूरा नहीं निर्वाह रहा है । इसलिये उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह वेतन दे सकता । इसलिये कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी । इस पर सरकार उस टाउन एरिया को कुछ अनुदान देने पर विचार कर रही है ।

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)---जब टाउन एरिया की परिस्थिति इतनी खराब हो गयी है तो क्या सरकार ने उसे सुपरसीड करने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, टाउन एरिया की परिस्थिति से सरकार पूरी तरह से अवगत है । इसके संबंध में काफी सूचना आ चुकी है । आशा है कि शीघ्र ही संतोष-जनक कार्यवाही हो जायगी ।

इलाहाबाद-बांदा सड़क पर श्री शिवमंगलसिंह तथा श्री श्रीनाथ का शव कार में मिलना

**२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी), श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) तथा श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार को पता है कि २६ अप्रैल सन् १९६२ को इलाहाबाद में जसरावारा सड़क पर एक कार में दो शव, एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री नाथ जी का व दूसरा भूतपूर्व विधायक शिव मंगल सिंह, मथुरा का, पाया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा इनकी हत्या का कारण क्या है ? इसमें अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां, दिनांक २७-४-१९६२ को इलाहाबाद-बांदा सड़क पर एक कार में उक्त व्यक्तियों के शव प्राप्त होने की सूचना मिली, थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की व मुकदमा धारा ३०२ आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज किया गया । घटना की जांच हो रही है । जब तक जांच समाप्त न हो जाय तब तक हत्या का कारण बताना संभव नहीं है । अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ ।

श्री झारखंडे राय—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि ये दोनों शव जो प्राप्त हुये हैं ये आत्म-हत्या के फलस्वरूप हुये हैं या हत्या के ?

श्री नवलकिशोर—जब मुकदमा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया है तो यह बिलकुल स्पष्ट है कि प्राइमाफेसी मालूम होता है कि मर्डर का केस है और आत्म-हत्या की बात समझ में नहीं आती । फिर भी स्पष्ट रूप से कहना कुछ संभव नहीं है ।

श्री कृष्णचन्द्र—क्या माननीय मंत्री पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे, यदि दोनों लाशों का पोस्ट मार्टम हो गया है तो ?

श्री नवलकिशोर—दोनों का पोस्ट मार्टम हुआ है । जहां तक कि शिवमंगल सिंह की मृत्यु का संबंध है उसके अन्दर उन्होंने यह लिखा है कि इसका कोई कारण मालूम नहीं हो सका । जहां तक दूसरी लाश का संबंध है उसका गला कटा हुआ था और उसकी कनपटी में गोली भी लगी हुई थी ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या यह सत्य है कि यहां भूतपूर्व विधायक, जिनकी हत्या की गयी है उनकी हत्या का संबंध किसी दूसरे भूतपूर्व विधायक से है ?

श्री नवलकिशोर—वह जो कार थी, जो खाई के अन्दर गिर पड़ी थी, उसके संबंध में कुछ लोगों से पता ऐसा लगता कि ८ बजे के करीब इसका पहला एक्सीडेंट हुआ था । जिस समय एक्सीडेंट हुआ तो उधर से उस समय कोई ट्रक जा रहा था । उसके आदमियों ने उसको खाई में से निकाला और मालूम यह पड़ा कि शिवमंगल सिंह साहब के साथ एक आदमी और था । दूसरे साहब कौन थे यह पता अभी तक नहीं चल सका । हुलिया से मालूम होता है कि वह श्री बद्रीनारायण मिश्र भूतपूर्व एम० एल० ए० थे । लेकिन जब तक कोई गिरफ्तार न हो और कोई आइडेंटिफिकेशन इस्टैब्लिश न हो, तब तक यह बतलाना कि वह कौन है कठिन होगा ।

श्री झारखंडे राय—अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ, यह जवाब तीन-चार दिन पहले का है और परसों या नरसों भूतपूर्व विधायक श्री मिश्र गिरफ्तार हो चुके हैं, यह बात क्या सही है ?

श्री नवलकिशोर—इसकी मुझे सूचना नहीं है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस मामले के संबंध में अब तक कुछ लोगों के खिलाफ वारंट जारी किये गये हैं ?

श्री नवलकिशोर—चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, और सी० आई० डी० इसकी जांच कर रही है, इसलिये इससे आगे बतलाना मेरे लिये कठिन है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—जिस कार में दोनों शव प्राप्त हुये थे वह कार किस की थी और कहां पाई गयी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैंने यह बतलाया कि ये जो दो शव थे उनमें एक श्री शिवमंगलसिंह, जो भूतपूर्व एम० एल० ए० थे, उनका था और दूसरा श्रीनाथ, जो रिटायर्ड जज थे, उनका था।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि वह कार किसकी थी ?

श्री नवलकिशोर—वह गाड़ी शिवमंगल सिंह के नाम में रजिस्टर्ड थी।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी के पास इस बात की भी सूचना है कि जो लोग मरे हुये पाये गये हैं उनका किसी स्मगलिंग गिरोह से संबंध था और ये आज-कल स्मगलिंग का काम करते थे ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि पुलिस के पास ऐसी सूचना है कि श्रीनाथ जी जिनके पास काफी जायदाद थी उनकी जायदाद हड़पने के लिये इन लोगों ने इकरारनामा पूरी जायदाद का लिखवा लिया था और दोनों इनकी लाश को फेंकने जा रहे थे कि रास्ते में ऐक्सीडेंट हो गया।

श्री नवलकिशोर—अभी तक जो हमको सूचना मिली है उसमें इतना अवश्य है कि श्रीनाथ जी ने शिवमंगल सिंह को अपनी एटार्नी पावर दे दी थी और यह बात सही है कि उनके पास काफी धन था और करीब १ लाख से अधिक रुपया कैश उनका बैंकों में जमा था।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो रिटायर्ड जज श्रीनाथ जी थे—उनके कोई वारिस नहीं था ?

श्री नवलकिशोर—यह सूचना तो मेरे पास स्पष्ट नहीं है लेकिन जब एटार्नी पावर उन्होंने दी किसी व्यक्ति को, उससे स्पष्ट होता है कि उनके कोई वारिस नहीं होगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्रीजी के पास अथवा विभाग के पास इस बात की भी सूचना है कि जो दो शव प्राप्त हुये श्री नाथजी और शिवमंगल सिंह जी के और श्री मिश्राजी, इन तीनों का संबंध हस्तिनापुर के किसी ऐसे फार्म से भी रहा है जो कई हजार एकड़ का है और जिसके हिसाब का बहुत गोलमाल चल रहा है ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र—माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन घटना हुई उस दिन कितने आदमी उस कार में यात्रा कर रहे थे ?

श्री नवलकिशोर—उस कार के अन्दर केवल तीन व्यक्ति थे।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इन दोनों सज्जनों का हिन्दी विद्यापीठ जो इलाहाबाद का है वहां मर्डर किया गया और वहां से कार में लाद कर लाश को फेंकने जा रहे थे ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि अभी तो जांच हो रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री नरसिंह नारायण—[२४ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

देवनपारा ग्राम में आग लग जाना

*२—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि ग्राम देवनपपरा, परगना पच्छिम राठ, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद की आबादी में ८ अप्रैल, १९६२ के आस पास आग लगी और आबादी के सभी सामान जल गये ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—ग्राम देवनपपरा नहीं अपितु देवनपारा में आग लगी थी और जिससे १२ परिवार प्रभावित हुये थे जिनमें से सर्वश्री रामजस और रामदेव के रहने के फूस से छाये मकान जल गये। शेष १० परिवारों के बरदौर, बाहर की झोपड़ियों, ईंधन और गृहस्थी की अन्य चीजें जल गई थीं। ये दसों परिवार कृषक वर्ग के थे और उनकी रबी की फसल का अनाज बिलकुल बच गया था।

*३—श्री हरिनाथ तिवारी (अनपस्थित)—यदि हां, तो उसके कारण कितनी क्षति हुई और ग्राम निवासियों को क्या सहायता सरकार की ओर से पहुंचाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अग्निकांड से अनुमानतः २७ सौ रुपये की क्षति पहुंची। प्रभावित परिवारों में से २ को २५ रु० प्रति परिवार अहेतुक सहायता के रूप में दिये गये तथा बाकी १० परिवारों को ऐसी क्षति नहीं पहुंची थी कि उन्हें सहायता की आवश्यकता होती। इन दसों परिवारों में रबी की फसल का अनाज भी सब बच गया था।

[११ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले में प्रवरकोटि के लेखपाल

*१—श्री रामसुन्दर—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल सेवा नियमावली, १९५८ के नियम ११ (क) के मुताबिक आजमगढ़ जिले के कितने लेखपालों को इस समय प्रवर कोटि में रखा गया है तथा उन्हें उक्त नियम के मुताबिक वेतन मिलता है कि नहीं ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—१०२ लेखपालों को प्रवर कोटि में रखा गया है। उन्हें नियमानुसार प्रवर कोटि का वेतन भी मिल रहा है।

श्री रामसुन्दर—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साधारण लेखपाल और प्रवर कोटि के लेखपाल के वेतनों एवं कार्यों में क्या अन्तर है ?

श्री बृजबिहारी—साधारण लेखपालों में जिनकी सर्विस १० साल की हो जाती है और काम भी अच्छा होता है उनको प्रवर कोटि के लेखपालों में रख दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी साधारण लेखपालों और प्रवर समिति कोटि के लेखपालों के वेतन बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—साधारण लेखपालों का वेतन ३५–१–४०–द० रो०–१–४५–द० रो०–१–५०–द० रो०–१–५५ रुपये और प्रवर कोटि के लेखपालों का वेतन ५५–२–६५ रुपये होता है।

दोहरीघाट, अयोध्या तथा मऊनाथ भंजन पुलों की निर्माण प्रगति

*२—श्री रामसुन्दर—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू एवं टौंस नदी पर बनने वाले पुल जो क्रमशः दोहरी घाट, अयोध्या तथा मऊ नाथ भंजन में बनेंगे उनके निर्माण की प्रगति क्या है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—इन पुलों पर निर्माण कार्य की प्रगति निम्नलिखित है:—

	प्रतिशत
(क) अयोध्या में सरयू नदी पर पुल	१४
(ख) मऊनाथ भंजन में टोंस नदी पर पुल ..	७०
(ग) दोहरीघाट में घाघरा नदी पर पुल	यह कार्य राष्ट्रीय मार्गों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अयोध्या में पुल बनने का जो कार्य हो रहा है उसमें १४ प्रतिशत निर्माण कार्य हुए हैं, उनमें कौन कार्य हो रहे हैं ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, इस पुल में २२ कुयें गलाने हैं जिनमें से १० के गलने का काम चल रहा है ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायंगे कि दोहरीघाट पर जो पुल बनाने के लिये विचाराधीन है उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में न लिये जाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)—श्रीमन्, इसका कारण धनाभाव है ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना का सर्वेक्षण करा के और तखमीना बनवाकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रदेशीय सरकार से केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया । लेकिन प्रदेशीय सरकार द्वारा जोर नहीं डाला गया इसलिये नहीं लिया गया तीसरी योजना में ?

श्री गिरधारीलाल—जहां तक जोर डालने की बात है वह तो अलग चीज है लेकिन यह ठीक है कि इस पुल के बनाने के लिये काफी विचार किया गया और कोशिश की गई कि इसको दूसरे प्लान में रखें । लेकिन उस समय काफी फाइनेंशियल स्ट्रिन्सी थी और नेशनल हाई वेज में जरूरी पुल बनाने थे और इस पुल की कास्ट १ करोड़ ४० लाख रुपये आती थी । इसलिये इसको नहीं लिया जा सका । अब एक पंटून ब्रिज की योजना ली जा रही है वह जल्द लागू हो जायगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे की दूसरी योजना में इस पुल के लिये ८५ लाख की योजना बनाई गई थी और राज्य सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था ? यदि हां, तो इसको क्यों रद्द कर दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—जहां तक नेशनल हाई वेज का संबंध है उसमें हमारी स्वीकृति से काम नहीं चलता जब तक केन्द्रीय सरकार स्वीकार न करे तब तक नहीं बनेगा । यह ८५ लाख के बजाय १ करोड़ ४० लाख रुपये की योजना थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतयेंगे कि जब पुल निर्माण की बात इस योजना में नहीं है तो पुल से संबंधित सड़क के लिये किसानों की जमीन डिमार्केशन करके क्यों ले ली गई है ?

श्री गिरधारी लाल---सड़क का जहां तक सम्बन्ध है सड़क तो है ही। जब तक पुल नहीं है तब तक किश्तियों के जरिये किसी न किसी तरह से लोग पार करते ही हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---मैंने सवाल किया था कि जब पुल इस पंचवर्षीय योजना में है ही नहीं तो किसानों की जमीन नयी सड़क के लिए क्यों ले ली गयी और उसका डिमार्केशन करके क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री गिरधारी लाल---इसकी मुझे कोई इत्तला नहीं है। नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'क' और 'ख' स्थानों पर जो पुल बनाने की योजना है उस पर कुल कितने रुपये का तखमीना बनाया गया ?

श्री गनेशीलाल---जो 'क' स्थान पर पुल की योजना है वह ११६.८० लाख रु० की है और 'ख' स्थान पर जो पुल बनेगा उसकी १२ लाख ४८ हजार ८ सौ रु० की योजना है।

*३---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---[२५ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*४---हरीशकुमार गंगवार---[२४ मई १९६२ को लिए प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५---श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)---[हटा दिया गया]

मूसाडीह के भूमिहीनों का प्रार्थना-पत्र

*६---श्री रामसुन्दर---क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत ग्राम मूसाडोही के ९३ किसानों के हस्ताक्षर से ४ सितम्बर, १९६१ का भेजा हुआ प्रार्थना - पत्र उन्हें और जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें बसने के लिये जमीन की मांग की गयी है ?

श्री बृजबिहारी---जिला आजमगढ़ के ग्राम मूसाडीह के निवासियों का दिनांक ४-९-१९६१ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ।

श्री रामसुन्दर---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रार्थना-पत्र पर सरकार की ओर से कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बृजबिहारी---मूसाडोही गांव में जहां पर जमीन कटगयी थी वहां पर उनको बसाने के लिए व्यवस्था की गयी और जमीन भी एक्वायर कर ली गयी तीन गांवों में। किन्तु वहां के निवासियों ने ऐडीशनल कमिश्नर के यहां प्रार्थना-पत्र दे दिया है। वह स्टे हो गया है, वरना बसा दिया गया होता।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---बाढ़-कटान की समस्या को देखते हुए और यह देखते हुए कि पूर्वी जिलों में व्यापक आवश्यकता इस बात की है कि भूमिहीनों को बसाया जाय, क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि कमिश्नर के स्टे आर्डर को रोक कर व्यापक योजना बनायी जाय भूमिहीनों को बसाने के लिए ?

श्री बृजबिहारी---यह तो कानूनी प्रश्न है। जिसको अपील करने का अधिकार होगा उसको कैसे रोक सकते हैं ? वह अपील करेगा।

श्री रामसुन्दर—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने परिवार ऐसे हैं जो घाघरा कटान से पीड़ित हैं और उन्हें बसाने के लिए कुल कितनी जमीन एक्वायर की गयी है ?

श्री बृजबिहारी—ग्राम मूसाडोही के तीन पुरवे, टेंगन सिंह का पूरा, मंगल सिंह का पूरा और नोनिया पूरा, इस साल घाघरा नदी के कटाव से प्रभावित हुए हैं। टेंगनसिंह के पुरवे के ७, मंगल सिंह के पुरवे के ३६ तथा नोनिया पूरा के ६६ परिवारों के मकान कट कर बरिया घाघरा के उदर में चले गये। टेगन सिंह का पूरा तथा नोनिया पूरा के प्रभावित परिवारों के बसने के लिए ग्राम परसिया में ५,११४ एकड़ भूमि ली गयी है। गजट भी हो चुका है, परन्तु परसिया व चौहानपुर के संबंधित खातेदारों ने ऐडीशनल कमिश्नर महोदय, गोरखपुर के यहां अपील कर दी है और अतिरिक्त कमिश्नर महोदय, गोरखपुर के आदेशानुसार कार्यवाही स्थगित है।

श्री रामसुन्दर—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटान पीड़ित परिवारों को इस वक्त किस स्थान पर बसाया गया है, क्या यह सही है कि उनके बसने के लिए जमीन नहीं है और न घर वगैरह हैं ?

श्री बृजबिहारी—इस समय नोनियापूरा के २० परिवार बांध पर और शेष बांध के दक्षिण लगी हुई बाग में अस्थायी रूप से आबाद हैं। इसी प्रकार आस पास केबागों में टेंगनसिंह के पूरा वाले भी अस्थायी रूप से आबाद हैं। मंगल सिंह के पूरा वाले गजियापुर ग्राम की एक बाग में अस्थायी रूप से आबाद हैं। इन परिवारों के मकानों के लिए सरकार द्वारा लकड़ी आदि की व्यवस्था भी कर दी गई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—इस अहम समस्या को देखते हुए कि कटाव वहां की एक मुख्य समस्या हो गई है पूरबी जिलों के लिए और जमीन की समस्या कानूनी अड़चनों की वजह से बहुत दिक्कत तलब हो रही है, तो क्या सरकार जो मार्केट वैल्यू है जमीन की उन गांवों में उस वैल्यू के आधार पर जमीन की कार्यवाही करने का कोई आश्वासन देगी ?

श्री बृजबिहारी—जमीन एक्वायर जो की जाती है उसके नियम बने हुए हैं। उसी नियम के अनुसार उनको मुआवजा देना पड़ता है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि तीनों पुरवों में कटे हुए जो परिवार हैं उनको मकान आदि की सुविधा देने के लिए कितनी रकम की लकड़ी और फूस या अन्य सामान दिया गया ?

श्री बृजबिहारी—इस रकम का तो इसमें कोई पता नहीं चलता है। अगर माननीय सदस्य सूचना चाहेंगे तो मंगाकर दे दी जायगी।

वाराणसी में शिवपुर रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने की मांग

*७—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी में शिवपुर में रेलवे क्रासिंग पर घंटों रोडवेज की बसों, ट्रकों, कारों तथा ऐरोड्रम की बसों तथा कारों को रोजाना घंटों रोकना इसलिये पड़ता है कि रेलवे का फाटक रेलगाड़ियों के आने-जाने से बन्द रहता है ? क्या सरकार उपरोक्त स्थान पर (ओवर ब्रिज) ऊपर से पुल बनाने का विचार कर रही है, यदि हां तो कब तक ?

श्री गनेशीलाल—प्रथम खंड—जी नहीं।

द्वितीय खंड—पुल का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में संभव नहीं है।

*८—श्री ऊदल—क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक केन्द्रीय सरकार से भी कोई लिखा पढ़ी या बातचीत की है यदि हां, तो क्या ?

श्री गनेशीलाल—राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचित किया कि धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में संभव नहीं है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह लिखा था कि अगर उस स्थान पर पुल बनाया जाय तो केन्द्रीय सरकार २/३ हिस्सा व्यय का भार वहन करेगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से क्यों रुपया नहीं लिया ?

श्री गिरधारीलाल—२/३ तो नहीं बल्कि कुल कास्ट जितनी होती है वह सब प्रदेश की सरकार को वहन करना होगा। जितना काम उनका है, उसका खर्च रेलवे की मिनिस्ट्री मीट करेगी। जहां तक हमारी बात है जैसा अभी कहा, हमारे पास और सड़कें और दूसरे स्थानों पर पुलों की इतनी जरूरत है कि इस समय इस काम को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह भी लिखा था कि इस पुल का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हो जाना चाहिए। यदि हां, तो अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो गई और तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए भी कहा जा रहा है कि उसमें भी संभव नहीं है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो मैं पहले ही बतला चुका हूं कि उनकी फ्री ट्रैफिक में कुछ न कुछ अड़चन पड़ती है, लेकिन, जैसा पहले कहा गया, हमारे पास और ज्यादा जरूरी काम हैं जहां पर कि सीमित धन जो हमारे पास है उसे लगाने की जरूरत है, जिसके कारण हम इस बोमर ब्रिज को बनवाने में असमर्थ हैं। कहीं से केन्द्रीय सरकार अगर लोन वगैरह दे दे तो हमें उसे बनवाने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री ऊदल—क्या सरकार पुनः केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करेगी कि एयरो ड्रोम वहां से दूर पड़ता है इसलिए केन्द्रीय सरकार की गाड़ियां भी और राज्य सरकार की बसें इत्यादि वहां डेढ़ डेढ़ घंटे रुकी रहती हैं, तो इस आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से उस पुल के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में रुपया देकर उसे बनवाने के लिए सिफारिश करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो हम लोगों की बातचीत हमेशा चलती रहती है। जैसा कि मैंने आपसे बतलाया, इस काम के लिए वह हमको विशेष रूप से कुछ ग्रान्ट या लोन वगैरह दे दें तो हम उसको बनवा देंगे। जहां तक गाड़ियों के रुकने की बात है कि डेढ़ डेढ़ घंटे वह रुकी रहती हैं तो एक महीने का सेन्सस मेरे पास है, डेढ़ घंटे कोई गाड़ी वहां नहीं रुकी। ३५ मिनट और ४० मिनट ज्यादा से ज्यादा रुकी हैं।

श्री ऊदल—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि क्या सरकार फिर से केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर यह दिया है कि सीमित साधन हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत करते रहते हैं और मिलेगा तो ले लेंगे।

कुंवर श्रीपाल—मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार का ऐसा विचार है कि केन्द्रीय सरकार के नोटिस में इस बात को लाये कि इसका बनाना बहुत जरूरी है ?

श्री अध्यक्ष—उनका आशय है कि क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से स्पेशल रिक्वेस्ट करने के लिये तैयार हैं।

श्री गिरधारीलाल—जहां तक यह बात है, बराबर हमारी रिक्वेस्ट उनके पास गई है और उन लोगों ने हमरी इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया है। जब भी ऐसा मौका फिर मिलेगा तो उनके नोटिस में फिर लायेंगे।

श्री नरसिंहनारायण—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात को देखते हुये कि केन्द्रीय सरकार बराबर प्रान्तीय सरकार को लिखती आरही है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिये कोई स्कीम भेजी जाय लेकिन प्रान्तीय सरकार अपनी स्कीम उनके पास नहीं भेज पाती है, तो उन आवयक स्कीमों को केन्द्रीय सरकार के पास भेजेंगे ताकि ये जरूरी काम पहले पूरे किये जा सकें ?

श्री गिरधारीलाल—मैं तो बारबार इस बात को बता चुका हूं। वास्तव में हमारा पूरा प्लान ५० करोड़ का था लेकिन वह सब कट कर १८ करोड़ का रह गया। १५,१२ करोड़ रुपया जो हमारे पुराने वर्क चल रहे हैं उनमें लग रहा है। अब ५ करोड़ जो बचा है वह हम बहुत जरूरी कामों में लगाना चाहते हैं। इस वजह से ऐसे कार्यों पर खर्च करने का विचार नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा लोन या ग्रान्ट मिलेगी तो तब हम बड़ी खुशी से बना सकेंगे।

*९—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०—**श्री कमलासिंह यादव**—[स्थगित]

*११—**हरीशकुमार गंगवार**,—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य पर टिड्डी आक्रमण

*१२—**श्री वेदराम** (जिला एटा), **श्री हरीशकुमार गंगवार** तथा **श्री बसन्तसिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, १९६१, जनवरी, फरवरी व मार्च, १९६२ में प्रदेश के किन-किन जिलों में टिड्डियों ने आक्रमण किया, कितनी क्षति हुई ? टिड्डियों को मारने के लिए क्या कदम उठाये गये तथा क्षतिग्रस्त लोगों को क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अवधि में प्रदेश के ३९ जिलों में टिड्डीदल ने आक्रमण किया, जिनकी सूची संलग्न है।

फसलों को हुई क्षति का निर्धारण किया जा रहा है। टिड्डियों को कीटाणु नाशक औषधियां छिड़क कर, जलाकर, और पीट कर नष्ट किया गया। टिड्डियों के अंडों व बच्चों को प्रभावित भूमि को जोत कर खेतों में पानी भर कर और कीटाणुनाशक औषधियां छिड़क कर नष्ट किया गया।

क्षति निर्धारित हो जाने पर यदि आवयकता हुई तो मालगुजारी में नियमानुसार छूट आदि दी जायेगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०४ पर)

*१३—**श्री वेदराम, श्री हरीशकुमार गंगवार** तथा **श्री बसन्तसिंह** (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*१४—**श्री वेदराम श्री हरीशकुमार गंगवार** तथा **श्री बसन्तसिंह** (अनुपस्थित)—[८ मई, १९६२ में प्रश्न ३१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१५—श्री खुशी राम (जिला पिठौरागढ़)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६—श्री ऊदल—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७–१८—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९–२०—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

खलिहान की भूमि के सम्बन्ध में नचना ग्राम से प्रार्थना-पत्र

*२१—गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना राम नगर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम नचना के किसान जहां खलिहान लगाते थे उस भूमि कि गुड़ाई करके बो लिया गया है और इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २ मार्च सन् १९६२ को हाकिम तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बृजबिहारी—जी हां, इस प्रार्थना-पत्र पर हाकिम तहसील को कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था ।

श्री गिरजाप्रसाद—इस प्रार्थना-पत्र में क्या क्या-मुख्य बातें लिखी हुई थीं ?

श्री बृजबिहारी—असल में जिस भूमि के संबंध में यह प्रश्न किया गया है वह गासिब के कब्जे में है । उसी को वह चाहते थे कि उनको इजेक्ट करके, जो खलिहान लगता था उसी खलिहान के लिये उसको कर दिया जाय । कानूनन यह भूमिधर की आराजी थी । उस पर ट्रेसपासर काबिज था । कानून के अनुसार हमको कोई अधिकार नहीं है कि ट्रेसपासर को इस तरह से बेदखल कर दिया जाय । ला कोर्ट में उसके लिये दावा होना चाहिये ।

श्री गिरजाप्रसाद—उस भूमि में कितने वर्षों से खलिहान लगता है ?

श्री बृजबिहारी—खलिहान की मुद्दत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह सही है कि उसमें खलिहान लगता था ।

श्री गिरजाप्रसाद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर कई वर्षों से खलिहान लगता रहा, वह भूमि गांव समाज की नहीं है ?

श्री बृजबिहारी—गांव समाज की भूमि नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसमें भूमिधर का नाम दर्ज है और दूसरे ट्रेसपासर का नाम भी दर्ज है ।

श्री नरसिंहनारायण—ट्रेसपासर का नाम कैफियत के खाने में दर्ज है या दूसरे खाने में दर्ज है ?

श्री बृजबिहारी—यहां खतौनी तो मेरे पास है नहीं । माननीय सदस्य चाहेंगे तो बता सकता हूं, लेकिन उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । वैसे जो सूचना मेरे पास आई है उसके अनुसार ट्रेसपासर में दर्ज है और वह खाना कैफियत का होगा, ऐसा समझा जाता है ।

श्री उग्रसेन—क्या श्रीमान्, आप इसकी व्यवस्था करेंगे कि जब सब खसरा खतौनी आदि कागज वे मंगवा लें, तब यहां पर उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं हो सकता ।

श्री कमलासिंह यादव—जब ट्रेसपासर ने उसको जमीन जोता बोया नहीं तो ट्रेसपासर की हैसियत से इन्दराज कैसे हुआ, यह मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उत्तर अदालत ही देगी। उनके पास जो रिपोर्ट है वह उन्होंने दे दी है।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेसपासर का जो नाम दर्ज किया गया है उसके नाम के सामने किसी फसल का इन्दराज है या खलिहान दर्ज है ?

श्री बृजबिहारी—जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें यह लिखा है—

"Sri Ram Autar and others are recorded as tress passers over the land in questions in the Khataunis for the year 1366 and 1367."

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि वह कैफियत मे दर्ज नहीं है, उनका नाम एक खाता खतौनी में खोला गया होगा ।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—१३६८ और६९ में किसका नाम दर्ज है ?

श्री बृजबिहारी—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि खाली कागज में नाम है, लेकिन मौके पर खलिहान लिखते रहे हैं ? अगर सही है तो क्या वे दफा २१२ के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश प्रदान करेंगे कि वे उसे बेदखल करके गांव समाज को दे दें ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उत्तर दे दिया है कि उसमें भूमिधर का नाम दर्ज है और जब तक यह नाम दर्ज है वह गांव समाज की भूमि नहीं समझी जायेगी। वह तो भूमिधर ही कार्यवाही अब कर सकता है, दूसरा नहीं।

*२२-२४—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६—**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये]

*२७—**श्री रामसुन्दर शास्त्री**—[हटा दिया गया ।]

पलिया-घौरहरा सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*२८—**श्री रामचरण शाह**—क्या सरकार जिला खीरी की तहसील निघासन में पलिया से घौरहरा तक की सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पक्की करने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री गनेशीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—मैं इस उत्तर के सम्बन्ध में यह निवेदन कर दूं कि इस तरह से उत्तर देना कि 'प्रथम भाग' या 'दूसरे भाग' कह कर जवाब देने से माननीय सदस्यों की समझ में नहीं आ सकता है। अगर उसकी जगह पूरा जवाब दिया जाय तो वह सदन की समझ में आ सकता है।

श्री रामचरण शाह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निघासन तहसील में एक ही सड़क है और आधी सड़क पलिया से निघासन तक नेशनल हाईवेज में आयी है, तो क्या उसके बनाने की योजना है ?

श्री गनेशीलाल--योजना तो है ही।

श्री रामचरण शाह--इसके दो महीने पहले उस सड़क का सर्वेक्षण कराया गया है?

श्री गिरधारीलाल--प्रोग्राम में है, हो सकता है कराया गया हो।

श्री रामचरण शाह--पलिया और तहसील निघासन में यह एक मात्र सड़क है और करोड़ों रुपये का आवागमन है, तो पंचवर्षीय योजना के अलावा इसको बनाने का विचार और किसी योजना में रखा जा सकता है या नहीं?

श्री गिरधारीलाल--पंचवर्षीय योजना में तो प्रोग्राम निर्धारित मदों का है, इस सड़क को बनाने का मंशा सेंट्रल रोड फंड से है। प्रश्न कर्ता ने कहा था कि यह नैशनल हाईवेज है, लेकिन यह प्राविंशयल सड़क है। इसके लिये सेंट्रल फंड से रुपया मांग रहे हैं, ६-७ महीने से बात चीत कर रहे है। रुपया आने पर काम चालू कर पायेंगे।

राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जीवन के विशिष्ट लोगों की मूर्तियां स्थापित करने का सुझाव

*२९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अंग्रेजों की जो मूर्तियां हटाई गयी थीं उन स्थानों पर दूसरी मूर्तियों को रखने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उन स्थानों पर किन-किन लोगों की मूर्तियां कहां रक्खी जायेंगी?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--इलाहाबाद के अलफ्रेड पार्क जिसका नाम अब मोतीलाल पार्क है, उसमें से महरानी विक्टोरिया की मूर्ति हटा दी गयी है, क्या सरकार उसके स्थान पर महामना मालवीय जी की मूर्ति रखने पर विचार करेगी?

डाक्टर सीताराम--यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, यह ७-६-६२ के लिये स्थगित हो गया है।

श्री उग्रसेन--फैजाबाद में जो विक्टोरिया जी की मूर्ति हटा दी गयी, क्या सरकार को सूचना है कि वह तुलसी उद्यान बन गया और तुलसी दास जी की मूर्ति वहां लगा दी गयी?

डाक्टर सीताराम--हां, वहा की म्युनिसिपैलिटी और जनता लगा सकती है, इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सार्वजनिक स्थानों में वह मूर्तियां लगी हुई थीं और विदेशों में यह परम्परा है कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित विशिष्ट लोगों की मूर्तियां लगायी जांय, तो क्या सरकार भी इस परम्परा के अनुसार इन स्थानों पर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन के विशिष्ट लोगों की मूर्तियां लगाने पर विचार करेगी।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जहां तक इस सुझाव का संबंध है, सरकार को इसे अपनाने मे कोई ऐतराज नहीं है। प्रश्न सिर्फ साधनों का है। अगर साधन उपलब्ध होंगे और रहेंगे तो अवश्य जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, सरकार उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हमारी परम्परा इस प्रदेश मे और देश में यह रही है कि इस प्रकार की मूर्तियां लगाने के लिये जनता और उसके प्रतिनिधि स्वतः प्रयास करते हैं और यदि उस प्रयास को यहां भी प्रारम्भ किया जायगा तो सरकार और मंत्रिगण उसमें पीछे नहीं रहेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—प्रदेश में ऐसे कितने स्थानों से जनता ने या वहां की म्युनिसिपलिटी ने कोई प्रस्ताव पास किया और आवेदन-पत्र देकर मांग की है कि अमुक-अमुक स्थानों पर अमुक अमुक व्यक्तियों की मूर्तियां लगायी जायं ?

डाक्टर सीताराम—ऐसा सुझाव तो सरकार के पास आया है जो कि विचाराधीन है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्फ्रेड पार्क सरकार का पार्क है उसमें यदि कार्पोरेशन या जनता मालवीय जी की मूर्ति लगाना चाहे तो उसमें सरकार अपना भी योगदयान देगी और अनुमति प्रदान करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुमति तो दे देगी और योगदान भी देने के लिये उद्यत रहेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मालवीय जयन्ती के उपलक्ष में कोई आवेदन आया है जिसमें अल्फ्रेड पार्क में मालवीय जी की मूर्ति स्थापित करने की भी बात है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे याद नहीं कि इस प्रकार की कोई मांग प्रस्तुत की गयी है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इस पर सदन को आश्वस्त करेंगे कि १८५७ के बन्धुसिंह की प्रतिमा गोरखपुर जिले में लगाने के लिये मांग की गई थी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि यदि वहां की जनता प्रयास करेगी तो हम सहायता करेंगे, तो क्या जब जनता वहां प्रयास कर रही है तो सरकार सहायता देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस आश्वाशन की चर्चा की गई उसकी जानकारी मुझे नहीं है, परन्तु यदि उस समय के मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था तो अवश्य यह आश्वाशन पूरा किया जायगा।

श्री यादवेंद्रसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या आगरा कार्पोरेशन की ओर से डाक्टर अम्बेदकर का स्टैच्यू लगाने के सम्बन्ध में कोई मांग पत्र आया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या बिचार किया ?

डाक्टर सीताराम—नोटिस की आवश्यता है।

श्री काशीनाथ—क्या सरकार इस सिद्धांत को मानेगी कि जीवित व्यक्तियों की प्रतिमायें सार्वजनिक स्थानों पर न लगायी जांय ?

डाक्टर सीताराम—तरीका तो यही है कि जीवित व्यक्तियों की मूर्तियां न लगाई जायं।

श्री नरसिंहनारायण—जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं होगा यदि सार्वजनिक संस्थायें इस तरह के आवेदन-पत्र या सुझाव सरकार के पास भेजें, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सभी नगर पालिकाओं को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे यदि इस प्रकार के आवेदन-पत्र भेजें तो उसमें सरकार का कोई किसी प्रकार का एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इसमें आदेश की क्या बात है, उन्होंने कह तो दिया कि यथाशक्ति सहयोग देंगे।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी ने या सरकार ने कोई ऐसी लिस्ट तैयार की है कि फलां फलां व्यक्तियों की प्रतिमायें प्रदेश में स्थापित की जायेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई लिस्ट अभी ऐसी नहीं तैयार हुई है।

*३०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१—**श्री चन्द्रजीत**—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

राजस्व परिषद्, लखनऊ में दो कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाना

*३२—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद्, लखनऊ में कितने कर्मचारियों का निर्धारित सेवा काल ३१ दिसम्बर, १९६१ से अब तक बढ़ाया गया है और कितनों का विचाराधीन है ? इनमें से कितने कर्मचारी टेक्निकल सेवा करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३१-१२-६१ से अब तक की अवधि में दो कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाया गया है जिनमें से एक का बढ़ाया हुआ सेवा काल ३०-६-६२ को समाप्त हो जायगा और उसे पुनः बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

इन दोनों कर्मचारियों में से कोई भी टेक्निकल सेवा नहीं करता।

*३३-३५—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

शमशाबाद फातहाबाद सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*३६—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला की शमशाबाद से फातहाबाद की कच्ची सड़क को पक्की करने का प्रस्ताव संबंधित अन्तरिम जिला परिषद् ने सरकार के पास भेजा है, यदि हां, तो कब और क्या इस सड़क को पक्की करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गनेशी लाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—अक्तूबर, १९६१ में।

तृतीय भाग—जी नहीं।

यमुना नदी पर बटेश्वर का पुल बनवाने की प्रार्थना

*३७—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरा में जमुना नदी के बटेश्वर के ऊपर पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*३८—श्री रामसिंह (अनुपस्थित)—यदि नहीं है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार पुल की आवश्यकता को देखते हुये बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*३९-४०—श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१—श्री रघुवीर—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३-४४—श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—[२५ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*४७—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४८—श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री गयाप्रसाद (जिला सीतापुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४९-५०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१-५३—श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

मथुरा जिले में नवीन सड़कें बनाने की मांग

*५५—श्री लखीसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले में अन्य पड़ोसी जिलों के अनुपात में पक्की सड़कों की लम्बाई कम है ।

श्री गनेशीलाल—जी नहीं ।

*५६—श्री लखीसिंह—क्या सरकार मथुरा जिले मे छाता क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में नई सड़के बनाने की योजना बना रही है ?

श्री गनेशी लाल—जी नहीं ।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कोसी-सैदपुर सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनवाई जायगी ।

श्री गनेशीलाल—जी नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो स्टार और ग्रिड फारमूला के अनुसार उत्तर प्रदेश में सड़कें बनायी जा रही हैं, उस फारमूले का आधार क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—यह बात ठीक है कि सड़कें हर जिले में स्टार एन्ड ग्रिड फारमूले के अनुसार बनायी जा रही हैं । उसके बारे में मुख्तसिर तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि उसमें एग्रीकल्चर की हालत, पाप्युलेशन तथा एरिया आदि देखकर सड़कों का बनाना निर्धारित किया जाता है । उसका मुख्य एम (aim) यह है कि हर एक व्यक्ति जो ५ हजार की आबादी वाले गांव में रहता हो उसको अपने गांव से ५ मील के रेडियस में कहीं न कहीं सड़क अवश्य मिल जानी चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि इस फारमूले की वजह से पूर्वी जिलों में, जहां छोटे छोटे गांव हैं, सड़कों की लंबाई बहुत कम है और इसलिये सबसे बड़ी दिक्कत पूर्वी जिलों की सड़कों के बारे में हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—यह बात ठीक है कि यह फारमूला काफी पुराना हो गया है । अब तो एक नये प्रकार के फारमूले की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से पुराने गांवों की आबादी अब बहुत बढ़ गयी है, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया कि अभी हम स्टार ऐन्ड ग्रिड फारमूले के हिसाब से लेबिल पर नहीं आ पाये हैं । केवल २५-२६ जिले ऐसे हैं जिनमें यह फारमूला पूरा हो गया है, जहां नहीं हुआ है वहां हम अब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । जब वह हो जायगा तब आगे विचार किया जायगा ।

जहां तक पूर्व और पश्चिम का सवाल है दोनों में कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है ।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में १२-१२ मील तक पक्की सड़कें नहीं हैं ?

श्री गनेशीलाल—इस जिले में स्टार ऐन्ड ग्रिड फारमूले के हिसाब से २६६ मील सड़क आती है तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो सड़कें बन रही हैं वे पूरी हो जायेंगी तो यह २६६ मील भी पूरे हो जायेंगे ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्टार ऐन्ड ग्रिड फारमूले के हिसाब से मथुरा जिले में कितनी सड़कें होनी चाहिये, थीं और इस समय कितनी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जैसा कि सचिव ने बताया स्टार ऐन्ड ग्रिड फारमूले के हिसाब से २६६ मील पक्की सड़क मथुरा जिले में होनी चाहिये थी, इस समय जो दो-एक सड़कें बन रही हैं, जब वे पूरी हो जायेंगी तो यह २६६ मील पूरे हो जायेंगे और उस फारमूले के हिसाब से उतने की ही जरूरत है ।

श्री चन्द्रजीत—माननीय मंत्री जी ने बताया कि स्टार एन्ड ग्रिड फारमूले के हिसाब से ५ मील के अन्दर लोगों को सड़क मिल जानी चाहिये, तो क्या सरकार ने इसकी कोई योजना बनायी है कि कितने वर्षों में ऐसा हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने अभी बतलाया कि काफी जिले ऐसे हैं जहां पर अभी इस फारमूले के अनुसार काम पूरा नहीं हुआ है । तीसरी योजना में इन्हीं जिलों की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री काशीनाथ—अभी जो सड़कों के बनाने में धनाभाव का जिक्र कया गया तो क्या सार्वजनिक विभाग ने इस बात को भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में फारमूले के अनुसार चार प्रकार की सड़कें बनती हैं ; एक तो १० हजार रु० फी मील के हिसाब से जो मिट्टी की होती है, दूसरी ५० हजार रु० की फी मील के हिसाब से जो कंकरीट की होती हैं और तीसरी तारकोल वाली ५० हजार रु० से १ लाख रु० की फी मील के हिसाब से बनती हैं और चौथी जो सीमेंट की सड़क होती है उसमें ढाई लाख रु० फी मील के हिसाब से लागत आती है । तो प्रदेश में धनाभाव को देखते हुये क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न है कि १० हजार रु० फी मील और ५० हजार रु० फी मील के हिसाब से बनने वाली केवल दो तरह की सड़कें ही यहां बनायी जायं ?

श्री गिरधारीलाल—जहां जैसा मुनासिब समझते हैं उस तरह की सड़कें बनाते हैं सीमेंट की सड़कें तो बहुत कम हैं । ज्यादातर तार रोड्स ही हैं ।

*५७-५९—श्री गयाप्रसाद—(जिला वाराणसी)——[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

महमूदाबाद-तम्बौर सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*६०—श्री शिवेंद्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायगी कि महमूदाबाद-तम्बौर सड़क जिला सीतापुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की बनने को है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गनेशीलाल—प्रथम भाग——जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*६१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[हटा दिया गया ।]

*६२-६४—श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५—श्री किसुना (जिला देवरिया)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६-६७—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६८-६९—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७०-७१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

यरकी ग्राम का कथित अग्निकांड

*७२—श्री हरिनाथ तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि ग्राम यरकी (yarki), तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में दिनांक ८ अप्रैल, १९६२ को खलिहान में आग लगी ?

श्री बृजबिहारी—उक्त तिथि को यरकी ग्राम में कोई अग्निकांड नहीं हुआ ।

*७३—श्री हरिनाथ तिवारी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उसके कारण कितनी हानि हुई ?

श्री बृजबिहारी—प्रश्न नहीं उठता ।

*७४—श्री हरिनाथ तिवारी (अनुपस्थित)—काश्तकारों को सरकार की ओर से क्या सहायता पहुंचाई गई ?

श्री बृजबिहारी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यादवेन्द्र दत्त—क्या सरकार बतलायेगी कि इस तिथि के आसपास कोई अग्निकांड वहां पर हुआ है ?

श्री बृजबिहारी—जो रिपोर्ट हमारे पास आयी है, उसमें लिखा है कि मार्च और अप्रैल इन दो महीनों में कोई अग्निकांड इस गांव में नहीं हुआ है ।

श्री उग्रसेन—जनवरी, १९६२ के इधर उस गांव में कोई आग लगने की सूचना सरकार को है ?

श्री बृजबिहारी—जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया । अगर जनवरी के पहले या किसी खास महीने के संबंध में आप प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर दिया जायगा ।

*७५-७७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[२५ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

नोट—तारांकित प्रश्न ७२-७४ श्री यादवेन्द्रदत्त ने पूछे ।

उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन सम्बन्धी लाभ और हानि के लेखों तथा स्थिति पत्रकों की आडिट रिपोर्ट†

न्याय उपमंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से म उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के ३१ मार्च, १९६० तथा ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्षों के लाभ और हानि के लेखों तथा स्थिति पत्रकों को, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों, सहित, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एन्ड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ की धारा ४२ की उपधारा (९) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४९ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर०ए० एम० ४२–९८२-बी/३०—४८८८--टी-५७, दिनांक ८ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन*

रसद उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्तियां संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० ए० एम० (१)-१४७४/२९-घ—५४२–६०, दिनांक १० नवम्बर, १९६०, संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० ए० एम० ५-ए–३३४९/२९ (डी)—५४२–६०, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६१ तथा संख्या डब्ल्यू०एम०आर० ए० ए० एम० ५–३४२४/२९—डी–५१०–५८, दिनांक १९ दिसम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

इंडियन टरपेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली का १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन*

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अनुसार दि इंडियन टरपेंटाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के वर्ष १९५९–६० के कार्य व कारोबार संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

इंडियन बाबिन कम्पनी, लिमिटेड, बरेली का १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन*

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अनुसार दि इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली के वर्ष १९५९–६० के कार्य व कारोबार संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।
*छापे नहीं गये।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना आयी है जो १२-४-६२ को किसी प्राइवेट कम्पनी को तालाबन्दी से संबंधित है। इसको मैं नियम ५२ के लिये उपयुक्त विषय भी नहीं मानता और यह घटना भी बहुत दिनों की है।

नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मेरे पास माननीय काशीनाथ मिश्र की ओर से नियम ५३ की आई है। इन्होंने नियम ५३ के अन्तर्गत जो चर्चा उठाने के लिये प्रस्ताव रखा है वह यह है कि थाना इंचार्ज किन परिस्थितियों में गोली चला सकता है। इस संबंध में, मैं जिस परिणाम पर पहुंचा हूं वह यह है कि किन परिस्थितियों में थाना इंचार्ज गोली चला सकता है, यह विषय बहस का विषय नहीं है, यह विषय तो विधि का है और यदि कानून के प्रतिकूल गोली चलायी जाय तब कानून के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है। जहां तक परिस्थितियों की विवेचना का प्रश्न है उन की पूरी प्रक्रिया कानून को देखकर विनिश्चित की जा सकती है। ऐसी अवस्था में मैंने इस सूचना को अस्वीकार किया है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान से जो गलतफहमी और आतंक जनता में फैला है उससे बहुत परेशानी है और उसका प्रभाव यह हुआ है कि उस के अनुसार कोई भी थानेदार गोली चला सकता है और अखबारों में जैसे हेडिंग आये हैं उन से जनतंत्र की मर्यादा नहीं रह सकती, अगर आप मेरी सूचना को पढ़ लें तो कुछ सफाई हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री जी या मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, उनका किसी बात को कहना कानून को नहीं बदल सकता, उनका कथन तो केवल एक राय है उनकी कि इन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, और कुछ उन की राय का महत्व नहीं है। कानून की दृष्टि से यहां जो भी बहस हो वह कानून पर कोई प्रभाव नहीं डालती जबतक कि हम कानून को न बदल दें। मैंने जैसा निवेदन किया—इस संबंध में हमारा नियम भी है कि जो बातें किसी पुस्तक विशेष से या बुक आफ रिफरेन्स से मालूम हो सकती हैं वह ऐसे प्रश्नों का विषय नहीं बन सकतीं। यह भी ऐसी बात है कि जो नियम ५३ का विषय नहीं बन सकती। ऐसी अवस्था में मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, आप ने अभी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी या कोई भी मंत्रिमंडल के सदस्य यहां कुछ भी कहें उनकी बात की कोई वकत नहीं है और कानून ही जो है वह ठीक है, तो क्या यहां कोई कानून के विरुद्ध राय दे सकता है?

श्री अध्यक्ष—राय और चीज है, कानून और चीज है।

श्री राधेश्याम—क्या इस सदन में फिर राय प्रकट करने में किसी और दूसरे तरीके का प्रयोग किया जा सकता है, क्या यह हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—उनकी राय से, कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सदन में जो कुछ भी कहा जाता है वह कानून की दृष्टि से तो अवश्य कहा जाता है लेकिन यहां सदन में जो कानून पर बहस होती है, जो विचार प्रकट किये जाते हैं वह कानून को प्रभावित नहीं करते हैं। कानून में जो शब्द हों, उन्हीं का विचार अदालत करती है और उन्हीं के अनुरूप फैसला करती है।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—इसी सवाल को मैंने नियम ५० के अन्तर्गत दिया था।

श्री अध्यक्ष—उसे मैंने देखा नहीं है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—आज आपने जो व्यवस्था यहां दी है किसी राय की शक्ल में, कल मैंने वही प्वाइंट आफ आर्डर की शक्ल में उठाया था और उसी चर्चा को मैंने रोकना चाहा था लेकिन आपने उसके लिये मेरे ऊपर आक्षेप करके कहा कि इस तरह से आपने लिया है कि और कहा है कि मैं प्रोसीजर नहीं जानता। उस संबंध में ही मैंने उठाया था कि क्या राइट आफ सेल्फ डिफेंस के क्वेश्चन आप तय करेंगे या अदालत, इस पर मैंने आपकी व्यवस्था चाही थी।

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण सिंह जी, आपसे मैं सहमत हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरा एक प्रश्न है। क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री या किसी मंत्री की घोषणा इस सदन में जो होती है वही आगे चलकर कानून बनती है, तो फिर क्या उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष—आप तो स्वयं ही कह रहे हैं कि उन्हीं की घोषणाओं पर कानून बनते हैं, लेकिन वह कानून को प्रभावित तो नहीं करते।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—एक बात श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी की कोई घोषणा, किसी विषय के संबंध में जिसपर इन्क्वायरी हो रही है, उस घोषणा का क्या उस इन्क्वायरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—बिलकुल नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—नियम ५० के अन्तर्गत इसी विषय पर एक सूचना मैंने कल ही दी थी।

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने देखा नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—आज यह सदन उठने वाला है। यहां तो हम थे तो यह उम्मीद करते थे कि आपके द्वारा हमारी रक्षा होगी लेकिन इस घोषणा के बाद हम जायेंगे और वहां पर कोई थानेदार हमको गोली मार देगा और कह देगा कि सेल्फ डिफेंस में है, तो हम क्या करेंगे ? इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है।

श्री काशीनाथ—मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का बयान जिस तरीके से आज अखबारों में छपा है उससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की निरंकुशता और बढ़ जायगी और हर एक थानेदार, जहां कहीं चाहेगा अन्धा-धुन्ध गोलियों का प्रयोग कर सकता है, और जब कि आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में गोलियों का प्रयोग बराबर बढ़ता जा रहा है, या तो मुख्य मंत्री जी अपने बयान को कंट्रेडिक्ट करें, नहीं तो जो बयान था उससे बुरे तरीके से वह अखबारों में छपा है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं यह जानना चाहता हूं कि नियम ५२ और नियम ५३ के अन्तर्गत दो सूचनायें मैंने दी हैं। एक तो निम्नतम आय के संबंध में थी।

श्री अध्यक्ष—बैठिये। आपने जो आज दिया वह समय के बाद दिया था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—नियम ५३ के लिये तो समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उसे मैंने अभी नहीं देखा है।

बिजली काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस के मजदूरों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---१२ अप्रैल, १९६२ को प्रेसीडेंट सूती मिल मजदूर पंचायत ने बिजली काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस के प्रबन्धकों को हड़ताल का नोटिस दिया जिसमें यह कहा गया था कि यदि उनकी ९ मांगें समय के अन्दर पूरी न की जायेंगी तो श्रमिक हड़ताल कर देंगे। प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, आगरा ने विवाद के निपटारे के लिये दोनों पक्षों से बातचीत की, परन्तु सफलता न मिली। २७ अप्रैल, १९६२ से इस मिल के लगभग २,००० श्रमिकों ने हड़ताल कर दी जो अभी जारी है।

प्रतीत होता है कि इस मिल के श्रमिक मुख्यतः इस मिल द्वारा सूती वस्त्रोद्योग के वेतन मंडल की सिफारिशें कार्यान्वित की जाने तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचनिर्णय में श्रमिकों को दिलाये गये बोनस का भुगतान किये जाने के संबंध में उत्तेजित हैं। राज्य की अन्य सूती मिलों की भांति इस मिल में भी वेतन वृद्धि के संबंध में सूती वस्त्रोद्योग के केंद्रीय वेतन मंडल की सिफारिशें राजाज्ञाओं के अन्तर्गत लागू की गई हैं। मिल के प्रबन्धकों ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद में एक रिट पेटीशन दायर की थी जिसमें उक्त राजाज्ञा का कार्यान्वित किया जाना स्थगित कर दिया गया है। अतः इस समय वेतन मंडल की सिफारिशें कार्यान्वित करने की दिशा में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। अन्य मुख्य मांग औद्योगिक न्यायाधिकरण के २७ सितम्बर, १९६१ के पंचनिर्णय के अनुसार इस मिल के लगभग २०० एबजी वाले श्रमिकों को बोनस के भुगतान करने के संबंध में है। प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त इस मामले की देखभाल कर रहे हैं। जो श्रमिक बोनस पाने के हकदार होंगे उन्हें बोनस दिलाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन आपत्तिपूर्ण नारे लगाने, लाठी तथा घातक अस्त्र ले जाने तथा श्रमिकों को काम पर जाने से बलपूर्वक रोकने पर रोक लगा दी गई है। परन्तु जुलूस निकालने या जनता के एकत्र होने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि मजदूर यूनियन ने १२ और १३ अप्रैल को मिल मालिक के यहां और श्रमायुक्त के यहां कोई नोटिस दिया था कि यदि यह मांगें पूरी नहीं होंगी, जिनको सरकार ने दिया है या कोर्ट से, जिसका फैसला हुआ है, तो हम हड़ताल करेंगे? यदि हां, तो सरकार की ओर से हड़ताल होने के पहले २७ अप्रैल के पहले कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---सवाल इतना लम्बा है कि मैं समझ नहीं पायी। १२ और १३ को उन्होंने जरूर नोटिस दिया था डिमांड का और उसके बाद हमारे रीजनल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उनसे मिले थे और मिल कर बातचीत की थी।

श्री रामसुन्दर---२७ अप्रैल के पहले श्रमायुक्त कब मिले थे? हमको जानकारी यह है कि २७ अप्रैल के पहले कोई नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामसुन्दर---क्या यह सही है कि २७ अप्रैल के पहले कोई अधिकारी सरकार की ओर से मिल मालिक और मजदूरों के संगठन से बातचीत करने के लिये नहीं मिला और उनकी मांग के संबंध में कोई लिखा पढ़ी सरकार से अब तक नहीं हुई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---हमारे पास सूचना है कि २७ के पहले हमारे लेबर आफिसर्स वहां पहुंचे हुये थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर--मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उस मिल में जो पांच वर्ष से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका प्रावीडेंट फंड भी नहीं कटता है, जब कि यह भी एक मांग है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--प्रावीडेंट फंड के लिये इनकी अपनी स्कीम है इसलिये यह लोग ऐग्जेम्प्ट हैं फैक्ट्री प्रावीडेंट फंड ऐक्ट से ।

श्री रामसुन्दर--मंत्री जी बतायेंगे कि २० सितम्बर, १९६० को जो आदेश बिजली काटन मिल्स के सम्बन्ध में दिया गया था कि श्रमिकों को ६ रुपया बढ़ोत्तरी कर दी जाय, वह लिपिकों के लिये क्यों नहीं जारी किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वेज बोर्ड की सिफारिश लागू करने के लिये सरकार का जो आर्डर निकाला गया था उसके बाद रिट पेटीशन हो गई, इसीलिये हम उस पर अमल नहीं कर सके ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--वेज बोर्ड का फैसला हुये दो साल हो गये, तो सरकार दो साल से क्या करती रही ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वेज बोर्ड कि सिफारिश को लागू करने के लिये जी०ओ० निकाला गया । दो दफा यह जी०ओ० निकाला गया, पहले सन् १९६० में और दूसरा सन् १९६२ में निकाला गया । ६ रुपये पहले जी०ओ० द्वारा दिये गये और २ रुपये बाद वाले के जरिये दिये गये । तो ये दोनों आर्डर उसी समय से लागू किये गये । मालिकों ने रिट पिटीशन दायर कर दी और कोर्ट से स्टे आर्डर्स हो गये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--एन० के० मिल मालिकों ने जब कोई रिट फाइल नहीं की तो वहां के मजदूरों पर वेज बोर्ड की सिफारिश क्यों नहीं लागू की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--एन० के० मिल उन मिलों में थी जो बन्द थी । इसलिये इस हालत में उसमें वेज बोर्ड की सिफारिश लागू नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वन मैन कमेटी स्थापित की गयी है जो इस सब की जांच कर रही है । उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जायगी और उसके आधार पर वेज बोर्ड की सिफारिश हम इन मिलों पर लागू कर सकेंगे ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)--जो हड़ताल का नोटिस दिया गया था उसमें ९ मांगों में से कौन-कौन-सी प्रमुख मांगें थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उनमें प्रमुख वेज बोर्ड की सिफारिश लागू करने तथा कुछ बोनस के बारे में थीं ।

श्री रामसुन्दर--क्या यह सही है कि बिजली काटन मिल्स में ४०० औरतें काम करती हैं और उनको २१ आने रोज मजदूरी दी जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--मेरे पास तो यह खबर नहीं है । मेरे पास तो यह है कि यहां लगभग ५० औरतें काम करती हैं । उनकी मजदूरी ठीक क्या है, वह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि रिट पिटीशन का फैसला हो चुका है ? यदि हां, तो उसके बाद सरकार ने उस वेज बोर्ड की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--अभी वह रिट वेकेट नहीं हुआ है ।

श्री उग्रसेन—बोनस की मांग थी उस संबंध में मिल मालिकों ने क्या किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बोनस के संबंध में मिल मालिकों का कहना है कि बोनस सारा लागू कर दिया है। लेकिन हमारे अफसरों ने जांच की है तो २२८ केसेज में कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिन्हें हमारे अधिकारी देख रहे हैं।

श्री रामसुन्दर—६ रुपये मासिक वेतन वृद्धि के संबंध में जब आदेश गया तो उसके संबंध में रिट दाखिल किया गया लेकिन लिपिकों को वेतन देने के संबंध में क्या दिक्कत है सरकार को, जो मिल मालिकों से वह नहीं दिला रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्लर्कों के वास्ते जो सिफारिश है अभी तक वह कानपुर की मिलों में लागू हुई है। कानपुर के बाहर जो टेक्सटाइल मिल है उसे लागू करने में कुछ दिक्कत हमारे सामने थी। कानपुर में उनको वेतन और डी०एफ०ए० अलग-अलग दिया जाता है और बाहर की मिलों में यह दोनों मिलाकर दिये जाते हैं। इसलिये पहले यह फैसला करना है कि इन दोनों का अलग-अलग बंटवारा हो उनके wage मुकर्रर होने के बाद wage बढ़ाने का, wage का recommendation लागू हो सकता है। इसमें हमको एक यूनी-फार्म तरीके से फैसला करना है। एक मिल का फैसला अभी सम्पूर्णानन्द जी के सामने है। मैं आशा करती हूं कि सम्पूर्णानन्द जी जल्दी इसमें फैसला देंगे। दूसरी मिल में भी उसी आधार पर लागू करने की कोशिश की जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—पहला जी०ओ० सरकार ने सन् १९६० में निकाला था और दूसरा सन् ६२ में। पहले जी०ओ० को जो सन् १९६० में निकाला—मिल मालिकों ने नहीं माना, आदेश की अवहेलना की, तो सरकार ने जाब्ता फौजदारी के मुताबिक मिल-मालिकों के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जैसे ही हम लोगों ने ६ रुपये बढ़ाने के लिये आदेश जारी किये, फौरन उन्होंने कोर्ट में रिट दायर कर दिया। दोबारा जब २ रुपये और ज्यादा देने का फैसला पीछे हुआ तो हम लोगों ने फौरन ही आर्डर जारी किया तो फिर उन्होंने फौरन ही रिट दायर कर दिया। तो दोनों के रिट दायर हो गये।

श्री अध्यक्ष—आइटम नम्बर १२।

श्री कल्पनाथ सिंह—इस सवाल पर मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था और आपने मुझे केवल एक ही प्रश्न पूछने की इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष—मैंने २० मिनट इस पर दिये। अब मैंने आइटम नम्बर १२ बुला लिया है।

लखनऊ स्थित गोमती नदी के किनारे मोहल्ला सुल्तानगंज में एक कथित मंदिर गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, गोमती नदी में १९६० की बाढ़ से लखनऊ में भारी क्षति हुई। बाढ़ के बाद तुरन्त ही सरकार ने लखनऊ नगर को बार-बार आने वाली बाढ़ों के प्रकोप से बचाने के लिये एक योजना बनाने का निश्चय किया और लगभग २ करोड़ रुपये की लागत की एक योजना तैयार की गई। इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर में तीन सड़कों के पुलों, अर्थात् लोहे के पुल, बूस ब्रिज और काठ के पुल को फिर से बनाने का कार्य सम्मिलित है। यह पुल ६०० फीट लम्बे बनाये जायेंगे।

गोमती नदी पर काठ के पुल के पास नये पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है। प्रस्ताव में सुल्तानगंज मोहल्ले में जिस खसरा नं० ४६ का जिक्र किया गया है वह स्थान इसी

के निर्माण में आता है। खसरा नं० ४६ में कोई मन्दिर नहीं था। वहां चार-पांच छोटे-छोटे कमरे बने हुये थे जो बाबा सन्तराम दास के नाम हैं। इस इमारत को प्राप्त करने लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी। इसी बीच बाबा सन्तराम दास तथा पुल का कार्य करने वाले ठेकेदार के बीच कुछ बातचीत हुई और बाबा सन्तराम दास इस बात पर राजी हो गये कि मुआवजा मिलने के पहले वह इमारत खुदवाई जा सकती है ताकि पुल के निर्माण-कार्य में कोई रुकावट न पड़े और जो मुआवजा सरकार तय करेगी वह उन्हें मान्य होगा। बाबा जी ने अपनी रजामन्दी लिखित तौर पर दी। इसके पश्चात् ठेकेदार ने वह इमारत बाबा सन्त रामदास की उपस्थिति में तुड़वा दी।

बाबा सन्तराम दास के नाम जो इस इमारत का वसीयतनामा है उसमें किसी मन्दिर के होने का उल्लेख नहीं है और न लेखपाल के कागजों में ही उस स्थान पर मन्दिर होने का उल्लेख है। बाबा सन्तराम दास ने स्वयं लिख कर दिया है कि उस इमारत में कोई मन्दिर नहीं था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इस मन्दिर के गिराने के संबंध में लखनऊ नगर प्रमुख ने कोई शिकायती-पत्र भी लिखा है?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न मन्दिर गिराने के संबंध में है जबकि कहा यह जाता है कि वह मन्दिर नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जिसको बिल्डिंग कहा जाता है, वह मन्दिर था।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—मुख्य मंत्री जी भी लखनऊ के रहने वाले हैं। मैं बहैसियत मुख्य मंत्री के नहीं बल्कि बहैसियत चन्द्रभानु गुप्त जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस जगह पर मन्दिर था या नहीं?

श्री अध्यक्ष—आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, न कि श्री चन्द्रभानु गुप्त से।

कुंवर श्रीपाल—मैं मेम्बर से भी आपके द्वारा पूछ सकता हूं, यह आपके नियमों के अन्दर है।

श्री अध्यक्ष—तो आप नोटिस भेज दीजियेगा।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—जो मकान गिराने की चर्चा पत्र में है उसकी रूपरेखा क्या थी, किस ढंग का वह मकान बना था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इसकी कोई रूपरेखा तो यहां है नहीं। जो इत्तलात मेरे पास आयी हैं उनकी बुनियाद पर, मैंने निवेदन किया कि जिस व्यक्ति के नाम वह जमीन लिखी हुई है उसकी लिखित रजामन्दी मेरे पास है और वह कागजात भी विभाग के पास हैं, जिनमें यह लिखा है कि जब उसे जमीन मिली थी तो किन-किन हालतों में वह उसे प्राप्त हुई थी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है कि वहां पर ४–५ कमरे थे, तो क्या वे बतायेंगे कि आन दि स्पाट इंक्वायरी के बाद उनको यह सूचना मिली या कागजात पर से ही विभाग ने उनको सूचना दे दी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब यह सवाल उठाया गया तो सूचना मांगी गई। उसके उत्तर में जो कागजात मेरे पास आये, उनके आधार पर मैं सदन को सूचना दे रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या इस प्रश्न को सूचना मानकर कि पटवारी की एन्ट्रीज गलत हैं और उन ४–५ कमरों में मूर्तियां स्थापित थीं, मुख्य मन्त्री जी आन दि स्पाट इंक्वायरी करायेंगे और उसकी रिपोर्ट सदन में रखेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इस बात की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि जिसकी जमीन थी वह स्वतः कहता है कि वहां पर कोई मन्दिर नहीं था, न मन्दिर की कोई व्यवस्था ही थी।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि बाबा सन्तराम दास को एक्वीजीशन का नोटिस २७ अप्रैल को ईश्यू हुआ और उनको ४-५-६२ को मिला और १५ दिन के अन्दर उनको जबाव देना था, और आपने कहा है कि उनका राजीनामा हो गया, तो फिर इस नोटिस के भेजने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, मैं इस प्रतिलिपि को सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं जो सन्तराम दास बाबा ने, जिसके पास यह स्थान था, बकलम खुद लिख कर दिया है। वह इस प्रकार है कि—

"गोमती नदी के किनारे काठ के पुल के पास खसरा न० ४६, मोहल्ला सुल्तानगंज में ४-५ कमरे बने हुये थे जो मेरे नाम हैं। इसमें कोई मन्दिर नहीं था, केवल कुछ मेरे आदमी रहते थे। यह इमारत नये बनने वाले पुल की सीध में आती थी, ताकि नये पुल के निर्माण में कोई रुकावट न आये, इसलिये मुझे इस इमारत को मुआवजा लेकर तुड़वा देने पर कोई एतराज नहीं हुआ, सरकार ने इस इमारत की नाप-जोख ले ली और मेरे मुआवजे के कागज बना कर भेज दिये, जो भी मुआवजा सरकार तय करेगी मुझे मंजूर होगा। इस विचार से, मैंने यह कमरे ठेकेदार को तोड़ने के लिये कह दिया। यह सब मैंने सोच-समझकर ही किया है और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है।"

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह राजीनामा जो लिखकर विभाग में आया है यह एक्वीजीशन के नोटिस देने से पहले लिखा गया या बाद में लिखा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो शायद उससे पूछा गया होगा, क्योंकि आपत्ति की गई तो उसने सही बात लिखकर भेज दी है।

श्री यादवेन्द्र दत्त—श्रीमन्, मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है कि यह राजीनामा नोटिस देने के बाद हुआ या पहले हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह कब लिखा गया है, यह बताइये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास यह कागजात तो हैं नहीं कि उसके पास कब एक्वीजिशन प्रोसीडिंग्स की नोटिस भेजी गयी।

श्री अध्यक्ष—आपने जो लिखा पढ़ा है उसमें कोई तारीख दी हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसमें तारीख नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि जो राजीनामा बाबा सन्तरामदास का लिखा हुआ कहा जाता है, यह ठेकेदार के किसी आदमी द्वारा लिख कर दस्तखत करके दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इस विषय में जांच करवाने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब यहां बांध बनाने की व्यवस्था दो करोड़ व्यय करके बनाई जा रही है तो उस व्यवस्था के अन्तर्गत यदि मन्दिर भी आयेगा तो उसके लिए यदि हटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हटाना पड़ेगा और उनको मुआवजा देना पड़ेगा, और दूसरे स्थान पर मन्दिर बनाने की व्यवस्था करानी पड़ेगी, यह हमारे लिये कोई नयी बात नहीं है क्योंकि देश में जितनी निर्माण की योजनाएं और खास कर घाटियों और डैम्स की योजनाएं बनी हैं, वहां के गांव के गांव, जिनमें मंदिर इत्यादि सब आ गये हैं, उनको हटाना पड़ा है। यह एक बड़ी योजना इस नगरी के लिए बन रही है। उस योजना के अन्तर्गत यदि किनारे पर मन्दिर आ गया, और

रजामन्दी से दूसरी जगह मंदिर बनाने की व्यवस्था कर दी गयी, तो इसमें आपत्ति उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं जांच करवाने की आवश्यकता नहीं समझता। जिसकी जमीन है जब वह राजी है, तो उसमें कोई इनक्वायरी करवाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले यह कहा--वहां एक इमारत थी, और बाद में बाबा सन्तराम जी का पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया है कि कोई मन्दिर नहीं था, अब माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे है कि यदि मन्दिर हटायेंगे तो उसके लिए दूसरी जगह व्यवस्था कर दी जायगी, तो क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि मन्दिर ही था जो हटाया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह बिलकुल गलत है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानता कि उस स्थान पर क्या था।

श्री यादवेन्द्र दत्त---अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मंदिर हटाने के बाद नयी जमीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और मंदिर बनाने के लिये पैसा देना पड़ेगा, तो क्या जो मन्दिर तोड़ा गया है इसको पुनः बनाने के लिए धन की व्यवस्था और भूमि की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मकान जितने टूटेंगे और यदि कोई मन्दिर भी बांध की एरिया में आयेगा तो दूसरी जगह मन्दिर बनाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत धनराशि रखी गयी है, मकानों और मंदिरों के लिए मुआवजा देने के लिए और दूसरी जगह पर निर्मित करने के लिए व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत है।

कुंवर श्रीपाल---एक व्यवस्था मैं चाहता हूं। जो मैंने अभी प्रश्न किया दफा ४५ के अधीन, उसमें अन्त में यह है कि जैसा आप चाहें, जो सुविधाजनक हो, उस प्रकार उत्तर दिलवा सकते हैं। मैं श्रीमन्, आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मुझे किस प्रकार मिलेगा, यह जरा बतला दें।

श्री अध्यक्ष---यह जो नियम ४५ है इसमें जब आप प्रश्न देंगे, तो हम उसका जवाब ले सकते हैं।

श्री नरसिंह नारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब मंदिर जबरदस्ती तोड़ा गया तो उस समय इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में लिखायी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी के मद २ के अनुसार रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ४ सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी के मद २ के अनुसार रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उसके द्वारा निर्वाचित ४ सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने इस सदन में कहा था, मैं तो कल अभाग्यवश मौजूद नहीं था, कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रश्न है उस पर आज आप व्यवस्था देंगे, तो वह आप कब दे रहे हैं और दूसरा इसी के बारे में माननीय नरसिंह नारायण जी का एक प्रस्ताव है कि कबूल इसके कि आप उस पर निर्णय दें, महाधिवक्ता माननीय कन्हैयालाल मिश्र को भी यहां पर आप बुलायें जिससे कि वह इस बारे में अपनी राय दे सकें। वह इस सदन के आदरणीय मेम्बर हैं। वह सदन को अपनी कानूनी राय इस पर दें ताकि सदन के सदस्यों को इस सम्बन्ध में कानूनी जानकारी हो जाय। इसके लिए माननीय नरसिंह नारायण जी ने दरख्वास्त दी है। उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—मैं १७ तारीख को अपना निर्णय दूंगा इस सम्बन्ध में और नरसिंह नारायण जी ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके ऊपर गौर कर लूंगा, अगर आवश्यकता होगी, तो उनको (महाधिवक्ता को) बुला लूंगा।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर करीब ७२ घंटे के अन्दर हम लोगों को मिल जाना चाहिये। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी हमें सात-सात, आठ-आठ दिन तक नहीं मिल पाता। इस तरह से हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे मिल लीजिए, और अगर आप मुझे बतला दीजिए कि अमुक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो मैं देख लूंगा।

सदन का समय बढ़ाने के संबंध में जानकारी

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—गन्ने वाला जो दफा ५२ का प्रश्न था उस पर आपने कहा था कि कृषि का अनुदान जब चलेगा तो १ घंटा या २ घंटा सदन का समय आप बढ़ा देंगे। तो वह बात इस एजेंडे पर कहीं आयी नहीं।

श्री अध्यक्ष—देखिए, मैंने जो कहा था वह यह है कि जिस रोज इस अनुदान पर बहस होगी, उसी दिन अगर आवश्यकता होगी तो एक घंटे का समय और बढ़ा देंगे ताकि आपके इस प्रश्न पर भी विचार हो सके, ऐसा मैं सोच रहा हूं।

तो यह अब प्रारम्भ हो रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। अगर आपकी बात का उत्तर न आया तो हम एक घंटे और बैठ जायेंगे।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी—(क्रमागत)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन्, मैंने जो निवेदन किया है, यह हम लोगों के अधिकार से सम्बन्धित है। इस प्रकार हमारे अधिकारों का हनन होता है। अगर उसका निर्णय आप यहां पर दें तो हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा, आप मुझसे मिल लीजिए, स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज आप मुझे दिखला देंगे तो मैं पूछ लूंगा।

सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—मैंने एक वैधानिक प्रश्न रखा था और आपके कमरे में भी आपसे मिला था। वह यह कि हम विधायकों को ७३ रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अन्तर्गत ७ मार्च से तनख्वाह मिलनी चाहिए और चूंकि गवर्नमेंट को कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है.....

श्री अध्यक्ष—उसके सम्बन्ध में बातचीत हो रही है और उसकी बहुत शीघ्र कुछ न कुछ व्यवस्था होगी।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन और अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३०,९२,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,१५,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३—पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,१३,९५,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,४०,३१,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, खेती के महकमे की कोई अहमियत कुछ क्षेत्रों में हो या न हो लेकिन इन्सान के जीवन में उसको बहुत बड़ी अहमियत है, बल्कि वह सबसे बड़ी अहमियत रखती है और सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में उसका स्थान है क्योंकि मनुष्य उसके बिना जिन्दा नहीं रह सकता। खेती की पैदावार के बिना आदमी की जिन्दगी नहीं चल सकती। कारखाने की पैदावार के बिना चल सकती है, मोटर के बिना चल सकती है, घड़ी के बिना भी चल सकती है, साइकिल के बिना भी आदमी का काम चल सकता है, इसलिये सब से बड़ी अहमियत हर मनुष्य के जीवन में खेती की है। खेती के अन्दर में और सब लोग, पशुपालन, मछली इत्यादि का पालन, दरख्त, जंगलात या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

जागात इन सब को शामिल किया जा सकता है और जरूरी है। हमारे सूबे में खेती की अहमियत यों भी अधिक हो जाती है क्योंकि यहां पर ७४ फीसदी आदमी सीधे खेती पर मेहनत करके अपनी गुजर-बसर करते हैं और उससे भी अधिक विचार करने की बात यह है कि हमारे सूबे में ही नहीं बल्कि हमारे देश भर में खेती का महत्व यों अधिक है कि उसी के द्वारा हम गरीबी को मिटा सकते हैं और नान एग्रीकल्चरल आकूपेशन्स को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसके लिये जरूरी है कि खेती की पैदावार बढ़े।

आज हम सब इसमें एक मत के हैं कि खेती पर लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिये और पेशे भी होने चाहिये खेती के अलावा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां हम सब लोग इसमें एक मत के हैं वहां जो बात मैं दूसरी अर्ज करने जा रहा हूं उसमें एक मत मालूम नहीं होते और वह यह कि गैर जराती पेशों को बढ़ाने के लिये खेती के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। खेती के विकास के बिना न कारखाने ही चल सकते हैं और न कोई और उद्योग-धंधा चल सकता है। हम यह चाहते हैं कि खेती पर से लोग हट कर इन्डस्ट्री, कामर्स, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, टीचिंग, मेडिकल तथा अन्य पेशों में जायें, लेकिन वे खेती से तभी हट सकेंगे जबकि इन लोगों के लिये भोजन, जो सबसे पहिली आवश्यकता है, का प्रबन्ध हो जाय और यह तब होगा जब कि जितने बाकी लोग खेती पर रह जायं वे इन लोगों के लिये भी भोजन को जुटा सकें, यानी खेती पर कम से कम आदमी हों और वे एक निश्चित क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा भोजन की सामग्री पैदा कर सकें। जब तक यह नहीं होगा लोग हट कर नही जायेंगे। यह तभी होगा जब कि आपकी फी एकड़ पैदावार बढ़े। जब फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी तभी लोग अन्य पेशों की तरफ बढ़ेगें, वरना नहीं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कारखानों के लिये जो कच्चे माल की जरूरत होती है धातु को छोड़ कर, वह सब भी खेतों से ही मिलती है। कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन, मूंगफली आदि जितनी चीजें हैं वे सब खेतों से ही निकलती हैं। तो मिनरल प्रोडक्स को छोड़कर बाकी कारखानों के लिये जितने कच्चे माल की जरूरत होती है वह सब खेतों से आती है। अगर खेतों की पैदावार नहीं बढ़ेगी तो कारखाने कैसे चलेंगे? आप अमेरिका से अगर काटन मंगवायें, तो वह कारखाने कब तक चल पायेगें? वह थोड़े ही दिन चल सकेंगे।

इसके अलावा एक दूसरी बात है। कारखानों की जो पैदावार होगी, अगर उसकी खपत अपने देश के अन्दर नहीं हुई, तो जो कारखानें आज चल रहे हैं वे बन्द हो जायेगें, नये कारखाने लगने की बात तो दूर रही। हम सब का यह तजुर्बा है कि अगर लगातार दो वर्ष तक उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाती है तो जो थोड़े बहुत कारखानें हमारे यहां हैं उनके गोदाम भरने लगते हैं तथा मालिक और मजदूरों में झगड़े होने लगते हैं। तब इस बात की मांग होती है कि सरकार उस कारखाने को तो ले ले, दो हजार आदमी बेकार हो गये। तो ऐसी दशा में कुछ दिन सरकार कारखाने चला सकती है, लेकिन कब तक?

अगर कारखाने का चलना नुकसान के साथ है तो गवर्नमेंट वह नुकसान कहां से देती रहेगी? मेरे पास आंकड़े नहीं है। मैंने बहुत बार पढ़ा कि कारखाने अब अन्डर कैपीसिटी पर काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है। मार्केट डेवलप इसलिये नहीं हो पा रहा है कि हमारे मासेज के पास क्रय शक्ति नहीं है। क्रय शक्ति इसलिए नही है कि देश की साढ़े ८२ फीसदी और उत्तर प्रदेश की साढ़े ८६ फीसदी गांव आबादी गांव में रहती है और खेती पर बसर करती है। उनकी क्रय शक्ति का एक मात्र स्रोत खेती की पैदावार है। जब खेती की पैदावार बढ़ेगी तो पास में पैसा होगा, जूते पहिनने, कपड़े खरीदने के लिए लोगों के पास साधन हो जायेंगे। जब उसका पेमेंट होगा तो माल को पैदा करने वाले इडस्ट्रियलिस्ट्स पैदा हो जायेंगे, बेचने वाले, कामर्स करने वाले पैदा हो जायेंगे, कच्चा और पक्का माल ढोने वाले ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स पैदा हो जायेंगे। तो बिना खेती की पैदावार बढ़ाये कारखाने लग नहीं सकते और लग जायं तो बन्द हो जायेंगे।

इस सिलसिले में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन चूंकि मुझे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसका जिक्र करना है, इसलिये तफसील में जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, खेती की पैदावार कितनी चीजों से बढ़ती है? भूमि, श्रम, पूंजी और हुनर। जहां तक भूमि का सबंध है कुछ आंकड़े बतलाता हूं कि खेती के योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में कम से कम लाख दो लाख एकड़ बढ़ जाय, लेकिन और बढ़ नहीं सकती। १९६०–६१ के आंकड़ों के मुताबिक हमारे प्रदेश का रकबा ६२७.१८ लाख एकड़ है, जिसमें करीब ४२० लाख एकड़ पर आज खेती हो रही है और करीब ३५ लाख एकड़ ओल्ड फेलो और करेंट फेलो–परती कदीम और परती जदीद है। ७५.४३ लाख एकड़ ऐसी है जोकि नाकाबिल काश्त है, जोकि खेती के लिये उपलब्ध नहीं है। ६६ लाख एकड़ ऐसी है जिसमें बागात हैं और जंगलात हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ७५.४३ लाख एकड़, जिसमें खेती नहीं हो रही है और जो खेती के लायक नहीं है– वैसे तो किसी जमीन को यह कहना कि खेती के लायक नहीं है, यह टेक्निकली देखा जाय तो सही नहीं है, क्योंकि कोई जमीन नहीं है जो काबिल न बनायी जा सके, लेकिन मैं आम भाषा में कह रहा हूं और उसका अर्थ यह है कि जितना रुपया उसमें लगाया जाय उसके काबिल खेती करने के लिये वर्थह्वाइल नहीं होगा, अधिकतर जमीन ऐसी है। यह जेर-काश्त लायी नहीं जा सकती। कुछ तो ऐसी है जो किसी सूरत में नहीं लायी जा सकती, जैसे कि हिमालय पहाड़ का रकबा, गंगा का भंडार और लखनऊ शहर जहां बसा हुआ है, यह मैंने मिसाल के तौर पर कहा। तो यह रकबा ७५ लाख एकड़ से ज्यादा होगा, क्योंकि सड़कें बनेंगी, कारखाने बनेंगे, इमारतें स्कूल और अस्पताल बनेंगे। जहां तक ६६ लाख एकड़ जंगलात और बागात का ताल्लुक है वह ऐसी है जिसके लिये बहुत दबाव पड़ता है गवर्नमेंट पर कि जंगलात काट दिये जायं, हल चला दो, लोगों को जमीन दी जाय। बड़े-बड़े एजीटेशन्स होते हैं और जब लोग बेरोजगार हैं तो एजीटेशन का मुकाबला करना किसी जनप्रिय सरकार के लिये आसान काम नहीं होता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना निजी मत यह है कि आगे को दरख्त, बागात या जंगलात काटकर हल चला देना आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। अर्थ शास्त्रियों या कृषि विशेषज्ञों का कहना यह है कि हर मुल्क या प्रदेश का २० से २५ फीसदी रकबा दरख्तों के नीचे होना चाहिये। हमारे यहां १० या ११ फीसदी ही है। बागात या जंगल के रकबे से एक एकड़ भी जमीन खेती के लिये ली नहीं जा सकती।

अब एक जमीन ऐसी है जो काबिले काश्त कहलाती है, काल्टिवेबिल वेस्ट लैंड जिसका रकबा ४०.५१ लाख एकड़ है। यह सही है कि आजादी के बाद पिछले १०–१२ वर्षों में फूडग्रेन्स की कीमत ऊंची होने से २२ लाख एकड़ जमीन जिसका शुमार १५ साल पहले कल्टिवेबिल वेस्ट में होता था, अब कल्टिवेटेड या कल्टिवेबिल लैंड है। लेकिन उसमें हम जितना रुपया लगाते हैं, उसके हिसाब से वह मार्जिनल या सब-मार्जिनल लैंड्स हैं, बहुत कम पैदावार हो रही है। तो अब उस रकबे में कोई बढ़ोत्तरी हो जाय, यह मुश्किल दिखाई देता है। तो सिद्ध यह होता है, अध्यक्ष महोदय, कि उत्पादन बढ़ाने में जहां तक जमीन के साधन का संबंध है वह बढ़ नहीं सकता। अब चूंकि हमने पैदावार बढ़ाना तय कर रखा है इसलिये वह बाकी तीन फैक्टर्स से बढ़ सकती है, या लेबर बढ़ायें, जमीन में पूंजी लगायें या फिर फार्मिंग प्रैक्टिसेज में इम्प्रूवमेन्ट्स करें।

जहां तक श्रम या लेबर का ताल्लुक है, वह अब नहीं बढ़ सकता। आज हमारे सूबे के अन्दर एक करोड़ किसान के परिवार हैं और चार, सवा चार एकड़ जमीन एक कल्टिवेटिंग फेमिली के पास औसतन पड़ती है। इनमें मेरा ऐसा खयाल है कि ९० फीसदी ऐसी फेमिलीज

[श्री चरण सिंह]

हैं जो अनएकोनामिक कही जा सकती हैं। अनएकोनामिक किसको कहते हैं, इस पर बड़ी बहस हुई लेकिन मेरी अपनी राय में अनएकोनामिक होल्डिंग वह है—एक फेमिली में दो आदमी माने जाते हैं और मिनिमम एग्रीकल्चरल इक्विपमेन्ट में दो बैलों की जोड़ी—जो जमीन एक जोड़ी बैल और दो एडल्ट आदमियों को फुल १२ महीने काम न दे सके। मेरी अपनी राय में हमारे सूबे के अन्दर ९० फीसदी जोतें अनएकोनामिक हैं, उसपर हमारे किसान को १२ महीने रोजगार नहीं मिलता, खाली पड़ा रहता है। तो बजाय बढ़ाने के हमको खेती पर से आदमी हटाने हैं, एक तो इम्पलायमेन्ट के लिहाज से भी और दूसरे जैसा मैंने अर्ज किया नान एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का भी विकास करना है, तो भी हटाना है। लिहाजा लेबर बढ़ाने का सवाल नहीं उठता और लेंड बढ़ नहीं सकती। फिर दो ही चीजें रह जाती हैं जिससे एकोनामिक डेवलपमेन्ट अपने सूबे का कर सकते हैं, पूंजी और फार्मिंग टेक्नालाजी। अध्यक्ष महोदय, इसको बढ़ाने की दिशा में हमारा कृषि विभाग लगा हुआ है। जो उसने आज तक किया है और जो उसका आगे करने का इरादा है उसको मैं आपकी इजाजत से कुछ थोड़ा सा यहां रखना चाहता हूं। पूंजी जमीन पर लगाई जाय, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है पानी अच्छा दिया जाय, खाद ज्यादा डाला जाय और अच्छा दिया जाय, बीज बढ़िया डाला जाय, और फसलों में अगर कोई रोग लग जाय तो उसके लिये दवा छिड़की जाय, दवाओं का इस्तेमाल किया जाय, औजार अच्छे हों तथा उसके बैल अच्छे हों। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंन्ट ने जो किया है वह मैं आपको बताऊंगा। वैसे पानी सबसे बड़ी और जरूरी चीज है खेती के लिये। कोई कहते हैं खाद बड़ी चीज है लेकिन इसमें अगल अलग रायें हैं। लेकिन जहां तक पानी का संबंध है इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के बजट पर बहस हो चुकी है, फिर भी अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से उसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज कर देना चाहता हूं।

१९५०–५१ में ७२ लाख ८२ हजार एकड़ जमीन में गवर्नमेंट के सोर्सेज से सिंचाई होती थी यानी गवर्नमेंट ने जो बांध या नहरें बनायी हैं उनके जरिये से। उसके दस साल बाद ६०–६१ में वह हो गयी ११२ लाख ८९ हजार एकड़। हो सकता है एक-दो हजार का फर्क हो लेकिन कृषि विभाग के पास जो आंकड़े हैं वे इसी प्रकार से हैं। ६१–६२ के दिसम्बर तक यह आबपाशी हो गयी ११७ लाख ८१ हजार एकड़, जो नहरों, ट्यूबवैल्स तथा बांधों आदि से हुई और ६२–६३ के अन्त तक १२३ लाख ७८ हजार एकड़ में आबपाशी करने का सरकार का इरादा है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में १५० लाख १८ हजार एकड़ में सिंचाई कर देने का गवर्नमेंट का इरादा है।

अब देखने की बात यह है कि १९५०–५१ में गवर्नमेंन्ट के साधनों से ७२ लाख ८२ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी जो दस साल के बाद ११२ लाख ८९ हजार एकड़ में हो गयी, यानी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से ४० लाख एकड़ में आबपाशी अधिक बढ़ गयी, दस सालों में। अब ५०–५१ में कुल रिसोर्सेज से जो आबपाशी होती थी, वह होती थी ११८ लाख ८४ हजार एकड़ और आज वह होती है १२४ लाख ६५ हजार एकड़ में। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं फिर दोहराऊंगा कि १९५०–५१ में कुल साधनों से सिंचाई होती थी ११८ लाख ८४ हजार एकड़ में जो दस साल के बाद १३० लाख ६० हजार एकड़ में हो गयी। इस तरह से जो टोटल आबपाशी बढ़ी वह ११ लाख ७६ हजार एकड़ में बढ़ी। अब कुयें और तालाबों आदि प्राइवेट सोर्सेज से जो आबपाशी ५०–५१ में होती थी वह होती थी ४६ लाख एकड़ में जो घट कर हो गयी ११ लाख ७६ हजार। यानी प्राइवेट सोर्सेज से आबपाशी ३४ लाख एकड़ में घट गयी, कुयें और तालाबों से जो पहले होती थी। जितना रुपया इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने सिंचाई के साधनों पर लगाया था उसका लाभ होना चाहिये था जिसके न होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जो किसान अपने छोटे-छोटे कुओं और तालाबों से सिंचाई करता था, वे खत्म होते जा रहे हैं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों से मेरी दरख्वास्त यह है कि वे अपने-अपने हल्के में इस तरह की हवा पैदा करें और किसानों को यह समझायें कि गवर्नमेंट इन साधनों पर रुपया लगायेगी तो बहुत देर लगेगी, उस पर बड़ा खर्चा होगा, उसमें देर होगी, टैक्स देना होगा, लेकिन जो कुयें तुम बनाओगे उसमें न देर लगेगी और न किसी के अधीन होने की बात होगी। उसमें आफिशियल कंट्रोल कोई नहीं रहेगा, फारेन एक्सचेंज का कोई सवाल नहीं आयेगा और उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा जो पुराने कुयें अन रिपेयर्ड पड़े हैं, अगर हम माननीय सदस्य अपने हल्के की इस प्रकार की सूची बना लें और कोशिश करें कि उन कुओं से फिर आबपाशी होने लगे तो मैं समझता हूं कि वे अपने हल्के की बड़ी भारी सेवा करेंगे और इस सूबे की भी बड़ी भारी सेवा करेंगे बजाय इसके कि गवर्नमेंट से बराबर यह कहा जाय कि ट्यूबवेल लगावे या नहर बनावे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई पोलिटिकल डिफरेंस का सवाल नहीं है। अगर हर जिले के एम०एल०एज० अपने जिले की प्लानिंग कमेटी में इस तरह की कोई योजना बनावें तो मैं समझता हूं कि उससे आप बड़ी भारी सेवा अपने प्रदेश की, अपने हल्के की और अपने जिले की करेंगे।

खाद का जहां तक संबंध है हमारे यहां ५१९.५१ लाख एकड़ जमीन में, नेट एरिया में खेती होती है। डबल क्राप एरिया ११०.२८ लाख एकड़ है। इस तरह से करीब ५ करोड़ ३० लाख एकड़ एरिया में खेती होती है। इसके लिये मैंने हिसाब लगाया तो करीब-करीब ७ लाख टन नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन सब से बड़ा जुज खाद का होता है और उसमें से जितना नाइट्रोजन हमको गोबर इत्यादि से मिलता है वह कोई पौने दो लाख टन है और बाकी रह जाता है ५ लाख टन। आर्गेनिक और इन आर्गेनिक दो किस्म की खाद होती है। आर्गेनिक में केमिकल, मिनरल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है, और वह है हमारे पास केवल डेढ़ लाख टन। तो कमी रह जाती है ५ लाख टन नाइट्रोजन की। इसका अर्थ यह है कि २४–२५ लाख टन हमें अमोनियम सल्फट चाहिये। ५ टन अमोनियम सल्फेट में एक टन नाइट्रोजन पैदा होता है और इस तरह से ५ लाख टन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिये साढ़े २५ लाख अमोनियम सल्फेट चाहिये जब कि हमारे सूबे में डेढ़ लाख टन अमोनियम सल्फेट की खपत हुआ करती है। अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो जमीन में पैदावार नहीं होगी, जमीन तो बैंक की तरह से है, उसमें जितना जमा करेंगे उतना ही ज्यादा मय सूद के आपको वापस मिल जायगा और अगर बैंक में से केवल निकाला ही जाय उसमें कुछ जमा न हो तो वह बैंक फेल हो जाता है। आज २४ लाख टन अमोनियम सल्फेट की जरूरत है जिसे हम तो दे भी नहीं सकते और किसान भी आज उसे लेने को तैयार नहीं है। उसको बहुत समझाना होगा। उसके पास साधन भी नहीं हैं। आज गवर्नमेन्ट इतना ज्यादा अमोनियम सल्फेट नहीं दे सकती है लेकिन उसकी कोशिश है, जिसमें आठ-दस साल लग सकते हैं। आज भी गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में हो रहा है लेकिन जो लोग अमोनियम सल्फेट के हामी हैं और गोबर में उनका विश्वास न हो तो भी क्योंकि हम इतना ज्यादा अमोनियम सल्फेट नहीं दे सकते, इस लिये उनको चाहिये कि गोबर आदि कम्पोस्ट खाद को बढ़ावें। आज गोबर का खाद के रूप में इस्तेमाल न कर के उसे लोग चूल्हे में जलाते हैं। आज जो इतनी हमारी इनर्जी चूल्हे में नष्ट हो रही है उसके लिये हमें नये किस्म के चूल्हे बनाने पड़ेंगे जिसमें गोबर के अलावा कोई दूसरे ईंधन का इस्तेमाल हो। इसके अलावा ग्रीन मैन्योर का प्रसार भी होना चाहिये।

अब बीज की बात रह जाती है, वह किसान को खुद लेना है। मुझे जहां तक अपने गांव के क्षेत्र का तजुर्बा है, मैं जहां गांव में पैदा हुआ हूं वहां का रिवाज मैं बता दूं ऐसा था कि किसान स्वयं अपना बीज रखता था और किसान सब जगह एक-सा ही होता है। अभी तक मेरा विचार है—अगर गलती पर मैं होऊं तो मेरे मित्र सामने बैठे हैं वह मेरी बात का सुधार कर दें—कि सब किसान आम तौर पर अभी तक अपने बीज को सम्हाल कर रखते हैं, अच्छी से

[श्री चरणसिंह]

अच्छी अपनी पैदावार को छांट बना कर और चुन कर अगली फसल के लिये बीज के तौर पर रिजर्व कर के रखते हैं। लेकिन अगर इस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि किसान यह समझने लगा है और हम समझने लगे हैं कि हर किसान को हर खेत के लिये बीज गवर्नमेन्ट को पहुंचाना है। अब यह तो ठीक है कि कोई नई किस्म का बीज हो तो उसका प्रसार करना गवर्नमेन्ट का फर्ज है लेकिन अगर कोई बीज पहले से अच्छा चला आ रहा है तो वह तो बोया ही जा सकता है। सब को बीज देने की आवश्यकता गवर्नमेन्ट को नहीं है क्योंकि जो अच्छा, पुरानी नसल का बीज है वह तो लोगों को बोना ही चाहिये। अभी तक बीज को सवाई पर देने का रिवाज था लेकिन हमने उस सिस्टम को खत्म कर दिया है। सवाई का सिस्टम यह था कि मान लीजिये कि किसान ने सितम्बर में एक मन बीज लिया तो जब उस की फसल आती थी तो उस से सवा मन बीज लिया जाता था। यह चौथाई मन ब्याज, ओवरहेड चार्जेज और मार्केट की कीमतों के डिफरेंस को मेकअप करने के लिये लिया जाता था। २५ प्रतिशत इस तरह से हम ज्यादा लेते थे लेकिन इस में लोगों को शिकायत होती थी और इसी वास्ते वह तरीका अब गवर्नमेन्ट ने छोड़ दिया है।

अब जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटी की या सीड स्टोर्स की बात है उन के मुताल्लिक अब गवर्नमेन्ट ने यह निश्चय किया है कि जो आज कोआपरेटिव सीड स्टोर्स के द्वारा अधिकतर बीज का वितरण होता है वह जहां ब्लाक्स नहीं हैं वहां थोड़ा बहुत होता रहे लेकिन जहां ब्लाक्स हैं वहां उसको डिसकन्टीन्यू करके हमने दूसरा तरीका सोचा है। अगर कोई नई नस्ल रिसर्च फार्म पर बीज को निकलती है तो हम उस को पहले अपने बड़े फार्म्स पर मलटिप्लाई करते हैं अपने अफसरों की देखरेख में और फिर जो विकास ब्लाक्स में हमारे फार्म्स बने हैं उन में हम पहले उन को मल्टीप्लाई करेंगे, वह हमारे फाउन्डेशन ब्लाक्स होंगे और हर ब्लाक में खंड बीज सहायक होंगे जिन को ३०० मन बीज जिसको कि वहाँ के लोग चाहते हैं दिया जायगा और ग्राम बीज सहायक उस बीज को अपने खेतों पर बोवेंगे। गांव सभा जो शर्तें तय करे उस के अनुसार किसान अपनी पैदावार को बदल सकते हैं, एक्सचेन्ज कर सकते हैं और कई गांव उस में होंगे। इस इम्प्रूव्ड किस्म के बीज की कीमत में २-३ रुपया मन का अन्तर होगा। ऐसा निश्चय अब हमने किया है। अभी तक जो कोआपरेटिव सीड स्टोर्स की शिकायत थी कि गड़बड़ी होती है, बीज वक्त पर नहीं मिलता है और सवाई पर जो दिया जाता है उसमें गवर्नमेंट बहुत ले लेती है, यह सब शिकायतें इस तरह से दूर हो जायंगी। मैंने आप की इजाजत से अर्ज कर दिया कि इस तरह से बीज के वितरण के सिस्टम को अब बदल दिया गया है।

हर जगह डेवलपमेन्ट ब्लाकस् में एक बीज फार्म २५ एकड़ का होगा, लेकिन अब फरवरी में हमने उस नीति को भी बदल दिया है। २५ एकड़ जमीन जो बहुत जगह ली गई वह छोटे छोटे किसानों से ली गयी। हमारे यहां छोटे छोटे किसान १ एकड़, २ एकड़ के हैं उससे ५० किसान एफेक्टेड हो गये। बहुत एजीटेशन हुआ और कुछ मानों में सही भी था। तो जो हम ले चुके थे वह जमीन ले चुके थे। अब आगे हर एक डेवलपमेन्ट ब्लाक्स से २५ एकड़ का फार्म हो जाय इस पर इसरार नहीं होगा। फिर उस कमी को कैसे पूरा किया जायगा? उस को ऐसे पूरा किया जायगा कि अब तक हम गवर्नमेन्ट के फार्म्स पर सवा सौ रुपये प्रति एकड़ खेती के खर्च के लिये देते थे, कंटिजेंसीज वह कहलाती थीं। अब हमने अपने अफसरों को बुला कर कहा है कि किसान जितना पैदा करता है सवा, डेढ़ या बराबर आप भी पैदा करते हैं तो गवर्नमेन्ट फार्म्स रखने का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। इनकी पैदावार बढ़ानी होगी। बजाय इसके कि किसानों से जमीन लें जितनी जमीन आप के पास है उस पर पैदावार बढ़ायें। उन्होंने अपनी कठिनाइयां बतलाईं। उन्होंने कहा कि कंटिजेंसीज का खर्चा बढ़ाना होगा। तो हमने अब सवा सौ रुपया प्रति एकड़ के बजाय उस को सवा दो सौ रुपये प्रति एकड़ करने का निश्चय किया है।

गवर्नमेन्ट फार्म्स क्यों लास पर चल रहे हैं? एक कमेटी बैठाई गयी थी। उसने कुछ सुझाव दिये थे। उन पर विचार हो रहा है और मेरा विश्वास यह है कि अब वह गवर्नमेन्ट के फार्म्स लास पर नहीं चलेंगे बल्कि उनकी पैदावार इतनी बढ़ जायगी कि जितनी जमीन हमारे पास है उस से काम चल जायगा और नये डेवलपमेन्ट ब्लाक्स के लिये जमीन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, किसान पानी भी अच्छा दे दे, खाद भी अच्छी दे दे, बीज भी अच्छा डाल दे और फसल उस की पक कर आये और उसमें लग गया रोग, तब तो उस रोग को मिटाने के लिये कोई किसान अपनी तरफ से तो मजबूर होता है कि उसके लिये इंतजाम कर सके और उस को न बताया जाय कि कौन-सी दवा उस रोग को मिटा सकती है, कहां से वह हासिल की जा सकती है और कैसे उस को इस्तेमाल करना चाहिये। तो अध्यक्ष महोदय, प्लान्ट प्रोटेक्शन सर्विस जो हमारी है उसकी ५१–५२ में २४ यूनिट्स थीं हमारे सूबे में यानी २ जिलों पर एक और अब १९६०–६१ में ४८ यूनिट्स हैं। हर रेविन्यू डिवीजन में और हर कमिश्नरी में एक मोबाइल ट्रेनिंग टीम कायम कर दी गयी है जो किसानों को यह समझायेगी कि फलां रोग में फलां कीड़े अगर गन्ने में या धान में या गेहूं में लग जायं तो फलां दवा इस्तेमाल होगी, फलां जगह हासिल होगी और फलां तरीके से इस्तेमाल होगी। उस को अनुदान और बीज वगैरा भी इसके लिये दिया जायगा। किसानों को ट्रेनिंग दी ब्लाक्स में कि वे अपने खेतों की रक्षा, किस तरह से इन बीमारियों से कर सकते हैं और उसके लिये अब उन्हें हेडक्वार्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न अफसरों के यहां टक्करें खानी पड़ेंगी।

अध्यक्ष महोदय, अब आती है औजारों की बात। उसमें ट्रैक्टर्स भी आते हैं और गांव के किसानों के खुरपी और हल भी आते हैं। इस गवर्नमेन्ट का जो इम्फैसिस है वह इम्प्लीमेंट्स पर है न कि ऐग्रीकलचरल मशीनरी पर और इसी गवर्नमेन्ट क्या हिन्दुस्तान की कंडीशंस में हर गवर्नमेन्ट का यही होगा कि जहां इतने ज्यादा किसान, कमी जमीन और छोटी ऐग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज लेकिन आज ऐग्रीकल्चरल मशीनरी का सवाल नहीं उठ सकता। कुछ हमारे मित्र जो सामने बैठे हैं वह इस तरह की मशीनरी लगा सकते हैं यद्यपि वह कहेंगे कि सीलिंग ऐक्ट लगा कर इस तरह का जिक्र करना अन्याय की बात है, और वह बात ठीक भी है। लेकिन कुछ तो कर सकते ही हैं जिससे ३०, ४० एकड़ के फार्म चल सकते हैं। लेकिन जो मामूली किसान हैं वह ४ एकड़, ३ एकड़ वह यह ऐफोर्ड नहीं कर सकता अगर चाहे तो भी। लिहाजा गवर्नमेन्ट ने एक स्माल इम्प्लीमेंट्स कमेटी मुकर्रर की आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स की और उनकी रिपोर्ट आयी है और कुछ दरांती, खुरपा या हल या जो छोटे-छोटे औजार हैं। यही छोटे-छोटे औजार, मशीनरी नहीं, उसके लिये एक छोटी सी बुकलेट लिखी गयी है कि कौन औजार कहां से मिल सकता है, कितने रुपये में मिल सकता है और उस को खरीदने के लिये अगर जरूरत हो और उस की क़ीमत १०, १५ रुपये से ज्यादा हो तो उस को कर्जा भी मिलेगा और शायद कुछ औजारों पर सबसिडी भी दी जायेगी। और जो गांव का लोहार है उस को सिखाने के लिये हर ब्लाक डेवलपमेन्ट में ऐग्रीकलचरल इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ़ से उन औजारों को बनाने, रिपेयर करने और मेन्टेनेन्स के लिये भी प्रोवीजन इस बार कर रहे हैं ताकि उन को सिखाया जा सके।

अब रह गये बैल। तो बैल के सिलसिले में हमारी समस्या यह है कि वे कमजोर हैं। तगड़े होने चाहिये। तगड़े यों नहीं होते तगड़े सांडों की कमी है। तो अब उसके लिये जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है आर्टिफ़िशियल इनसेमीनेशन सेन्टर्स का प्रबन्ध किया गया है जिसमें १ सांड १० सांड़ों की नेचुरल सर्विस का काम दे सकता है। १९५०–५१ में ८ आर्टिफ़िशियल इनसेमीनेशन सेन्टर्स थे, सेकेन्ड प्लान में ८४ हो गये और २०० सब-सेन्टर्स हो

[श्री चरण सिंह]

गये। अब हमारा इरादा यह है कि जो ५००, ७०० के करीब वेटेरिनरी अस्पताल हैं तीसरी योजना में हर अस्पताल को आर्टिफ़िशियल इनसेमीनेशन सेन्टर भी बना दें।

अध्यक्ष महोदय, हमारी गाय, भैंसों की नस्ल अच्छी हो सके इसके लिये सरकार की तरफ से एक स्कीम काम कर रही है, उससे कुछ फायदा भी हुआ। वह स्कीम यह है कि ५० रुपये लेकर ११००, १,२०० रुपये का एक विजार सरकार ने गांव सभाओं को दिया है वह जंगल में रहता है, स्टाल फ़ीडिंग उस की हो नहीं सकती। वह कभी इस खेत में खाता है, वहां से भगाया जाता है तो दूसरे खेत में चरता है, बहुत सी जगह जख्मी भी कर दिये गये जिसका नतीजा यह हुआ अगर वह ८ साल सर्विस देता तो ४ साल ही सर्विस दे पाता है। इसलिये हमने यह तय किया है इस सिस्टम को डिसकंटीन्यू कर दिया जाय और हर वेटेरिनरी अस्पताल में आर्टिफ़िशियल इनसेमीनेशन सेन्टर का प्रबन्ध किया जाय। यदि माननीय सदस्य मुझे माफ़ करें, मैं अभी मेरठ गया था वहां एक गांव में लोगों ने ऐसा इंतजाम किया उन्होंने बुल शैड बनाया, जिसका मैंने उद्घाटन भी किया था, एक बहुत अच्छा भैंसा उन गांव वालों के पास जानवरों के साथ आ गया। तो गांव पंचायत ने यह किया कि थोड़ी सी जमीन दे दी और २,००० रुपये का एक शेड बना दिया। वह भैंसा उसमें रहता है, एक आदमी उसकी फ़ीडिंग करता है, और उसकी सर्विस के चार्जेज मुकर्रर कर दिये गये। ओवर आल सुपरवीजन गांव सभा का रहेगा, लेकिन इमीडियेट सुपरवीजन और इकोनोमिक इंटरेस्ट उस आदमी का हो गया जिसके इमीडियेट सुपरवीजन में वह रखा गया है। आया यह स्कीम सब जगह चल सकेगी कि नहीं, गांव वालों को इंसेन्टिव होगा कि नहीं इस सिलसिले में हमारा विचार करने का इरादा है। अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सुझाव देंगे तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे। वैसे जो प्लान में स्कीम थी वह यह थी कि हर गांव सभा, ५, १० एकड़ जमीन दे बुल को मेन्टेन करने के लिये और सरकार १०, ५ हजार रुपया दे। मैं उस को इमप्रेक्टीकेबिल समझता हूं कि अगर ५, १० एकड़ जमीन इसी गांव के पास होती तो अब तक हल चल गया होता। गांव पंचायत के पास इतनी जमीन कहां है? फिर कौन उस को बोयेगा? कौन फसल की रखवाली करेगा? कौन उस बुल को खिलायेगा? तो उसके बजाय यह तय किया कि अब हर वेटेरिनरी हास्पिटल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेन्टर हो और दूसरी बात जो मेरठ में है उस पर भी विचार करने का इरादा है।

अध्यक्ष महोदय, पूंजी बढ़ाना चाहिये। खेती का ढंग बेहतर से बेहतर हो। अच्छी तरह से जोता जाय, बोया जाय और अच्छी तरह से गोड़ा या निरोया जाय और अच्छी तरह आबपाशी दी जाय। यही इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रेक्टिसेज हैं। यही चीन, जापान, इटली और दूसरे स्थानों पर होता है। कई जगह कम्युनिटी डेवलपमेन्ट्स का प्रसार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, खेती के काम को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सपेंशन। रिसर्च के लिए हमारे यहां १९५०–५१ में १४ रिसर्च स्टेशन थे। सेकिंड प्लान में इसकी तादाद हो गयी २५ और थर्ड प्लान में १४ रिसर्च स्टेशन और खुलने जा रहे हैं। जहां तक एजूकेशन और ट्रेनिंग का सवाल है, रुद्रपुर यूनिवर्सिटी नई खुल गई। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज पहले से काम कर रहा है। प्राइवेट स्कूल व कालेजेज को गवर्नमेन्ट मदद देती है। प्राइवेट स्कूल तथा कालेजेज बहुत से हो गये हैं जहां एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाती है। इस वर्ष हमारा विचार यह है कि कुछ अफसरों को जो कि १० या २० वर्ष पहले पास कर के आये थे गवर्नमेन्ट एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर से उनको रिफ्रेशर कोर्स दिया जाय। उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी थीं उनको नई प्रेक्टिसेज से अवगत कराया जाय। साथ ही स्वायल कंजर्वेशन का, शहद की मक्खियों को पालने का तथा बाग वगैरह लगाने की ट्रेनिंग का भी इन्तजाम हो रहा है।

अब कुछ लोगों का खयाल यह है कि उत्तर प्रदेश दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत पिछड़ गया है तो यह ग़लत बात है बहुत हद तक। ग़लत इसलिये है कि हमारे यहां सेकिंड फाइव

ईयर प्लान का टार्गेट १४२ लाख टन फूड प्रोडक्शन का था वह १५७ लाख टन हो गया। आयल सीड का ११ लाख ८० हजार टन था वह १३ लाख २८ हजार हो गया। गुड़ का था ३८ लाख ९८ हजार टन और वह हो गया ५३ लाख ६५ हजार टन। कपास का था १ लाख १० हजार बेल्स। उसमें हम पिछड़ गये। वह हुआ ४० हजार बेल्स। पटसन का था १ लाख ४० हजार बेल्स। वह करीब-करीब पूरा हुआ और वह हुआ १ लाख ३ हजार बेल्स। सन् १९६१–६२ का जो टार्गेट था वह टार्गेट से ज्यादा हुआ। जहां तक पटसन का सवाल है थर्ड फाइव ईयर के लिये जो टार्गेट थे उनको १९६१–६२ में ही पूरा कर लिया। थर्ड प्लान में गन्ने का टार्गेट था ४८ लाख ८१ हजार टन गुड़ की शक्ल में पैदा करना उसमें ४० लाख टन हो गया। १९६१–६२ में ४५ लाख टन पूरा नहीं हुआ लेकिन इस साल ज्यादा होगा। यही हालत पटसन की है।

अब खेत की पैदावार बढ़ रही है या नहीं यह एक साल के आंकड़े से कहना बड़ा मुश्किल होता है। खेती की पैदावार में वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वह लाजिमी है। वेदर को एलिमिनेट किया जा सके यह असम्भव है क्योंकि एग्रीकल्चर एक बायोलाजिकल प्रोसेस है जो वेदर पर डिपेंड करता है। तो वेदर के फैक्टर को एलिमिनेट किसी मुल्क में आज तक न ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में किया जा सकता है और न किया जा सकेगा। फिर भी यह अन्दाज लगाने के लिये कि वाकई पैदावार बढ़ रही है या नहीं इसके लिये जहां हम एक साल के आंकड़ों पर निर्भर नहीं कर सकते वहां बहुत सोच विचार कर दुनियां भर में एक तरीका निकाला गया है जिसको कहते हैं मूविंग ऐवरेजेज। मान लो कि १९६०–६१ का ऐवरेज निकालना है तो १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ तीनों साल का ऐवरेज निकालना होगा। तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि १९५१–५२ में ११४ लाख टन हमारे फूडग्रेन्स की पैदावार थी। अब मैं सन् छोड़ देता हूं और सिर्फ पैदावार को ही बताता हूं। पहले हमारी पैदावार हुई ११६ लाख ८० हजार टन, फिर हुई १२४ लाख ३१ हजार टन, उसके बाद हुई १२४ लाख ५० हजार टन, फिर हुई ११८ लाख २२ हजार टन, उसके बाद १२३ लाख ३७ हजार टन, उसके बाद हुई १२६ लाख ७ हजार टन। १९५९–६० में हुई १३ लाख ३२ हजार टन। १९६०–६१ की मालूमात तब हो जब १९६१–६२ की भी फ़ोगर्स आ जायं। लेकिन जो प्राविजनल फ़ोगर्स १४४ लाख टन की हैं उन्हीं को मान लिया जाय तो मूविंग ऐवरेज १९६०–६१ का १३९ लाख ६० हजार टन होती है। तो पैदावार बढ़ रही है, घट नहीं रही है।

जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है वह एक चिन्ता का विषय है। गन्ने में हमारा एवरेज तो बढ़ता जाता है मगर प्रोडक्शन पर एकड़ नहीं बढ़ रहा है। और जैसा कि सब मित्रों को मालूम है दक्खिन में पैदावार फी एकड़ बहुत ज्यादा है। हमारे यहां १९६०–६१ में १४ लाख टन शक्कर पैदा होगी जबकि टार्गेट था ११/२५ लाख टन का। और एरिया १९५९–६० में फैक्टरी जोन्स के अन्दर था १९ लाख १४ हजार एकड़। वह १९६१–६२ में, २ साल के अन्दर २४ लाख एकड़ हो गया, यानी २५ फीसदी बढ़ गया। आन्ध्र में गन्ने की पैदावार ९३३ मन फी एकड़ है जब कि हमारे यहां केवल ३०८ मन है। उसके लिए इसी साल बजट में १ करोड़ ८३ लाख रुपया माइनर इर्रीगेशन फैसिलिटीज के लिये रखा गया है और १ करोड़ ५० लाख रुपया खाद वगैरह के लिये, बीमारियों को नष्ट करने के लिये और डिमान्स्ट्रेशन वगैरह करने के लिये। यह गवर्नमेंट की तरफ से गन्ने की पैदावार बढ़ाने की कोशिश हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी इजाजत से यह अर्ज किया था कि टोटल फूडग्रेन्स में हमने टार्गेट्स पूरे कर लिये हैं। अब देखना यह है कि अलग-अलग जो हमारी फसलें हैं दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हम उनमें कहां स्टैंड करते हैं। तो तीन फसलों गन्ना, मक्का और चावल, को छोड़ कर

[श्री चरणसिंह]

बाकी जो आल इंडिया एवरेज है उससे यू० पी० का हायर है। मस्लन में ५–७ फसलों के नाम लेता हूं।

नाम फसल	प्रदेश का एवरेज	आल इंडिया का एवरेज
	मन प्रति एकड़	मन प्रति एकड़
चावल	७.२४	१०.३६
मक्का	७.६५	९.४०
गुड़	३०.८	४०.६०
अब मैं उन फसलों के नाम लेता हूं जिनमें हमारा एवरेज ज्यादा है—		
गेहूं	९.५८	७.१४
ज्वार	६.८६	५.५४
बाजरा	५.३८	३.४३
बारली	९.०२	८.९८
चना	६.९७	६.२८
आइल सीड्स	५.९६	५.८०
काटन	१.३१	१.१४

वैसे हमारी पैदावार बहुत कम है लेकिन लोगों का यह खयाल कि हमारी पैदावार दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम है, यह खयाल बिलकुल गलत है। हां, हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब खेती के सिलसिले में और भी बहुत सी बातें कहनी हैं। लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। अब मैं पशुपालन विभाग का जिक्र करना चाहता हूं। इस विभाग की जो समस्यायें हैं वे तीन हिस्सों में तकसीम की जा सकती हैं। इम्प्रूवमेंट आफ ब्रीड, फौडर डेवलपमेंट और कंट्रोल आफ डिजीजेज। जानवरों की नस्ल सुधारें। इसके बारे में मैं कह चुका हूं। लेकिन जहां तक चारे का सवाल है, यह बड़ा मुश्किल काम है। जिसको चरागाह कहते हैं वे ग्रेजिंग ग्रांउन्डस हैं और हमारे गांवों में जमीन की वैसे ही बहुत कमी है। जो जमीन खेती के लायक नहीं रहती वह पास्चर हो जाते हैं। १९५३–५४ में मेरे पास यह प्रस्ताव आया था कि हर गांव में पास्चर के लिये एक चौथाई जमीन रिजर्व कर दी जाय। मालूम होता है कि ऐसे लोगों को गांवों की दशा का पता नहीं है। एक ही बात हो सकती है कि जो खेतों में हमारा चारा पैदा होता है वह ऐसा हो जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा हो। यह मानी हुई बात है कि बिना चारे के जानवर नहीं रह सकता है। इसका एक ही रास्ता है कि इस तरह के जानवर हों जो कम खायें और काम ज्यादा करें। चारा कम खायें और दूध ज्यादा दें। ऐसी नस्लें होती हैं जो कम चारा खाकर ज्यादा दूध देती हैं। हमने अपने विभाग वालों से कहा है कि इस तरह की फसलें बढ़ाओ और दूसरी बात यह है कि इस तरह का चारा खोजो जो प्रति एकड़ ज्यादा हो सके और जिसमें कैलशियम ज्यादा हो। मस्लन हरियाने के जो गाय बैल अच्छे होते हैं उसका एक रहस्य है। वह यह है कि वहां पर एक घास होती है अंजना। इसमें कैलिशयम ज्यादा होता है। इसको खाने से

जानवर की हड्डी मजबूत होती है और वह दूध ज्यादा देता है। इसके लिये हम फौडर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जिसमें फौडर की रिसर्च होगी और अच्छे से अच्छे पौधे और घास ढूंढी जायगी।

जहां तक बीमारी का सम्बन्ध है, रेंडरपेस्ट से पचास फीसदी जानवरों की मृत्यु हमेशा होती है, जो बीमारियों से मरते हैं। रेंडरपेस्ट को इरेडिकेट करने लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २५ जिलों में १०५ लाख के लगभग जानवरों को टीके लगाये गये और इंडो-नेपाल बार्डर पर ६ क्वारंटाइन स्टेशन खोले गये और २० सेंटर जानवरों का मास ट्रीटमेंट करने के लिए खोले गये। १९६१–६२ में लगभग ३४ लाख जानवरों के टीके लगाये गये दस जिलों में, चार सेंटर मास ट्रीटमेंट के लिए खोले गये। १९६२–६३ में चार और पैरासिटिक सेंटर खोलने का विचार है और दस जिलों में और मास इम्युनाइजेसन का काम करने का विचार है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २९० वेटरिनरी अस्पताल खोले गये। १९६१–६२ में ८० और अस्पताल खोले गये और पांच अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया गया। इस चालू वर्ष में ६० और अस्पतालों के खोलने का विचार है।

जानवरों का इलाज करने के लिए डाक्टरों की जरूरत पूरी करने के लिए मथुरा में वेटरिनरी कालेज खोला गया था। यह हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी इफीशेंसी के लिए बहुत ऊंची शान रखता है। यहां पर बाहर से भी ट्रेनिंग पाने के लिए लोग आते हैं। छः मजमूनों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी खुले हुए हैं। पांच मजमूनों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज और खोलने का विचार है। स्टाकमैन की ट्रेनिंग पहले साल भर की होती थी। अब डेढ़ साल की कर दी गयी है, गंजरिया फार्म पर।

अध्यक्ष महोदय, अब रह गयीं मछलियां। मछलियों का डेवलपमेंट होना इस सूबे के बहुत हित में है। कुछ लोगों का खयाल है कि फूड प्राबलम को हल करने के लिए अगर गोश्त खाया जाय तो समस्या बहुत हल हो सकती है। कुछ लोगों का खयाल यह है कि चूंकि खेती पर इतना प्रेशर है, अगर मांसाहारी हो जायं तो फूड प्राबलम में बहुत रिलीफ हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो गोश्त खाता नहीं। जो लोग गोश्त खाते हैं उनको मुबारक। मैं डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। जरूर खायें। लेकिन जो मुल्क डेंसली पापुलेटेड हो, उसके लिए बुद्धिमानी की नीति यह है कि विजिटेरियन हो। उनका कारण यह है कि जितने एकड़ में चारा बो कर जानवरों को खिला कर उसका जितना गोश्त उस चारे से बना, वह चारा गोश्त की शक्ल में बन गया, उस गोश्त को जितने आदमी खाकर पेट भरेंगे, सब साइंटिस्टस का मत है, उनके नाम मैं बतला सकता हूं, कि उस जमीन में कम से कम ६, ७ गुना आदमियों के लिए अन्न पैदा हो सकता है। यह है साइंस। लिहाजा यहां अगर नान वेजिटिरियनिज्म बढ़ जाता है तो उससे कम से कम फूड समस्या हल नहीं होती है क्योंकि कैटिल कंपीट करता है ऐग्रीकल्चरल प्रोडाक्ट्स के लिए। लेकिन मछली में यह खूबी है कि इसके लिए जमीन के रिसोंसेज नहीं चाहिए इसकी फसल जमीन पर, खेत पर नहीं होती, यह आदमी से अपने फूड प्राडक्ट्स के लिए कम्पीट नहीं करतीं। पानी में पैदा होती है। पानी में आदमी के लिए कोई चीज नहीं पैदा होती है। लिहाजा जितनी नदियां, नाले और तालाब, पोखर आदि हमारे सूबे के अन्दर हैं अगर उनमें मछलियां पैदा की जायं, मछलियों की पैदावार बढ़ाई जाय तो यह देश के हित में होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा स्वराज्य हुआ, मछलियों की बात करते हैं और अभी तो मैं एक सुअरों की फैक्ट्री खोल कर आया हूं। मैंने वहां कहा भी कि नान वेजीटेरियन आदमी होते हुए भी मैं यह सुअरों की फैक्ट्री खोल रहा हूं, लेकिन वह मैं चरण सिंह की हैसियत से नहीं बल्कि आपके एजेंट के हैसियत से खोल कर आया हूं। तो जो हमारे यहां गोश्त खाने वाले हैं, वह खायें। लेकिन मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मछलियों का गोश्त खायें और मछलियां पालने लगें और हमारे अधिकारियों से मछलियां पालने का तरीका सीख लें, मछलियां पालने में अपने

[श्री चरण सिंह]

गांव के तालाबों वगैरह में मदद करें तो यह पब्लिक इन्टरेस्ट सर्व करेगा। (व्यवधान) सिंघाड़े से मछलियों में कहीं ज्यादा प्रोटीन वगैरह होता है।

सुअरों का भी इसमें जिक्र है। डेवलपमेंट ब्लाक में हमने कुछ सुअरों के साड़ दिये हैं जिससे कि उनके बच्चे सुधरें और जितने इस तरह के ब्लाक्स पहले थे ६१–६२ में उसके बाद तीन और कायम किये और ६२–६३ में उनके अलावा तीन और ब्लाक कायम कर रहे हैं। उनकी बीमारी के बारे में अध्यक्ष महोदय, आपने अभी एक सवाल की इजाजत दी थी जिसका जवाब हमारे सहयोगी ने कल दिया था। सुअरों में एक बीमारी, एक बुखार फैल गया। उसका इलाज हमें मालूम है लेकिन दवा नहीं है। बाहर से मंगाई गई। यह सुअर जो हैं, इनका गरीब आदमियों की एकोनामी में बड़ा हाथ है। हमारे हरिजनों में बहुत से लोग इसे पालते हैं और शामली की तरफ और एटे की तरफ कुछ इसका शौक लोगों को हो गया है और मजे की बात यह है कि एक सूअरी साल भर में १५ बच्चे देती है। हर पांच महीने में एक सूअरी औसतन सात-आठ बच्चे देती है। इस तरह साल भर में १६ या १५ हो जाते हैं। और ज्यादातर वैस्ट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। मैंने अलीगढ़ में जो फैक्ट्री खोली उस वक्त मैंने भी यही बात कही थी कि मक्का सबसे ज्यादा इनको खिलाया जाता है दक्षिण अमेरिका में और सबसे ज्यादा सुअरों का मांस वहां से दुनियां भर में भेजा जाता है। लेकिन मैंने अपने अधिकारियों से यह कहा कि खेत में जो चीज पैदा न हो, या खेत की पैदावार का जो वैस्ट मैटीरियल हो वह उनके खाने के लिए खोजें ताकि इनका भी आदमी से कम्पटीशन न हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—सुअरों के बाल के उद्योग के सम्बन्ध में आपने कुछ इन्तजाम किया है ?

श्री चरणसिंह—बहुत मुमकिन है कि किया हो। लेकिन यह इन्तजाम जो है कि सुअरों के बाल का कैसे उपयोग हो वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से वास्ता रखता है और मेरा ख्याल है कि कुछ हो रहा है। अगर माननीय मित्र चाहेंगे तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

भेड़ की नस्ल का विकास और उसका सुधार भी जरूरी है। खास तौर से जब से तिब्बत से ऊन आना बन्द हो गया है, तब से इसकी और भी आवश्यकता बढ़ गई है। तो पालवर्थ नस्ल की भेड़ हमने सन् ५४ में मंगायी। उसको हम अक्लिमेटाइज करना चाहते हैं जिसमें कि वह यहां जिन्दा रह सकें, मरें नहीं। तो दो–तीन बार मंगायी, जिनमें से बहुत सी मर गईं, लेकिन बहुत सी अक्लिमेटाइज हो गईं। अब उसके लिए रिसर्च हो रही है और रिसर्च सेंटर उसका पशुलोक में है।

गांवों में मुर्दा जानवरों के चमड़े जो निकाले जाते हैं वह जो लोग हैं इसे निकालते हैं, वह जानते हैं कि कैसे वह निकाले जाते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। उसके लिए एक हाइड पलेइंगसेंटर बक्शी के तालाब पर चल रहा है। एक डच साहब की देख-रेख में वह चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, आपसे और दूसरे सदस्यों से भी दरख्वास्त करूंगा कि एक रोज उसको चल कर देखें। वहां पर दूसरे देशों से भी लोग देखने आते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट वह ट्रेनिंग देने के लिये पैसा देता है। हमारे सूबे में बहुत से लोग वहां पर ट्रेनिंग की शिक्षा लेते हैं ताकि चमड़े का उपयोग हो सके।

हमारे यहां ११ बड़े-बड़े फार्म हैं जहां पर एग्रीकल्चर तथा पशुपालन का काम भी होता है। उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। उनमें अच्छी नस्ल के बीज पैदा किये जाते हैं और पैदा हो रहे हैं।

अन्त में १, २ बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सी योजनायें चल रही हैं। मैं उन सब को यहां पर बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे की जो गरीबी है उसका रहस्य २, ३ बातों के अन्दर

छिपा हुआ है। चावल की पैदावार हमारे सूबे में हिन्दुस्तान के सब सूबों के मुकाबले में बहुत कम है। हर सूबे में हमारे देश के ३ साल का एवरेज हर फसल की पैदावार का क्या है उसके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं।

(इस समय १ बज कर ४३ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

हमारा सूबा ज्वार की पैदावार में चौथे नम्बर पर है। बाजरा में तीसरा नम्बर है। मक्का में हम पांचवें नम्बर पर हैं और गेहूं में हम लोग तीसरे नम्बर पर हैं। जौ में हम तीसरे नम्बर पर हैं। चने में हम तीसरे नम्बर पर हैं और अरहर में जरूर हमारा पहला नम्बर है। लेकिन चावल की पैदावार में हम दसवें नम्बर पर हैं। सब से कम पैदावार चावल की हमारे यहां है। चावल की पैदावार ५७५ प्वाइन्ट फी एकड़ हमारे यहां होती है जब कि मद्रास में १,२७५ प्वाइन्ट फी एकड़ पैदा होता है। हमारे यहां जितने एरिया में खेती होती है वह ४ करोड़ ५६ लाख एकड़ है। इसमें डबल क्राप की जमीन भी शामिल है। उस जमीन में १ करोड़ २, ३ लाख एकड़ का रकबा ऐसा है जिसमें धान की फसल बोई जाती है। इसके अन्दर रकबा सबसे ज्यादा है लेकिन पैदावार सब से कम है। इसकी पैदावार बढ़ाने के ऊपर हमको बहुत बल देना है। २३ फीसदी रकबा इस फसल के अन्दर है जो कि सबसे ज्यादा रकबा है। जब २३ फीसदी के रकबे में पैदावार सबसे कम होती हो तो फिर उस प्रदेश की गरीबी का रहस्य समझ में आ जाता है। सब से कम रकबा जो है वह गन्ने की काश्त के अन्दर है। हमारे यहां ८ फीसदी रकबे में गन्ना बोया जाता है। इसलिये उस सब से बड़े रकबे की पैदावार बढ़ाने से ही हमारी गरीबी का इलाज हो सकता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, गरीबी का कारण यह है कि हमारे यहां एवरेज लैन्ड पर कैपिटा यानी लैंड परमैन रेशियो बहुत कम है। वह .८९ एकड़ है। हिन्दुस्तान की सब जमीन को अगर तकसीम कर दिया जाय तो उसका रेशियो .८९ एकड़ एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर वह रेशियो .६६ है। वैसे कई सूबे में ज्यादा है लेकिन कई सूबों में कम है। आल इंडिया के फिगर को यदि हम देखें तो .६६ और .८९ में बहुत बड़ा फर्क है। अध्यक्ष महोदय, यह एक फैक्टर हुआ और यदि दूसरे फैक्टर को जोड़ा जाता है तब हमारी गरीबी का कारण स्पष्ट हो जाता है। वह यह है कि ७४ फीसदी जनता जमीन पर गुजर करती है जो आल इंडिया की ६९ फीसदी है। केवल हिन्दुस्तान के अन्दर तीन ही सूबे उड़ीसा, मध्य-प्रदेश और बिहार ऐसे हैं जहां पर खेती करने वालों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। मैं ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा लेकिन दुनिया का तजुर्बा बतलाता हूं कि अगर दो जिलों में, या दो देशों में, जमीन बराबर-बराबर हो, तो जिस इलाके में गैर जराती पेशे करने वाले लोग ज्यादा हैं वह देश मालदार होगा बमुकाबले उसके जहां कि गैर जराती पेशे वाले कम मात्रा में हैं। तो आज कल हमको दूसरे पेशों में जाना है।

फिर, जो हालत आज हमारी दूसरे सूबों के मुकाबले में गिरी हुई है उसका एक मुख्य कारण हमारा दृष्टिकोण है। मुझे खेद के साथ यह तस्लीम करना पड़ता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो अपनी हालत को सुधारने के लिये मेहनत नहीं करना चाहते, वे नयी चीजों के सीखने के लिये तैयार नहीं हैं और उनका फेटीलिस्टिक आऊट लुक बन गया है, वे भाग्य पर ही निर्भर हैं। तो जो इलाका भाग्य पर ही विश्वास करता है कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप देखें, उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी इन्डस्ट्रीज हैं वे करीब-करीब सभी गैर यू० पी० के आदमियों के पास हैं। कानपुर में देखिये, कोई फैक्टरी सिंधी के पास है, कोई पंजाबी के पास है, कोई किसी के पास है, मगर यू० पी० वालों के पास शायद ही कोई हो। यही नहीं, सन् ४८ में जो भी लोग बर्बाद हो कर आये, वे जहां भी बैठ गये उन्होंने वहां के रहने वालों के मुकाबले अच्छी पोजीशन बना ली। मैं मेरठ का रहने वाला हूं,

[श्री चरणसिंह]

गाजियाबाद में मैंने करीब ११ साल वकालत की और उस वक्त वहां पर एक भी फैक्टरी नहीं थी, शायद एक लाला जय प्रकाश जी की थी, लेकिन आज वहां पर करीब १०३ फैक्टरीज हैं। वहां आबादी केवल पहले २५–३० हजार थी जो आज करीब ७५ हजार के है। उन १०३ फैक्टरीज में से १०० फैक्टरीज यू० पी० से बाहर वालों की हैं और ३ फैक्टरीज ऐसी हैं जिनमें यहां के लोगों ने कुछ हिस्सा ले रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो एक बात और कह दूं और वह यह कि सन् ६० में मैं देवरिया गया था, वहां मुझे कांग्रेस वालों ने बुलाया था, उस वक्त मैं मिनिस्टर नहीं था। पर लोग मुझे लेने के लिये कार लेकर स्टेशन पर आये। वहां मैंने ५–६ देहातों में व्याख्यान दिया और इसी मेहनत करने के विषय पर जोर दिया। मेरे साथ रामलाल चतुर्वेदी जी तथा मंगल पांडेय जी, शायद थे। मैंने उनसे पूछा कि यह कार किसकी है। मुझे बताया गया कि एक रिफ्यूजी की है। उन्होंने बताया कि उस शरणार्थी ने एक फैक्टरी वहां कायम कर ली है। मैंने कहा कि राम लाल जी, कभी देवरिया वालों ने कोई फैक्टरी कायम नहीं की, और इन लोगों ने इतनी जल्दी यहां फैक्टरी कायम कर ली। तो उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता।

यही हालत बिहार की भी है। बंगाल की भी यही हालत है। हमारे लड़के क्लर्की की तरफ बढ़ेंगे। यदि कोई कांग्रेसी का लड़का बी० ए० पास होगा तो वे मिनिस्टरों के पास दौड़ेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि अगर नौकरी करनी है तो किसी पंजाबी के यहां जाकर कर लो। मेहनत करने को तैयार नहीं, पुराने तरीकों को छोड़ने को तैयार नहीं, भाग्य पर ही निर्भर रहने की आदत है, तो जब तक यह रहेगा, मैं कहता हूं कि आपकी एक पंचवर्षीय योजना नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, १० योजनायें फेल हो जायेंगी। कोई फायदा नहीं होगा, लोगों में इच्छा ही नहीं कि अपनी हालत सुधारें।

अध्यक्ष महोदय, मि० भटनागर झांसी के कलेक्टर थे अभी आये हैं। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं। मैंने उनसे जिक्र किया एक पुस्तक का जिसमें लिखा था कि तुंगभद्रा से जो नहर निकली है दक्षिण में उसके बारे में एक लेखिका ने लिखा था। उसने लिखा है कि गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि ३ साल तक नहर का पानी मुफ्त मिलेगा। गंगावती नाम के ताल्लुके से वह नहर होकर गयी है। लेकिन गांव वाले नहर का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब मैंने यह बात कही तो अफसर ने मुझ से कहा कि हम लोग ट्रेलर में सामान भर कर ले जाते हैं---इनफेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स---और लोगों से कहते हैं कि चौथाई हिस्से में खेत को इस्तेमाल करके देख लो, लेकिन नहीं तैयार हैं। डिप्टी सेक्रेटरी ने सुनाया कि एक विलेज वर्कर ने एक किसान को डिबलिंग करके दिखलाया और सारे खेत में करके दिखला दिया---कोई बारीक बात नहीं थी। लेकिन किसान मेंड पर बैठा रहा, उसको क्या फिक्र है, जिम्मेदार विलेज वर्कर है जिम्मेदारी बी० डी० ओ० की अटकी हुई है। अगले साल उसने फिर डिबलिंग नहीं किया,

जापानी मेथड से धान की खेती के सिलसिले में बहुत प्रचार किया गया, मैं तब भी मिनिस्टर था, लेकिन यहां का पेडी कल्टीवेशन लोएस्ट था। ३ जापानियों ने यहां आकर तिगुनी पैदावार करके दिखला दी इन्हीं कंडीशंस में और गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिपोर्ट दे दी। तो जब हम खुद कोशिश करने को तैयार नहीं हैं, हमारे किसान या मासेज मेहनत करने को तैयार नहीं है, जब तक हमारा यह खयाल है कि साहब रुपया कमाना पाप है, जो रुपया कमाता है वह नर्क में जाता है तो कोई प्लान काम नहीं देंगे और गरीबी मिटना असंभव है। लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। हमारा जो मेंटल क्रस्ट है यह धीरे-धीरे टूटता जा रहा है, यह जरूर है कि हमारी स्पीड बड़ी लो है, इसके लिये वास्ट एजूकेशन एफर्ट्स की जरूरत है। पहले लोगों में इच्छा तो हो। वह नहीं है। यह अजम्पशन कि किसान अपनी हालत सुधारना चाहता है, यह गलत है। उसके अन्दर इच्छा जाग्रत करने की जरूरत है तब जाकर गरीबी मिटेगी। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांगें माननीय सदन की

स्वीकृति के लिये पेश करता हूं और साथ ही माफी चाहता हूं कि मैंने उनका बहुत अधिक समय ले लिया और शायद वह लोग जो बात कहना चाहते थे उसके लिये उनको कम समय मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह, आप चारों प्रस्तावों को इकट्ठा पेश कर दें ।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---वह तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना समय मुझे आप देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--आप कितना चाहते हैं ?

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह---४० मिनट तो आप देते ही हैं, वही दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--आधा घंटा ले लीजिये ।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह---श्रीमन्, इतनी महत्वपूर्ण बातें और इतने अच्छे उपदेश मंत्री जी ने दिये हैं, तो मुझे भी दो-चार शब्दों के कहने का साहस हुआ है । ४० मिनट तो दे ही दें।

श्री उपाध्यक्ष---४० मिनट ही सही।

श्री उग्रसेन---माननीय सदस्यों को कितना समय मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---७–७ मिनट मिलेगा ।

श्री उग्रसेन---१५ मिनट तो दे दें, इतने उपदेश के बाद हमें भी तो कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिये ।

***श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अनुदान संख्या २१,२२,२३ और ४७ के सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री उपाध्यक्ष---किस नम्बर का कटमोशन आपने रखा है ।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह---श्री यादवेन्द्र दत्त वाला मैंने प्रस्तुत किया है, मेरे प्रस्ताव में कुछ वैधानिक गल्ती हो गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है ।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह---हमारे योग्य और अनुभवी मंत्री महोदय ने जो कृषि की महत्ता बयान की है मैं उससे अक्षरशः सहमत हूं । आज हमारे प्रदेश में कृषि ने ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है कि सारी प्रगति उसी पर निर्भर करती है । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश करते हुये कहा था कि सरकार ने कृषि को उद्योग के समकक्ष महत्व देने का निश्चय किया है । उस समय हमें थोड़ी ठेस पहुंची थी । मैं समझता था कि कृषि को उससे भी अच्छा स्थान मिलेगा । जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, जो कृषि की आवश्यकतायें और महत्व है, वास्तव में उसका स्थान भी वैसा ही ऊंचा होना चाहिये । मंत्री महोदय ने कहा कि जो विभाग हैं उनकी अहमियत हो या न हो लेकिन कृषि की अहमियत बहुत बड़ी है । मैं समझता हूं कि उन्होंने कहने में थोड़ा सा संकोच किया क्योंकि वह कृषि मंत्री हैं । वास्तव में कृषि को जो स्थान और महत्व मिलना चाहिये वह सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है । आज आप देखें कि हमारी तीन चौथाई पापूलेशन कृषि पर निर्भर करती है । हमारी टोटल इनकम

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

का ५५ फीसदी हमें कृषि से मिलता है । इसका इतना महत्व है लेकिन इसको इंडस्ट्री के समकक्ष रखने की बात कही गई । मैं नहीं कहता कि इंडस्ट्री न बढ़ाई जायं लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इंडस्ट्री और हेल्थ, सारी चीजें कृषि पर ही निर्भर करती हैं, इस कारण इसको ऊंचा स्थान मिलना चाहिये ।

आप देखें कि सारी इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल या लार्ज स्केल, वह केवल डेढ़ लाख मजदूरों को काम देती हैं । आप इस पर भी गौर करें कि हमारी १,८५७ करोड़ की टोटल आमदनी का आठवां हिस्सा ही इंडस्ट्री से होता है अर्थात् ४७ करोड़ बड़ी इंडस्ट्रीज से और १८५ करोड़ छोटी इंडस्ट्रीज से इनकम होती है । यह एक मानी हुई बात है और विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि यदि कृषि को ऊंचा स्थान दिया जाय, उन्नति के अवसर दिये जायं तो बढ़ते हुये अनइम्पलायमेंट की समस्या को सुलझाया जा सकता है । यदि १८० करोड़ रुपया व्यवसाय पर खर्च किया जाय तो बड़ी इन्डस्ट्रीज केवल ८ हजार लेबर इंगेज कर सकती हैं और छोटी इंडस्ट्रीज एक लाख लेबर इंगेज कर सकती हैं, लेकिन इतना ही रुपया लगाने पर कृषि ६ लाख लोगों को रोजी दे सकती है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि और इंडस्ट्रीज में कितना अन्तर है । मौजूदा बजट में ५.६७ करोड़ रुपया कृषि के लिये रखा गया है जबकि इंडस्ट्रीज के लिये उसका ड्योढ़ा ८.६९ करोड़ रखा गया है । जब हम दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इस विभाग के साथ हमारी सरकार का व्यवहार छोटी निगाह का हो रहा है । पूरे बजट का जो प्रतिशत इस विभाग पर दूसरे प्रांतों और इस प्रांत में खर्च होता है वह इस प्रकार है—

नाम प्रांत	प्रतिशत
वेस्ट बंगाल	७.२
बिहार	५.८
गुजरात	५.४
उत्तर प्रदेश	२.९

आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा :—

वेस्ट बंगाल	२.१ प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है
आसाम	२ ,,
केरल	१.९ ,,
जम्मू और काश्मीर	१.९ ,,
मैसूर	१.५ ,,
उत्तर प्रदेश	.६९ ,,

अध्यक्ष महोदय, जब से अंग्रेजी राज्य खत्म हुआ है बराबर किसानों से कह दिया जाता है कि हम कृषि को महत्व दे रहे हैं, लेकिन जब हम बजट को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यद्यपि हमारा बजट बढ़ गया है, लेकिन फिर भी टोटल बजट का जो प्रतिशत पहले खर्च किया जाता था, उसमें वृद्धि नहीं हुई है । कृषकों के लिये जो यह दुर्व्यवहार हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि कृषकवर्ग पढ़ा-लिखा कम है, उसमें अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने की ताकत कम है, संगठन कम कर पाते हैं, उसका नतीजा यह है कि उसको हर प्रकार से एक्सप्लायट किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त अगर आप कृषि उत्पादन और इंडस्ट्री की प्राइसेज में तुलना करके देखें तो भी आपको बहुत अन्तर मिलेगा । मंत्री जी कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो और अन्न पैदा करो । ठीक है, जरूर करना चाहिये । लेकिन उसका नतीजा क्या होता है ?

वह कितनी ही मेहनत क्यों न करे, दूसरी चीजों के दाम उससे अधिक बढ़ते जा रहे हैं और उसको अपनी पैदावार का जो मूल्य पहले मिलता था वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसका हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ कि इंडस्ट्रियल और नान-इंडस्ट्रियल गुड्स में जो पैरिटी है वह १९५८ में ९९.४ थी, १९५९ में ९४.४, १९६० में ८४.३ और १९६१ में ७९.१ ही रह गयी। सन् ६२ की फिगर हमें मिली नहीं है। इस हिसाब से जो हिसाब लगाया गया है तो किसानों को ७५ करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है। ७५ करोड़ रुपया कोई मामूली चीज नहीं है। एक ओर तो सरकार कहती है कि हम प्लानिंग आदि विभागों के द्वारा किसानों के ऊपर बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसी कि कहावत है 'भवानी घर से आंख नहीं देती, पहले सोने की आंख चढ़वा लेती है तब आंख देती है'। इसी प्रकार से सरकार कहती है कि किसानों पर ३६ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर उससे ७५ करोड़ रुपये का अपहरण कर लिया जाता है। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़े तो जब तक आप उसकी पैदावार का मुनासिब दाम उसको नहीं दिलवाते तब तक उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा और तब तक उसको कृषि की उन्नति के लिये उत्साह नहीं हो सकता।

माननीय मंत्री जी ने फर्टिलाइजर्स के बारे में कहा और बताया कि नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता है। मैं भी एक छोटा-मोटा किसान हूं और जमींदारी चली जाने के बाद खेती पर ही निर्भर करता हूं। और मुझे गर्व है कि किसी से कम खेती में नहीं रहा हूं और हिसाब किताब लगा कर मैं खेती करता हूं। उस हिसाब-किताब लगाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अमोनियम सल्फेट से मुझे परसनली कोई लाभ नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक पौंड नाइट्रोजन छोड़ने से ७ पौंड यानी साढ़े तीन सेर गेहूं पैदा होता है। आज गेहूं का भाव १२–१३ रुपये मन है। इस तरह से साढ़े तीन सेर गेहूं का दाम करीब एक रुपया हुआ और एक पौंड नाइट्रोजन का दाम भी एक रुपया होता है, तो आप सोचें कि कौन ऐसा बेवकूफ किसान होगा जो एक रुपया लगा कर फिर एक रुपया ही वापस पाना चाहेगा। श्रीमन्, अक्सर ऐसा होता है कि कभी पाला पड़ जाता है, कभी पत्थर पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, इस तरह की कितनी दैवी आपत्तियां किसानों के ऊपर आया करती हैं जिससे उनकी फसल नष्ट हो जाया करती है। कभी भी दो-तीन साल लगातार अच्छा नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक किसानों को उनकी पैदावार का मुनासिब दाम नहीं मिलेगा तब तक वे खेती में अधिक पैसा नहीं लगा सकेंगे। इस तरह से किसानों को खेती में लगा रखना गैर-मुमकिन है।

आज सरकारी विभाग की तरफ से जो डेरी फार्म व एनीमल हस्बेंडरी आदि के आंकड़े दिये गये हैं उससे मालूम होता है कि वहां का बारह आने सेर दूध पड़ता है और चार आने फी अंडा पड़ता है। फिर आप कैसे कृषकों से उम्मीद करते हैं कि वे जो कुछ पैदा करें उसमें घाटा उठावें? हम तो विरोधी दल में होने के नाते किसानों को समझाते हैं कि सरकार तुमको कुछ दे नहीं रही है बल्कि वह तो तुम्हीं से ७५ करोड़ रुपये लेकर उसमें से ही ३६ करोड़ रुपये तुम पर खर्च कर रही है। अगर सरकार चाहती है कि किसान जो पैदा करें उसका मुनासिब दाम उनको मिले तो आज आपको इतना डेवलपमेंट करने की जरूरत ही न पड़े। जब किसान ने देख लिया कि इम्प्रूव्ड बीज से उसे फायदा है तो उसे उसने अपना लिया, फिर उसके लिये आपको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। जब उसने देख लिया कि इम्प्रूव्ड शुगर केन से उसे लाभ है तो अब उसके लिये आपको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। जब किसान को मालूम हो जायगा कि इससे उसको फायदा है और इससे उसे अच्छे दाम मिलेंगे तो आपको विशेष कहने की बात नहीं है।

हमारे मंत्री जी ने कहा कि खेती के लिये चार चीजें बहुत आवश्यक हैं—लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्निकल नालेज। अवश्य ही हर चीज के प्रोडक्शन के लिये चार चीजों की जरूरत है,

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, मगर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में फर्क है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बायलाजिकल फंक्शन होता है उसमें इन चार चीजों के अलावा एक ह्यूमन आस्पेक्ट भी हुआ करता है जिसे आवश्यकतानुसार, समयानुसार इस्तेमाल करना, एक बड़ी भारी चीज होती है। वह चीज हम तभी कर सकते हैं जब उसके लिये ह्यूमन आस्पेक्ट हो, उसके लिये दिल में कोई दर्द हो। उसके लिये बुद्धिमानी से ऐप्लीकेशन करना होगा, तभी लाभ होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो लैन्ड, लेबर, कैपिटल और टेक्निकल नालेज से होगा, लेकिन जब तक किसानों में होशियारी के साथ काम करने की लगन नहीं होगी, जब तक उसमें कोई इंसेंटिव नहीं होगा तब तक आप कोई भी व्यवस्था कर लें, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जायंगी और आपका प्रोडक्शन गिरता चला जायगा।

श्रीमन्, आज सरकार की नीति धीरे-धीरे बदलती जा रही है। खेती के बारे में जितने एक्सपेरिमेंट किसानों के साथ हुए हैं शायद दूसरे किसी के साथ नहीं हुये हैं। एक तरफ आपने सीलिंग की। सीलिंग के लिये आप भले ही कह लें कि यह बड़े काश्तकारों का नतीजा है, लेकिन आप समझ लें कि जिस वक्त जलजला आयेगा उस वक्त बड़े मकान वालों के साथ-साथ छोटी-छोटी झोपड़ी वालों का भी दिल दहल जायगा कि कहीं हमारी तरफ भी यह जलजला न आ जाय। आज किसान का दिल दहल गया है कि सीलिंग का नतीजा क्या हो और कहां तक यह चीज पहुंचे। हमारे भाई कहते हैं कि सीलिंग और भी कम होनी चाहिये। जब आप ने उसूल मान लिया है तो वह सीमा घट कर कहीं भी पहुंच सकती है, वह वहां नहीं रहेगी यह खयाल किसान का हो गया है। जब तक किसान यह नहीं समझेगा कि हमेशा यह खेत मेरे पास रहेगा वह उसमें मेहनत से खाद नहीं डालेगा, उसको नहीं बनायेगा और आप चाहे उसे चारों साधन मोहैया करा दें वह आप की बात को समझ नहीं सकता और उस के दिल में डर बना ही रहेगा। हमारे चौधरी साहब ने स्वयं लिखा है और वह जानते हैं उनकी किताब से पढ़ देता हूं, यही ज्यादा उचित होगा। वह कहते हैं कि---"Right of ownership in property, in the ultimate analysis, means only right to control the property to use it in any manner the owner likes or not to use it at all. Once this right to control disappears or is taken away, ownership is reduced to a myth." इस तरह से सहकारी खेती की जो चर्चा है वह उन के अनुसार एक नाम की चीज है और किसान उस में आ नहीं सकता। आज जब किसान सहकारिता की चर्चा करता है तो किसान को भय होता है कि हमारी खेती भी किसी दिन जा सकती है और आप की नीति से कोई भी ऐसा अन्दाजा लगा सकता है। आज फार्म प्रोटेक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन आप प्रोटेक्शन नहीं है। आप ने इसेंटिव को घटाकर धीरे धीरे वह पोजीशन ला दी है कि जिन के पास चारों साधन थे वह भी लोग, जो बुद्धिमान थे जिन के पास इन्टेलिजेंस नालेज और कृषि का ज्ञान था और बुद्धिमत्ता थी वह लोग देहात से धीरे धीरे हट रहे हैं और जिनके पास कैपिटल और ज्ञान दोनों चीजों की कमी है उन के पास जमीन जा रही है। आप ने ७५ रुपये की आय का हिसाब सीलिंग में निर्धारित किया है। आज एक चपरासी भी ७५ रुपया यहां आ कर पा सकता है तो फिर कौन ऐसा आदमी होगा कि जो इतना परिश्रम कर के देहात में रहकर खेती करना पसन्द करेगा और उसमें मेहनत करना गवारा करेगा। जब से आपने सीलिंग की है आप ने स्वयं खेती की उन्नति और पैदावार को खत्म किया है और उस का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।

माननीय चौधरी साहब ने बताया कि जमीन बहुत कम रह गई है। मैं उन की बात का विश्वास करता हूं, लेकिन जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं और जो आंकड़े मेगजीन में हैं उन दोनों में ४० लाख एकड़ जमीन बंजर है जो काश्त के योग्य है और इस के अलावा ३१ लाख एकड़ फैलो जमीन है। आप देखें कि इन कानूनों से जमीन के टूटने पर क्या प्रभाव पड़ा है। बराबर जमीन अच्छी रफ्तार से टूट रही थी, लेकिन सन् ५५ से लोगों को यह लगने लगा

कि अब जमीन की कोई सीक्योरिटी नहीं है और इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। सन् ४९ से ५५ तक ३ लाख एकड़ जमीन के औसत से बराबर हर साल जमीन टूटी है, हर साल के आंकड़े तो नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय कम है, लेकिन इतने से ही चौधरी साहब मेरी बात को मानेंगे। सन् ५५ में सरकार ने खेती की नीति में परिवर्तन करने का विचार जाहिर किया और भूमि के बटवारे की, सीलिंग की और कोआपरेटिव खेती की बात किसान के कान में पड़ने लगी और वहीं ब्रेक लगा और ५५ से ५९ तक कुल १९ लाख एकड़ जमीन ही तोड़ी गई है और आंकड़ों से जाहिर है कि जो जुती जुताई जमीन थी वह भी परती रह गई। सब जमीनें निकम्मी पड़ी रहने लगीं और कोई उनमें परिश्रम करने वाला नहीं है। यह सब आप की नीति का नतीजा है। मेरे खयाल से यह ३१ लाख एकड़ फैलो लेंड वही है जो जुता हुआ है और उसे अब कोई पूछने वाला नहीं है। आज आप के यहां ५ मिलियन टन गल्ले की कमी का अनुमान है, लेकिन अगर वह जमीन का ब्रेकिंग उसी औसत से जारी रहता तो मेरा यकीन है कि वह कमी पूरी हो जाती।

अगर आप देखें तो जो गल्ला हमारे यहां बाहर से आता है वह पहले कितना आता था और अब कितना आता है; तो सन् ५१ में ४.७२ मिलियन टन गल्ला आया और ५५ तक धीरे-धीरे उस की मिकदार घटी है और उसका कारण यह है कि बहुत से बुद्धिमान पढ़े लिखे लड़के उस जमीने में खेती की तरफ आकर्षित हुये, जमीनें टूटीं और पैदावार बढ़ी, उन्होंने आप की आवाज को सुना कि खाद्य संकट है। और लोगों ने जिस तरह से वे वार फ्रंट पर गये थे फूड फ्रंट पर चलना शुरू किया और उसका नतीजा यह हुआ कि जो गल्ला हमें पहले ७.२ मिलियन टन्स मंगाना पड़ता था वह सन् १९५५ में ७ मिलियन टन मंगाना पड़ा यानी इतना कम इम्पोर्ट रह गया था। लेकिन जो खेती की नीति में उस समय से परिवर्तन हुये उससे धीरे-धीरे लोग फिर भड़कने लगे। मैं बहुत से नौजवानों को जानता हूं जो अपनी खेती बेंचकर निकल गये, बहुतों को जानता हूं जिन के घर खंड़हर पड़े हुये हैं और वे शहरों में भाग गये। नतीजा उसका यह हुआ है कि ५ मिलियन टन्स फूडग्रेन्स आज इम्पोर्ट हो रहा है। तो मुझे कहना यह है कि जब तक आप नीति को निश्चित नहीं बनायेंगे, किसानों में यह विश्वास नहीं जमेगा कि खेती उसकी है, वह उसके मालिक हैं और जब तक यह नहीं होगा तब तक पैदावार बढ़ नहीं सकती।

सहकारी खेती की चर्चा जब तक बन्द नहीं करेंगे तब तक यही हाल होगा। सहकारी खेती कहीं सफल हुई है, मैं पूछता हूं? हमारे चौधरी चरणसिंह जी खुद मानेंगे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा भी है कि सहकारी खेती एक मिसनामर है। "मिसनामर" शब्द उसके लिये उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि सहकारी खेती अल्टीमेटली कलेक्टिव फार्मिंग है, जैसे चीन और रूस में है। तो जब तक इस नीति को नहीं बदलेंगे किसान मेहनत कैसे करेंगे?

खेती के लिये सब से आवश्यक वस्तु है क्या: इसके लिये एक विशेषज्ञ ने ठीक ही कहा है, "किसानों के चरणों की धूल"। मैं मानता हूं कि खाद और पानी सब एक तरफ, उसका परिश्रम एक तरफ, लेकिन इसे तो वह तभी करेगा जब उसे विश्वास हो कि खेती हमारी है इसको हम जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सबसे आवश्यक वस्तु उसकी पैदावार की कीमत का निश्चित होना है। मैं अनरीजनेबिल डिमान्ड तो नहीं करता, लेकिन उसकी लागत, उसके परिश्रम को देखकर जब तक प्राइस का फिक्सेशन नहीं होगा तब तक खेती की पैदावार बढ़ नहीं सकती।

एक और आवश्यक चीज यह है कि जो कैलेमिटीज आती हैं खेती पर, उनसे रक्षा करने के लिये क्राप इंश्योरेंस ज्यादा आवश्यक चीज है। उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा।

तीसरी आवश्यक चीज मार्केटिंग की है। पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिये फिर वही बात है जो मैं कहता आ रहा हूं कि उसको विश्वास होना चाहिये कि उसकी

[श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह]

चीज ठीक दाम पर बिक जायेगी। जब तक उसको मारकेटिंग फैसिलिटीज नहीं मिलतीं तब तक यह हो नहीं सकता। हमारे यहां पैदावार के मुनाफे का ४२ प्रतिशत मिडिलमैन ले जाता है जब कि जापान में मिडिलमैन सिर्फ १४ फीसदी मुनाफा ही ले पाता है। मैं तो अब अपने लिये कह सकता हूं कि मैं भी काश्तकार हूं, १० एकड़ की मेरी खेती है। कोशिश यह करता हूं कि ज्यादा पैदा करूं। तरकारी, फल और अन्य पेरिशेबिल कमोडिटीज पैदा करने की कोशिश करता हूं जिसमें शीघ्र दाम पा सकूं, लेकिन रुक जाता हूं जब देखता हूं कि कोई खरीददार नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मनों टमाटर और मनों भिन्डी पैदा हुई, लेकिन उसको मुझे फेंक देना पड़ा क्योंकि कोई खरीददार नहीं था। अगर उसको २ या ४ मन गोंडा या लखनऊ लाऊं तो हमारा आने जाने में काफी खर्चा हो जाय। तो मार्केटिंग फैसिलिटीज की तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि छोटे किसान ज्यादा पैदा करें। उनमें क्षमता नहीं कि ज्यादा पैदा करने के बाद भी वह अपनी पैदावार का मुनासिब मूल्य पा सकें। तो उसको पैदा कीजिये।

मंत्री जी ने कहा था कि कृषि विभाग का इतना महत्व नहीं है। कृषि का महत्व असल में है इस पर माननीय मंत्री जी ने जोर दिया। मैं कहता हूं कृषि विभाग का महत्व हमारी मौजूदा सरकार में नहीं है। आज कृषि विभाग धीरे-धीरे परकटी चिड़ियों की तरह छोड़ दिया गया है, इसके अंग-भंग कर दिये गये। इस विभाग से एनीमल हस्बेंड्री निकल गया, कृषि इंजीनियरिंग निकल गया, फिर से पर जम आये हैं, एक छोटी सी यूनिट कृषि इंजीनियरिंग की स्थापित की गई है, केन विभाग इससे निकल गया। अन्त में, मैं क्या कहूं, प्लानिंग विभाग के अन्दर हर विभाग का महत्व समाप्त हो गया। जो टेक्नीकल नालेज की चीजें हैं, मुझे माफ किया जाय, नान-टेक्नीकल लोगों के हाथ में सब कंट्रोल जा रहा है। नोअर लेविल पर देखिये, ब्लाक लेविल पर देखें, ए० डी० ओ० ऐग्रीकल्चर बी० डी० ओ० की खुशामद में रहता है, उसका बस यही काम है। अगर बी० डी० ओ० को संगीत का शौक है तो वह भी रघुपत राघव राजा राम करता है: यही हालत डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टाक और ऐग्रीकल्चर आफिसर की है। वह समझते हैं अगर प्लानिंग अफसर हमसे खुश है तो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नतीजा यह होता है कि यह विभाग जो तरक्की कर सकता था, जो कुछ हमें दे सकता था वह अब दूसरों का मोहताज हो रहा है। प्लानिंग अफसर यह समझता है कि हम टीम-टाम करके डेवलपमेंट कमिश्नर को खुश कर दें और कहीं के डी० एम० हो जायं। यही हालत डायरेक्टोरेट की है, उसके ऊपर हावी है प्लानिंग कमीशन। सौभाग्य तो उस दिन होगा जिस दिन हमारा मुख्य मंत्री कृषक होगा। हमारे मंत्री जी उस मुख्य मंत्री के मातहत हैं जिनको कृषि के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, जिनका कृषि से कोई संबंध नहीं है। कृषि विभाग की अवहेलना बराबर होती चली आयी है।

एक खुशी की बात है, मंत्री जी ने कहा कि बीज वितरण का फिर से शायद नया इंतजाम करने जा रहे हैं। हाल में नतीजा क्या हुआ था? करोड़ों रुपये का बीज सीड स्टोर से ले कर कोआपरेटिव विभाग को दे दिया गया था और कोआपरेटिव विभाग ने जो दुर्गति सीड की की थी वह सब को मालूम है। समझदार लोग वहां से बीज नहीं लेते थे। मुझे कहते हुए अफसोस है कि सचाई सीड लेते हुये भी कोआपरेटिव सीड स्टोर्स बहुत अच्छे खासे घाटे पर चल रहे हैं और उनका इंतजाम नान टेक्नीकल आदमियों के हाथ में है।

मंत्री जी ने कहा कि पैदवार हमारी बढ़ रही है। मगर शक होता है। हमारे जो नान-टेक्नीकल लोग हैं ऐसे आंकड़ों पर विश्वास कर लेते हैं, मैं एक ही उदाहरण दूंगा। डाक्टर पंजाब राव देशमुख जब केन्द्र में उप-मंत्री थे तो चीन घूम कर आये और उन्होंने कहा कि एक एकड़ में वहां ३८० टन पैदावार धान की होती है। मुझको तो शर्म लगती है, कहते हुये। अगर जमीन भी खोदें तो एक एकड़ में इतनी मिट्टी नहीं निकलेगी। मगर फिर भी हमारी

सरकार ने योजनायें बना डालीं, ऐक्सपेरीमेंट कर डालें। तो इस तरह के आंकड़े दिये जाते हैं।

अभी मैं अपने घर मनकापुर गया। मनकापुर भी एक ब्लाक है। हमारे पास कुछ किसान आये और कहने लगे साहब अब की शायद, हमारा गांव सबसे जीत जायगा। एक नया तरीका निकला है आई ऐस्टीमेट करने का। बी० डी० ओ० ने ६५ मन फी एकड़ गांव की होलसेल पैदावार का अनुमान कर दिया। हमारे यहां मन कच्चा होता है, गांव वालों ने उनसे कहा कि हमें कच्चा मन ही दे दीजिये और पूरा खेत काट लीजिये। तो इस तरह के आंकड़े लगाये जाते हैं। अब जब बी० डी० ओ० ने कह दिया तो ए० डी० ओ० (एग्रीकल्चर) की हिम्मत नहीं कि उसको कांट्रेडिक्ट करे।

मुझे दो एक बातें और कहनी हैं। जहां तक डेरी का सवाल है, गाय पालेगा एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट और दूध का मालिक डेरी डेवलपमेंट आफिसर बन कर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट बन जायगा। सौभाग्य है कि कुछ मंत्रिमंडल ने शुरू में ही सोच लिया वर्ना यह पूरा डिपार्टमेंट कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में चला जाता।

थोड़ा सा मैं एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा शुरू में कहा, क्या एग्रिकल्चर हो, क्या एनिमल हस्बेंडरी डिमार्टमेंट हो, यह बहुत कुछ ह्यु्यन ऐस्पेक्ट पर निर्भर करता है। आज इसीलिये बड़े बड़े डेरी फार्म्स असफल होते जा रहे हैं। इकोनामिक नहीं हो रहे हैं। यह मेरा विश्वास है, डेरी का जहां तक सवाल है, यह काटेज इंडस्ट्री की तरह चल सकती है। आप प्रोत्साहन दीजिये छोटे छोटे किसानों को जो एक, दो गाय पालें और वही इन्तजाम करें। लेकिन डेरी के अन्दर वही मेकेनिकल चीजें आ जाती हैं, टेक्निकल नालेज का सवाल आ जाता है और वहां वह ह्यु्यन एस्पेक्ट नहीं रहता। आप को इस बात पर ध्यान देना है। गांव में डेरी डेवलपमेंट करना है तो किसानों के हाथ में उसे दीजिये। सहकारिता के चक्कर को छोड़ कर उसे मालिक बनाइये।

कुछ मछली के बारे में कहा गया। मैं इत्तिफाक करता हूं कि एक एकड़ में अनाज या कोई दूसरी चीज पैदा कर सकते हैं। उस पर जो चारे पर निर्भर हो कर जानवर पाला जायगा उस पर मांस नहीं आता। कुछ लोग इसके आदी हो गये हैं। मांस की तरफ लोगों की रुझान है। मांस हम लोग आसानी से नहीं छोड़ सकते। जिन जानवरों का मांस इस्तेमाल करते हैं, स्माल बकरे का या सुअर का, तो उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

गन्ने के बारे में हमारे मंत्री महोदय ने कहा है कि अच्छी पैदावार हो रही है। लेकिन जो शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, पहले हमारे देश का ५३ परसेंट हमारे प्रदेश में होता था, मगर वह ६० में घट कर ५० परसेंट हो गया। रिकवरी जो हमारी औसत रूप में पहले १० परसेंट थी, ५५–५६ में वह अब ९.४ परसेंट रह गयी है। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना है। जो किसानों की दुर्गति हुई है गन्ना बोने में, दाम पाने में, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंता। उसका जिक्र कई दफा सदन में आ चुका है। गन्ना विभाग, मैं यह कहूंगा कि राजनीति का अखाड़ा बना लिया गया है। उसे ज्यादातर राजनीति के वास्ते इस्तेमाल किया जाता है। बजाय इसके कि सारा लाभ किसान को पहुंचे, मिल मालिक उससे लाभ उठा रहा है। जो करोड़ों रुपया आज किसानों को गन्ने का मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। इसलिये नहीं मिल रहा है कि जो मिल मालिक हैं, जो सरकार के कृपापात्र हैं, उनको सुविधायें प्राप्त हैं और मुसीबत सब किसान भुगत रहा है।

जहां यह योजना बन रही है कि किसान को अपनी खेती की तरफ ध्यान देना चाहिये वहां यह भी ध्यान रखा जाय कि किसान अपने अस्तित्व का ध्यान रखे। खेती को सरकार चाहे कितना ही प्रोत्साहन दे, लेकिन जो खेती करने वाला किसान है जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं होगा उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा, उसको मुनासिब कीमत नहीं दी जायगी,

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

उसको विश्वास नहीं दिलाया जायगा कि खेती उसकी है और उसकी हो कर रहेगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। अन्त में मैं एक चीनी पोयट के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं ----

Princes and politicians may flourish or may fade. A breath can mar them as breath has made. But a bold peasantry, a country's pride. When once destroyed can never be revived.

तो किसान के साथ खिलवाड़ न किया जाय। वह आपके देश की बैकबोन है। उनको ऊंचा उठायेंगे, उनको आश्वासन देंगे और सहायता देंगे तो आपका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय भगवान सहाय, जितने और कट मोशन्स हैं उनको मूव करने की जरूरत नहीं है, वह प्रस्तुत किये हुये मान लिये जायेंगे और अब बहस सभी अनुदानों पर और सभी कट मोशन्स पर होगी।

श्री उग्रसेन--व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय जो व्यवस्था हो रही है और उसके पहले माननीय अध्यक्ष एक बार व्यवस्था दे चुके हैं कि जो माननीय सदस्य बोलेंगे वह जो कटौती का प्रस्ताव रखा रहेगा उसी की तहत में बोल सकेंगे। तो, श्रीमन्, उस व्यवस्था का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--यही एजेन्डा में भी छपा है और शुरू से ऐसा ही चल रहा है।

[निम्नलिखित कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये हुये माने गये:--

अनुदान संख्या २१--कृषि संबंधी विकास

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री जे० पी० मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--अधिक धन की मांग करना।
२	श्री मैनेजर सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
३	श्री कृष्णचन्द्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--बुन्देलखंड में कृषि विकास-संबंधी सरकारी नीति की त्रुटियों पर प्रकाश डालना तथा सुझाव देना।
४	श्री चिरंजी लाल	मद (ख) अधीक्षण की उपमद (ग) नगर के मल और कूड़े के मिलवा खाद तैयार करने की योजनाओं के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय कमियों की आलोचना करना और आवश्यक सुझाव देना।

५	श्री गेंदासिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
६	श्री विजयपाल सिंह तथा श्री ऊदल ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––सुझाव और शिकायतें ।
७	श्री टम्बेश्वरी प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––कृषि विभाग का संगठन एवं उसके कार्य ।
८	श्री तमेश्वर प्रसाद	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
९	श्री बिपिनबिहारी तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने काउद्देश्य––कृषि योजनाओं में यन्त्रीकरण के सुझाव ।
१०	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––कृषि के नये तरीकों में सुझाव देना ।
११	श्री रामसुन्दर	मद (ख) की उपमद––ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाना––के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––आजमगढ़ जिले में योजना लागू न करने की शिकायत तथा लागू करने की मांग करना। जिससे लाखों एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया जा सक और साथ ही भूमिहीनों को काम दिलाना ।
१२	श्री रामसुन्दर	मद (ख) पूर्वी जिले तथा (१) पूर्वी जिलों में सहायक फसल के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––कुनिग्रा, गेरुआ, आदि रोगों का उपचार न करने के कारण आजमगढ़ जिले में लाखों मन धान खराब हो गया । जूट की पैदावार बढ़ाने तथा उचित मूल्य न दिलाने की शिकायत करना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री मुन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री चैतन्यराज सिंह, श्री प्रेमसिंह, श्री रामअधार कन्नौजिया, श्री नवरंगसिंह तथा श्री बलवीरसिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—अव्यवहारिक सरकारी नीति पर चर्चा करना, विभागीय कमजोरियों पर प्रकाश डालना तथा सुचारु रूप से कार्य चलाने हेतु सुझाव देना ।

अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री गेंदासिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री कृष्णचन्द्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—सरकार की उपनिवेशन संबंधी नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना ।
३	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करना ।

अनुदान संख्या २३—पशुपालन

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री मैनेजर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री कृष्णचन्द्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—पशुपालन सबंधी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
३	श्री रामसुन्दर	मद (घ) चिकित्सालय तथा औषधालय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—पशु-चिकित्सालय एवं शिक्षा संबंधी नीति पर सुझाव देना ।

४	श्री गेंदासिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
५	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––गो-सदनों की वृद्धि की मांग करना तथा व्यापकता की चर्चा करना ।
६	श्री रामप्रसाद देशमुख	मद (छ) का (ट) गो-शालाओं में सुधार के लिये योजना के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––साधारण विवाद करना तथा योजनाओं पर सुझाव देना ।
७	श्री रामप्रसाद देशमुख	मद (छ) का (त) केन्द्रीय दुग्धशाला प्रक्षेत्र अलीगढ़ में समभागी सुधार अभिजनन केन्द्र एवं बेकन फैक्टरी का अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––मितव्ययिता पर विचार करना तथा सुझाव देना ।
८	श्री रामप्रसाद देशमुख	मद (ञ) (J) ग्रामोत्थान योजनायें––के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––साधारण विवाद तथा आलोचना करना ।
९	श्री जगदम्बाप्रसाद	मद (घ) चिकित्सालय तथा औषधालय के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय कमियों की आलोचना करना एवं सरकार को सुधार हेतु उचित सुझाव दिलाना ।

अनुदान संख्या ४७––कृषि-योजनाओं पर पूंजीगत लागत

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री गेंदासिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

२ श्री मंगलदेव विशारद तथा श्री रामसुन्दर । — मद (क) बीज और उपकरण को प्रयोग में लाने की योजना के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—कृषि एवं सहकारी बीज भंडारों का पास-पास होना, नीति का विरोध रकना तथा सुझाव देना ।

३ श्री उग्रसेन — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—कृषि योग्य क्षमता बढ़ाने के लिये किसानों को सुविधा देने की मांग करना ।

४ श्री मंगलदेव विशारद तथा श्री रामसुन्दर — मद (ग) जूट विकास योजना के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—जूट विकास योजना को समाप्त करके सुपरवाइजर कोआपरेटिव या कृषि सुपरवाइजर के सुपुर्द कर दिया जाय ।

५ श्री मंगलदेव विशारद तथा श्री रामसुन्दर । — मद (छ) पौधा संरक्षण क्रियायें—के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—गत वर्ष धान की हजारों एकड़ फसल पूर्वी जिलों में कुसिया रोग से सूख गई और लाखों एकड़ धान का नुकसान हुआ । विभाग की ओर से कोई उपचार नहीं हुआ ।

६ श्री भानुप्रताप सिंह,
श्री काशीनाथ बहादुर,
श्री प्रेमसिंह,
श्री मुन्नूसिंह,
श्री बलवीरसिंह,
श्री नवरंगसिंह,
श्री विजयसिंह तथा
श्री चिरंजीलाल । — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री जगदम्बाप्रसाद — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय कमियों की आलोचना करना तथा सरकार को उचित सुझाव देना ।]

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—मान्यवर, यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं इसमें केन डेवलपमेन्ट विभाग की कुछ दुश्वारियों, कुछ कर्मचारियों की दुश्वारियों और किसानों की दुश्वारियों के ऊपर आप के सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं । श्रीमन्, यह विभाग १९३५ में स्थापित किया गया था और १९४८ में मुस्तकिल किया गया । १९४८ से आज १४ वर्ष हो गये, लेकिन न तो इस विभाग के कर्मचारियों के कोई सर्विस रूल्स ही बनाये गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और न कोई मैनुअल ही बनाया गया। सन् १९४४ से ले कर आज तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं सब टेम्पोरेरी हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इस विभाग के वे कर्मचारी जो १५, १७ और १८ वर्षों से अस्थायी तरीके से काम कर रहे हैं वे ज्यादा से ज्यादा मेहनत और जफ़ाकशी दिखा सकते हैं। इस विभाग में ३७ गजेटेड पोस्ट्स हैं जिसमें से १२ मुस्तकिल हैं और इनमें से भी केवल ८ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और बाकी २५ अस्थायी हैं।

एक सदस्य---श्रीमन्, मेरे खयाल से सदन में कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---(गणना के पश्चात्) कोरम पूरा है।

श्री भगवानसहाय---श्रीमन्, सीनियर केन डेवलपमेन्ट इंस्पेक्टर्स, ग्रुप I में ६६ जगहें ह जिनमें ८ मुस्तकिल हैं और ५८ गैर मुस्तकिल। ए० सी० डी० ओ० ग्रुप II में २९६ जगहों में से ९४ मुस्तकिल हैं और २०२ गैरमुस्तकिल। सुपरवाइजर्स, ग्रुप III में ११८० जगहों में से ४९० मुस्तकिल हैं और ६९० गैर-मुस्तकिल। कामदार, ग्रुप IV में कुल २८७६ जगहें हैं। इसमें से १०२१ मुस्तकिल हैं और १८५५ गैर-मुस्तकिल। श्रीमन्, १९४४ से पहले की जो नियुक्तियां हैं वे तो कुछ मुस्तकिल हैं भी, लेकिन १९४४ के बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं इस विभाग के अन्दर वे सब गैर-मुस्तकिल हैं।

यह तो मैंने कहा इस विभाग के कर्मचारियों के बारे में। अब मैं कुछ किसानों की मुसीबतों के बारे में कहना चाहता हूं। यह विभाग ऐसा है कि जिसने पुलिस, सप्लाई, सभी विभागों को रिश्वत के मामले में मात कर दिया है। गन्ने की तुलाई की जगह पर जितनी रिश्वत चलती है उसका अन्दाजा बहुत कम आदमियों को है। केन कमिश्नर साहब ने गैर-सरकारी चेकर्स एप्वाइंट किये हैं, लेकिन उनको कोई पावर्स नहीं दी हैं कि वे रिश्वतखोरी को चेक कर सकें। वे वेमेंट को चेक कर सकते हैं। वेमेंट में तो गड़बड़ी होती ही है लेकिन असल गड़बड़ी होती है पुर्जी के इश्यू करने में। फ़र्जी किसानों के नाम से जिनके पास बहुत थोड़ा गन्ना है उनके नाम से फ़र्जी गन्ना बांध दिया जाता है और उस की पुर्जी इश्यू की जाती है और उन पुर्जियों पर वह किसान गन्ना न ला कर उनके नाम पर जो ज्यादा गन्ना तौला जाता है वह चढ़ा दिया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि हर तौल की जगह पर चार-चार, पांच-पांच सौ मन गन्ना किसानों का बढ़ा कर पुर्जी वाले किसान और गन्ना विभाग के अधिकारियों के बीच में बंटवारा हो जाता है। और इस तरह की गन्ना की उलट पलट एक-एक गन्ना के वेमेंट के स्थान पर ५०-६० हजार रुपये की हो जाती है।

श्रीमन्, यह बात सही है कि इस विभाग ने कुछ थोड़ा सा काम किया है और यह भी सही है कि जितना काम इस विभाग को करना चाहिये था उतना काम नहीं हो सकता है। कुछ सहूलियतें अवश्य काश्तकार को मिली हैं। हालांकि यह इतना बड़ा विभाग है और लखनऊ में केन कमिश्नर का दफ्तर है, लेकिन आज तक जब से इसका दफ्तर बना है, एक कमिश्नर को छोड़कर किसी भी कमिश्नर ने मुआयना नहीं किया है। उसका सारा काम दफ्तर में ही होता है और इसका नतीजा यह है कि इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई हद नहीं है। श्रीमन्, पिछले पांच साल के आंकड़े आप के द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को जानकारी हो सके.....

श्री राजेन्द्रसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री भगवानसहाय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैं पिछले पांच साल के आंकड़े इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। ये आंकड़े वे हैं कि जो गबन इस विभाग में हुए हैं। माननीय सदस्यों को शायद मालूम होगा कि यह गन्ना डेवलपमेन्ट स्कीम प्रदेश के २२ गन्ना उत्पादक जिलों में लागू है। उनमें से, श्रीमन्, शाहजहांपुर जिले में १९६१ में ४५,००० रुपये का गबन हुआ और उस समय से यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द किया गया जांच के लिये, लेकिन आज तक सी० आई० डी० की कोई भी जांच की रिपोर्ट नहीं आई, यद्यपि दो जराअती फसलें खत्म हो चुकी हैं और कोई भी कार्यवाही किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नहीं की गई। इसमें ४५,००० रुपये का नुक्सान गन्ना उत्पादकों को हुआ है। इसी तरह से, श्रीमन्, सकोती टांडा, जिला मेरठ में १९६१ में ३८,००० रुपये का गबन हुआ है। नलियाना, जिला मेरठ, में १७,००० रुपये का गबन हुआ है। १९५६-५७ में बुलन्दशहर में ७,००० रुपये का गबन हुआ है और बरेली में १९५५-५६ में ४४,००० रुपये का गबन हुआ है। इससे पहले भी हो चुका है और इसके बाद भी हुआ। सीतापुर में ६१ लाख १८ हजार रुपये का गबन हुआ। बदायूं में १९५७-५८ में १७ हजार रुपये का गबन हुआ। इसके बाद भी और गबन हुआ है। फैजाबाद में ४ हजार ७ सौ का, पीलीभीत में ६ हजार रूपये का गबन हुआ। यह मैंने पांच साल के आंकड़े दिये। इसके पहले भी किसानों की यूनियनों का बहुत काफी रुपया भिन्न-भिन्न जिलों में गबन हो चुका है। यह कब है, जब कि इतना बड़ा सुपरवाइजरी स्टाफ कन कमिश्नर के दफ्तर में और जिले के स्तर पर बहुत कर्मचारी हैं और सब से बड़ी मजाक की बात यह है कि अधिकांश मामलों में न जांच हुई है और न कोई मुकदमा चलाया गया।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा, वह गैरतवज्जह हैं, और बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, विभाग की कमजोरी की तरफ कुछ चश्मपोशी किए हुये हैं। वह इस तरफ तवज्जह दें।

इस विभाग के अन्दर केन प्रोडक्शन स्कीम के मातहत दस लाख रुपये का खर्च बढ़ाया गया, लेकिन गन्ने की बीमारियों को रफा करने में किसानों को कोई राहत नहीं है। उनको जो राय दी जाती है वह यह है कि अपना गन्ना बरबाद कर दो। अगर केवल गन्ना बरबाद करना ही इलाज है तो उसके लिये इतना बड़ा स्टाफ रखने और बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो ज्यादा गड़बड़ है उसकी वजह यह भी है कि डिवीजनल सेट अप कोई नहीं है। या तो केन कमिश्नर का दफ्तर है या जिला है। जिले के स्तर पर चेक करने वाला कोई नहीं है। माननीय केन कमिश्नर महोदय सुपरवीजन करना नहीं चाहते। एक परम्परा सी बन गयी है कि जिलों में जाने को तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त।

*श्री सत्यवीर (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे कृषि के विषय पर जो मेरा विशेष विषय है, चूंकि मैं खुद कृषक हूं मौक़ा दिया कि मैं आपके सामने कुछ विचार प्रकट कर सकूं।

श्रीमन्, कृषि, गन्ना, पशु-पालन तथा अन्न सम्बन्धी विभाग, जिनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है वह इतने आवश्यक हैं, हमारे प्रदेश के लिये, कि उस पर जो एक दिन बहस के लिये दिया है, वह बहुत कम है। इसके ऊपर काफ़ी विचार-विनिमय होना चाहिये था और मैं श्रीमन् से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये मुझे दो चार मिनट और अधिक दिये जायं जिससे पूर्णतया अपनी बातें रख सकूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप समय के अन्दर खत्म कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यवीर—आज सब से बड़ी समस्या जो कृषकों के सामने है वह यह है कि उनमें प्रेरणा नहीं है। वह इसलिए कि जब तक प्राफिट मोटिव की तरफ किसान को न ले जायं तब तक किसान आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। श्रीमन्, यह प्राफिट मोटिव किस तरह से किसानों के अन्दर पैदा किया जा सकता है इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अन्दर गन्ना विभाग है और केन मार्केटिंग सोसाइटी स्थापित की गई है जो कि चुनाव प्रणाली पर चलती है और अपना डाइरेक्टर और अपना बोर्ड सब रख कर सरकारी आफिसर्स के सहयोग के साथ में काम करती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, जैसा कि मेरे कुछ विरोधी मित्रों ने कहा कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार है, लेकिन बावजूद इस भ्रष्टाचार के केन सोसाइटी ने जो योग दिया है रासायनिक खाद वितरण में, अच्छे बीज के वितरण में और उसके डेवलपमेन्ट में तथा मार्केटिंग में, वह एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मेरा सुझाव यह है कि केन मार्केटिंग सोसाइटी जिस तरह से स्थापित हैं उसी तरह से हमारे यहां एग्रीकल्चरल प्राडक्ट्स मार्केटिंग सोसाइटी हर जिले में स्थापित होनी चाहिये ताकि किसानों का सहयोग उसमें मिल सके और जब किसानों का सहयोग मार्केटिंग और डेवलपमेन्ट में मिलेगा तो मुझे पूरी आशा है कि प्राफिट मोटिव जो हम किसानों में पैदा करना चाहते हैं वह उनमें आ सकेगा। इसका नतीजा यह होगा कि हम लोग जो अपना फूड-प्रोडक्ट मार्केट्स में ले जाते हैं और बिचौलिया काफी रुपया उसमें ले लेता है, उससे हमारी बचत होगी। किसानों के सम्पर्क के लिये यह बहुत आवश्यक चीज है कि हम इस तरह से ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग सोसाइटी स्थापित करें विशेष कर जब कि सर्विस कोआपरेटिव इत्यादि हमारे यहां बन रही हैं। इन सर्विस कोआपरेटिव्ज से लोन समय पर किसान को नहीं मिलता जिससे कि वह पैदावार की तरक्की नहीं कर पाता और उसके लिए वह बिलकुल बेकार होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोन इन कोआपरेटिव्ज द्वारा तब दिया जाता है जब कि समय खत्म हो जाता है, बीज तब बटता है जब बीज का समय निकल जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर ऐग्रीकल्चरल कोआपरेटिव सोसाइटीज बन जायेंगी तो किसान भी उसमें सहयोग दे सकेंगे और ऐग्रीकल्चरल इंसपेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफिसर आदि भी उसमें योग दे सकेंगे।

अन्त में मैं कृषि विभाग के बारे में कहूंगा कि प्लानिंग में इसके विलय हो जाने के कारण ऐग्रीकल्चर आफिसर का कोई दर्जा ही नहीं रह गया है। वह एक प्रकार का छाया मात्र रह गया है प्लानिंग आफिसर का। मेरा सुझाव यह है कि कृषि विभाग को थोड़ा स्वतंत्र बनाना चाहिए जिसमें कि इसमें कुछ अनुसन्धान के काम हो सकें, प्लानिंग में उसका विलय हो जाने के कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि कृषि अधिकारी और कृषि इंसपेक्टर को ,इनको प्लानिंग से थोड़ा अलग किया जावे। प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का काम कोआर्डिनेशन होना चाहिये, ऐब्जार्बेशन नहीं। आज ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट प्लानिंग में ऐबजार्ब हो गया है और उससे जो विशेष इमदाद या मदद मिलनी चाहिए वह नहीं के बराबर हो गई है।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा। कृषि अधिकारी के पास पहले बेसिक स्टोर्स थे जिससे कि हमें पहले बीज बहुत अच्छा मिल जाता था और मैं निवेदन करूंगा कि बीज एक ऐसी चीज है कि अगर अच्छा बीज न मिला तो कृषि का सुधार नहीं हो सकता। ६० परसेंट कृषि का सुधार अच्छे बीज पर निर्भर करता है। वह बेसिक स्टोर्स अब कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट्स को दे दिये गये जिसका नतीजा यह है कि अच्छी क्वालिटी का बीज किसानों को नहीं मिलता यह दोनों बातें कह कर अब चूंकि गन्ने का विभाग बहुत बड़ा है, उस पर मैं आऊंगा।

मुझे बहुत क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि इस वर्ष रिकवरी बेसिस पर पहली मई से गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है जो पहली मई से रिकवरी बेसिस पर उनको प्राइस दी जा रही है। यह हमारे साथ

[श्री सत्यवीर]

बड़ा भारी अत्याचार है। मैं निवदन करूंगा कि अगर रिकवरी बेसिस पर ही देना है तो शुरू अक्तूबर से वर्ष के अन्त तक उसे रिकवरी बेसिस पर प्राइस दीजिए क्योंकि इसमें किसान को अन्त में फायदा ही होगा और फिर इस तरह से मई के महीने में उनको आपत्ति भी नहीं रहेगी।

श्रीमन्, केन डिपार्टमेन्ट के बारे में यह कहूंगा कि जैसा मेरे मित्र ने बतलाया कि केन-डिपार्टमेन्ट के अन्दर आज की सारी बातें केन आयुक्त महोदय से चल रही हैं। मैं समझता हूं जिस तरीके से आपके एग्रीकल्चर में या और सम्बन्धित विभागों में रीजनल आफिसर होते हैं उसी तरह से रीजनल कमिश्नर होने चाहिये। विशेष रूप से बरेली, मेरठ और आगरा जैसे बड़े-बड़े स्थानों में यह सुविधा होनी चाहिये ताकि हम लोगों की मुसीबत और हम लोगों की समस्या वे पूर्णतया हल कर सकें।

यहां पर यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे कामदार और केन इन्सपेक्टरों का वेतन इतना कम है कि वे अपना जीवन बहुत कठिनाई से व्यतीत करते हैं। उनको ३० रुपया वेतन और २२ पया मंहगाई मिलती है। इतने कम वेतन में वे किस तरह से काम कर सकते हैं जब कि उनके जिम्मे बड़ा काम वहां का दिया जाता है सिवाय अपना पेट काटने के और कोई साधन उनके पास नहीं है। मेरा सुझाव है कि इतनी तनख्वाह उनको जरूर मिलनी चाहिये जिससे उनका निर्वाह उचित रूप से हो सके।

यदि वहां पर रीजनल कमिश्नर बना दिये जायं तो उससे बेटर सुपरवीजन होगा और बेटर कंट्रोल भी हो सकेगा। जब तक कामदारों को बेटर फेसिलिटी नहीं मिलती है तो उनका कोई सुधार नहीं हो सकता है। उन लोगों के रहने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। वे लोग इतनी कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि जिससे अपना काम सुचारु रूप से नहीं कर पाते। केन सुपरवाइजर और कामदारों के लिये यह सुविधा अवश्य होनी चाहिये जिससे वह वहां पर अपना जीवन आसानी से बिता सकें। अक्सर यह देखा गया है कि वह ज्यादा-तर गांवों में नहीं रहते हैं। गांव में उनके लिये रहने का कोई साधन नहीं है। वे लोग शहर में रहते हैं। वहीं से उनके विभाग में भ्रष्टाचार पैदा होता है। मेरा निवेदन है कि उनके लिये क्वार्टरों का प्रबन्ध किया जाय। केन कोआपरेटिव सोसाइटी मालदार है अगर उनसे कहा जाय तो वे बहुत सहयोग देने के लिये तैयार हो सकती हैं। यह कृषि विभाग ऐसा विभाग है जिसके ऊपर हमारे यहां ७५ फीसदी जनता लगी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह जानकर कि हमारी कृषि के अन्दर बहुत कम माननीय सदस्य दिलचस्पी लेते हैं। कई मौके आये जब सदन के अन्दर कोरम न रहने की नौबत आई। यह प्रश्न ऐसा है जो हमारी सब से बड़ी आय का साधन है जो हमारे लिये हितकारी है। उसके साथ ही मेरा निवेदन यह है कि पशु पालन तथा कृषि विभाग इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमको बहुत काफी समय मिलना चाहिये था लेकिन बहुत कम समय मिला है।

श्री उपाध्यक्ष--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)--मान्यवर, बढ़ती हुई प्रदेश की आबादी तथा अन्य कार्यों के लिये भूमि की आवश्यकता देख कर हमारे सामने अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये केवल एक ही मार्ग रह जाता है और वह है घनी खेती से प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर हम कुल अन्नो-त्पादन में वृद्धि करें। इसके लिये मेरी समझ में एक सुनियोजित, समन्वित कार्यक्रम ही उपयोगी रहेगा जिसमें प्रथम आस्पेक्ट प्राविधिक (टेक्नीकल) है और दूसरा आस्पेक्ट संस्थागत होगा। जब मैं टेक्निकल आस्पेक्ट को रेफर करता हूं तो मेरा मन्तव्य बड़ी मशीन, ट्रैक्टर और केवल ट्यूबवेल आदि से नहीं है परन्तु खेती की विधि में प्रत्येक होने वाली सिंचाई से लेकर बीज, खाद या अन्य ऐसी सभी विधियों से हैं जिनसे प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हो सके। सर्व प्रथम मैं टेक्निकल साइड के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। प्रश्न यह है कि खेती के लिये हल

उपयोगी है या ट्रैक्टर। मान्यवर, अगर विभिन्न कारणों को हम देखें तो हमारे यहां ट्रैक्टर बिलकुल ही उपयोगी नहीं है क्योंकि हमारे यहां खेत छोटे-छोटे हैं और एक किसान की जोत भी इतनी कम है कि वह ट्रैक्टर नहीं चला सकता। दूसरे जो लोग यह सुझाव देते हैं कि अगर सहकारी खेती होगी तो बड़े-बड़े फार्म्स बन सकते हैं और उन पर ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जा सकता है वे लोग यह भूल जाते हैं कि यह हमारे भारत की प्रतिभा के ही प्रतिकूल है, उसकी प्रकृति के ही विरुद्ध है। साथ ही वह प्रदेश की जलवायु के ही उपयुक्त नहीं है उससे भू-क्षरण अधिक होने लगेगा। ट्रैक्टर्स विदेशों में बने हैं और उनका फ्यूल भी विदेशी है, वह हमारे लिये उपयोगी नहीं है। फिर अगर आप इसको प्रयोग में लाते हैं तो आप को यह सोचना पड़ेगा कि आप के पशुधन का क्या होगा? इसलिये मेरा मत है कि यहां पर ट्रैक्टर्स कभी उपयोगी नहीं हो सकते।

खाद और उर्वरक का जहां तक सम्बन्ध है, आज ५० फीसदी गोबर गांवों में जलाने के काम में आता है। अगर आप वहां के लिये जलाने के लिये अन्य किसी चीज का प्रबन्ध कर दें तो यह गोबर बचाया जा सकता है। साथ ही उर्वरक का जो लोग प्रयोग करते हैं उसे पानी के साधनों की उपयोगिता के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाना चाहिये अन्यथा और इसका प्रयोग करने से भूमि की पैदावार धीरे-धीरे क्षीण होती चली जाती है। साथ ही नयी विधियों का प्रयोग भारत की पृष्ठभूमि के अनुसार ही किया जाना चाहिये, बीज और रोगों की रोकथाम के लिये हमें जो कुछ विदेशों से अनुभव प्राप्त होते हैं उनको हम बिना इस बात का विश्लेषण किये कि वह चीज यहां पर उपयोगी होगी या नहीं उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पूर्व वहां उसका विश्लेषण कर के देख लिया जाय कि वह चीज वहां उपयोगी होगी या नहीं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज किसानों में उत्साह की कमी है, मेहनत की कमी है। मेरे खयाल में यह बात नहीं है, बल्कि उसकी अनिश्चित मनोभावना ही है क्योंकि उसको यह पता नहीं कि वह खेती उसके पास रहेगी या नहीं। आप जो सहकारिता का नारा लगाते हैं वही गलत है। सदन के बाहर यह प्रचार किया जाता है कि सहकारी खेती रजामन्दी से होगी, जोर नहीं दिया जायेगा। किन्तु मैं कांग्रेस की भूमि सुधार समिति का एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार है—"यदि स्वयं स्फूर्ति प्रयत्नों का कोई दृश्य परिणाम नहीं निकलता तो अनिवार्यता की पद्धति अपनानी पड़ेगी।" यह कितना नापाक इरादा है इनका।

मान्यवर, मैं आपको बतलाऊं कि ५० एकड़ तक के फार्मों में पैदावार ३१८८ पौंड प्रति एकड़ है, ५०० से ऊपर १९२३ पौन्ड प्रति एकड़ है। फिर बैलों द्वारा ४०९.९ मन गन्ना पैदा होता है जबकि ट्रैक्टर द्वारा ५६.२ मन पैदा होता है। हल के द्वारा १३४ रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है और ट्रैक्टर के द्वारा २६६ रुपया। इसलिए ट्रैक्टर हमारे यहां के लिए बिलकुल अनुपयोगी हैं और सहकारी खेती भी। कृषि में किसी निर्जीव वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, अपितु एक जीवित वस्तु की रचना होती है। अतः जिसे जमीन से प्रेम होगा वही भूमि रख सकता है। उसके लिए भूमि क्षरण और वृक्षारोपण का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। सरकार के पास कार्य के विभाग हैं, सामग्री नहीं.....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान जो माननीय मंत्री जी की ओर से रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन की सबसे मुख्य वस्तु खाद्य पदार्थ जिसके बिना जीवन नहीं रह सकता, उसके संबंध में चर्चा है।

[श्री मुरलीधर कुरील]

में यह बतलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं के द्वारा दिन प्रति दिन प्रगति हो रही है और खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है।

पिछले दिनों कांग्रेस ने तय किया कि सहकारी कृषि की प्रगति की जाय। जिस प्रकार अभी हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भाषण किया उसमें सभी ने विरोध करने का इरादा कर लिया था। उन्होंने बतलाया कि ट्रैक्टर हमारे मुल्क के लिए उपयोगी नहीं है, उसके लिए अधिक भूमि चाहिए, उसी पर उपयोगी हो सकता है। जिस पार्टी के लोग यह बात कहते हैं उसमें विशेष तौर से जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य हैं। अगर देखा जाय तो सबसे ज्यादा पूंजीपति उसी समाज के अन्दर हैं और उन्हीं के पास सबसे अधिक भूमि है, वही सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सदन में दिखाने के लिए विरोध करते हैं। इस तरफ से यह नहीं कहा गया है, बल्कि यह कहा गया कि जिनके पास छोटे-छोटे भूमि के टुकड़े हैं और एक हल की काश्त वह फायदे के साथ नहीं कर सकते हैं तो १०-२०-२५ किसान मिल कर एक जगह कर लें तो उनकी जमीन के बीच में कुएं बनने में और बहुत से कामों में उनको सहूलियत मिलेगी, फसल के बोने और काम करने में कम खर्चा होगा और खुद मेहनत करना चाहें तो अधिक पैदावार कर सकते हैं। कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि सहयोगी कृषि लाजमी होगी, जबरन लोगों को करनी पड़ेगी और न नियम है, लेकिन इस तरह की बातें करके लोगों के अन्दर एक भ्रम का वातावरण पैदा करना, यह किसी के लिए हितकर नहीं है।

जहां तक यह कहा गया कि लोगों की जमीन ली जा रही है, जिनके पास अधिक भूमि है, जिनके पास सैकड़ों, हजारों बीघे खेत हैं उन्हीं के पास बड़े-बड़े कारखाने भी हैं और उन्हीं के लड़के बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी नौकरियों में लम्बी-लम्बी तनख्वाहें भी पाते हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि अगर इस मुल्क में से गरीबी को मिटाना है तो इस रोजगार का भी कोई न कोई बटवारा होना चाहिये। एक आदमी कितने प्रकार का रोजगार करेगा, एक आदमी किस काम को अच्छी तरह से कर सकता है और निभा सकता है, किस काम को करने की योग्यता उसमें है, यह भी देखना पड़ेगा। पैसे के बल पर एक आदमी १०-१० रोजगार समेटे हुए है और एक ऐसा है जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इस समस्या को भी हल करना पड़ेगा। खेती का काम बड़े परिश्रम का काम है, धूप में, जाड़े में और पानी में काम करना पड़ता है। मैं उन लोगों से, जो यहां भाषण करते हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या वे धूप में, कड़कड़ाते जाड़े में और पानी में काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उनके अन्दर वह सामर्थ्य नहीं है। वह तो गांव का मजदूर ही करता है। वहां वही काम करता है और फिर भी उसको ठीक से मजदूरी नहीं मिलती है। उसको मजदूरी इतनी कम मिलती है कि वह अपना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रख सकता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक न होगा वह परिश्रम कैसे कर सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि परिश्रम करने वाले को जमीन मिलनी चाहिये। लेकिन जो लोग जमीन लिये हुये हैं वे उस पर काम नहीं करते। वे उन खेतिहर मजदूरों को लगाये हुए हैं। यह जरूर है कि वह पढ़े लिखे हैं, टैकनिक जानते हैं और मजदूर के पास कोई साधन नहीं है लेकिन वह मेहनत से काम करता है और उसने काम करते-करते कुछ अनुभव अवश्य प्राप्त किया है उसका भी वह प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अगर वह भूमि उस श्रमिक को मिल जाय और उसको साधन मुहैया करा दिये जायं तो मैं समझता हूं कि वह उसी भूमि में अधिक पैदा कर सकता है क्योंकि वह जुट कर मेहनत करने वाला व्यक्ति है।

इसी ध्येय को पूरा करने के लिये सहकारी खेती की बात कही गयी है कि गांवों में जो परती भूमि पड़ी हुई है, जो नयी जमीन खेती योग्य बनायी जा सकती है अथवा भूमि की हदबंदी से जो जमीन बढ़े, उस जमीन को उस श्रमिक को दे देना चाहिये। उस खेती को फार्मों का रुप दे दिया जाय और सारे साधन सहकारी खेती के द्वारा जुटा दिये जायं। इस प्रकार उस श्रमिक को काम करने का पूरा-पूरा मौका दिया जाय। यह मतलब सहकारी खेती का है। यह नहीं है कि किसी की खेती ले ली जायगी अथवा सहकारी खेती के बाद फिर वह सरकारी खेती हो

जायगी। यह तो एक अच्छी चीज के प्रति भ्रम का वातावरण पैदा करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की बात है, यह मैं समझता हूं कि मुल्क के लिये और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये हितकर न होगा। इससे अच्छा वातावरण भी पैदा नहीं होगा।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जो कृषि कालेज चल रहे हैं उनमें जो खेती के बारे में रिसर्च हो रही है, उनमें कोई लाभदायक रिसर्च अभी तक नहीं हुई है जिससे यह समझा जा सके कि इस प्रकार से उपज ज्यादा बढ़ सकती है। कानपुर में रेह काफी बढ़ रहा है। खेती योग्य अच्छी जमीन दिन प्रति दिन ऊसर में बदलती जा रही है। वह भूमि रिसर्च विभाग को दी जाय जिस पर वह ऐसे पौदे आदि लगायें जिससे उस जमीन को उपजाऊ जमीन में बदला जा सके। अगर वह जमीन खेती योग्य न बनायी जा सके तो जंगल विभाग को दे दी जाय जिससे वह ऐसे पौधे उस पर लगायें ताकि भूमि का कटाव तो रुक जाय....

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि अनुदान जिस पर कि आज सदन में बहस हो रही है उसका इस प्रदेश के ८० फीसदी निवासियों से ताल्लुक है। यह प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और यहां के ८० फीसदी निवासियों के जीवन का साधन कृषि ही है। इसलिये यह निर्विवाद सत्य है कि कृषि की उन्नति से ही इस प्रदेश के रहने वालों की जिन्दगी ऊपर उठ सकती है और साथ ही साथ अन्य व्यापार के साधनों की भी तरक्की हो सकती है। मान्यवर, खेती की तरक्की के लिये जरूरी होता है कि अच्छा बीज मिल सके, पानी के साधन हों और अच्छी खाद का प्रबन्ध हो। इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहली बात मन्त्री महोदय से, आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि उनके विभाग और सिंचाई विभाग का आपस में कोआपरेशन होना चाहिये। कृषि और सिंचाई विभाग के दफ्तर पास-पास होने चाहिये ताकि एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइलों के पहुंचने में बरसों न लगें। दोनों विभागों में इस तरह का सम्पर्क होना चाहिये कि पानी की व्यवस्था ठीक समय पर हो सके। खरीफ और रबी के आन्दोलन चलाये जाते हैं, रासायनिक खादों को इस्तेमाल करने के लिये कहीं-कहीं पर किसानों को मजबूर किया जाता है परन्तु काश्तकारों को रासायनिक खाद इस्तेमाल करने के बाद ठीक समय पर पानी नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि बिना रासायनिक खाद के जो उनकी पैदावार हो सकती थी वह भी नहीं हो पाती है। इसलिये पानी देने के जो सरकारी साधन हैं उनके द्वारा समय पर पानी दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, हमारे सूबे में कुछ इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय जिससे हमारे देश और प्रदेश के किसानों के जो रूढ़िवादी विचार हैं वह बदल सकें। यदि उनके रूढ़िवादी विचारों को बदलने में सरकार कामयाब हो सके तो प्रदेश की कृषि में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हमारे देश और प्रदेश के ज्यादातर किसान नकल करने वाले हैं लेकिन छोटी-छोटी काश्तों में वह नये प्रयोगों को इस्तेमाल करने में घबराते हैं कि कहीं उनकी जो पैदावार हो रही है वह भी न कम हो जाय। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूलों के पास जो खेती है उनमें ऐग्रीकल्चर विभाग किसानों के प्रदर्शन के लिये नये साधनों के द्वारा अपनी देखभाल में खेती कराये। यदि सरकार को वहां पैदावार की अपेक्षा ज्यादा भी लागत लगानी पड़े तो कोई बात नहीं है क्योंकि वहां पर खेती के जो तरीके अपनाये जायंगे उनको काश्तकार देखेगा और उसको फायदा दिखाई पड़ेगा तो छोटी-छोटी काश्तों पर उन नये औजारों और हलों को अपनाने की कोशिश करेगा। मेरा सुझाव है कि इस तरह के जो छोटे-छोटे फार्म जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूलों के पास हैं उनको कृषि विभाग अपने हाथ में ले ले और अपनी देख-रेख में अपने ढंग से खेती कराये ताकि काश्तकार उसकी नकल कर सकें।

पशुओं की नस्ल सुधारने के संबंध में मंत्री जी ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान सेन्टर बहुत खोले जा रहे हैं। मैं इसकी मुखालिफत नहीं करता परन्तु मैं चाहता हूं कि इतने कृत्रिम गर्भाधान

[श्री होरीलाल यादव]

सेन्टर न स्थापित किये जायं जिससे प्राकृतिक गर्भाधान का सिस्टम ही समाप्त हो जाय । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने मेरठ के गांवों में सांड़ों को रखने की व्यवस्था शुरू की है। मैं समझता हूं कि तमाम सूबे भर में इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाय कि अच्छे नस्ल के सांड़ वहां रखे जायं और उनकी देखभाल गांव के ही किन्हीं विशेष व्यक्तियों के हाथ में सौंप दी जाय और जो काश्तकार उस सांड़ से अपने जानवरों का गर्भाधान कराना चाहें उनसे कुछ चार्ज भी कर लिया जाय तो वह अनुचित बात न होगी । क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि अगर किसी काश्तकार की कोई गाय या भैंस गरम होती है तो उसका गर्भाधान कराने के लिये वे सांड़ के मालिक को कुछ पैसे देते हैं । मेरा खयाल है कि काश्तकार बड़ी खुशी से उस पैसे को देंगे जिस पैसे से उन स्थानों के सांड़ों की जिन्दगी की रक्षा की जा सकती है, उनका पालन पोषण किया जा सकता है, उनके खाने पीने का अच्छा इन्तजाम किया जा सकता है ।

छोटे-छोटे नये औजार जो खेती में इस्तेमाल किये जाते हैं उनका प्रदर्शन बड़े पैमाने पर गांवों के अन्दर होना चाहिये ताकि काश्तकार उनको देख कर इस्तेमाल करना शुरू करें और उनको ठीक करने की शिक्षा भी देहातों में दी जानी चाहिये, क्योंकि एक बार जब औजार बिगड़ जाते हैं तो फिर दोबारा उनको ठीक कराने में भी बड़ी कठिनायी उठानी पड़ती है । उनके पुर्जे व पार्टस् मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिये हर ब्लाक सेंटर में सरकारी कृषि विभाग की तरफ से पार्ट्स् के भी रखने का इन्तजाम होना चाहिये ताकि सस्ते दामों पर आसानी से काश्तकारों को वे मिल सकें ।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है, हरी खाद का इस्तेमाल तो होता ही है और होना ही चाहिये, परन्तु गोबर के जलाने के काम को रोकने का तरीका यह है कि खाना बनाने के नये ढंग के तरीके काश्तकारों में सिखलायें जायं और जो नये तरीके के चूल्हे निकले हैं उनका प्रदर्शन देहातों में होना चाहिये । क्योंकि उनका प्रचार अभी तक देहातों में नहीं हो पाया है । गैस प्लांट जो बना है वह बहुत मंहगा पड़ता है और काश्तकार उसे अपनाने में असमर्थ है लेकिन उसे जितना सस्ता किया जा सके करना चाहिये ताकि सभी लोग उसे आसानी से लगा सकें । अगर उनका प्रदर्शन हो तो मेरा खयाल है कि काश्तकार उसे अपनाने के लिये तैयार हो जायेंगे । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि हम आज एक ऐसे अनुदान पर बहस कर रहे हैं जिसका सीधा-सीधा हमारे प्रदेश की ७४ प्रतिशत जनता से सम्बन्ध है । आज एक ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर बहस करते समय जब माननीय मंत्री जी इसको प्रस्तुत कर रहे थे तो मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण के हर शब्द को एक विद्यार्थी की तरह से सुना और मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि जो कुछ उनका विभाग कर रहा है उससे वे पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं । मैं उनके उस सन्तोष में कायल होने की बात नहीं सोचता, लेकिन एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि अगर डिस सेटिस्फैक्शन कायम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि मंत्री जी के विभाग का प्रयास कम हो जाय, इसलिये कुछ असन्तोष माननीय मंत्री जी को अपने विभाग में कायम रखना चाहिये ताकि जो प्रगति वह करना चाहते हैं वह पूरे तरीके से चलती रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब बातें मान कर चलता हूं । माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि किस तरीके से हमारी पैदावार बढ़ेगी, और क्या-क्या प्रयत्न वे करने जा रहे हैं, पैदावार बढ़ाने के लिये । उन्होंने कहा कि अच्छे बीज वे गांवों में पहुंचाना चाहते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि फर्टिलाइजर्स किस तरह से गांवों में पहुंचेंगे और इस दिशा में उनका विभाग क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है । मैं इस कहानी को जरा आगे से लेता हूं और माने लेता हूं कि आज हमारे प्रदेश में किसान ने ठीक तरह से उतना गल्ला पैदा कर लिया है जितनी कि आवश्यकता है लेकिन हमें देखना यह है कि आज किसान में इनसेन्टिव टु वर्क है या नहीं । आप ने कल के अखबार

में देखा होगा कि केन्द्र के खाद्य मंत्री ने कहा है कि हम अपने यहां शुगरकेन का एकरेज कम करेंगे लेकिन कभी उन्होंने यह भी सोचा कि आज इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों हमारे यहां फूड ग्रेन्स की कमी है ? मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार के सिर पर है और वह इस तरह से है कि आज सरकार यह भूल जाती है कि जिस समय किसान गल्ला पैदा करता है और उसको लेकर बाजार में जाता है तो उसको यह मालूम नहीं होता कि आढ़ती किस दाम पर उसका गल्ला लेगा। आज हमारे सूबे में बड़ी आवश्यकता है कि किसान को उसकी पैदावार की मिनिमम एकानामिक प्राइस मिले। अगर आप उसकी मिनिमम एकानामिक प्राइस फिक्स कर दें तो वह अपने खर्चे से अधिक जो गल्ला उस के पास सरप्लस होगा उसको लेकर बाजार में जायगा तो उसको उचित दाम मिलेंगे और जैसे-जैसे उसे उचित कीमत मिलेगी वैसे-वैसे वह गन्ने के बजाय खुद ही गल्ला पैदा करने की बात सोचेगा।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब किसान पर और उसकी खेती पर दैवी आपत्तियां आती हैं तो उस की कोई सहायता नहीं करता। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा उस किसान की बेबसी पर, फसल पकी खड़ी है और उस पर जरा देर में ओला गिर जाता है और किसान हाथ मलते रह जाता है। मैंने इस विषय पर २-३ बार ध्यान दिलाया है कि आज हमारे सूबे में भी जिस तरह से कि पंजाब में किया गया है क्राप इन्श्योरेंस की जरूरत है और उसका एक्सपेरीमेंट होना चाहिये, इस तरह की इन्श्योरेंस गन्ने पर, गेहूं पर, पेडी पर और काटन आदि पर होना चाहिये और इस सिस्टम को जल्द यहां इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये ताकि गरीब किसान दैवी आपदाओं के समय, जब उसकी फसल नष्ट हो जाय तो कम से कम वह अपने बाल बच्चों और मवेशियों को आगे के लिये जिन्दा तो रख सके।

मैं एक और शोषण की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि जिस वक्त काश्तकार अपनी पैदावार को मंडी में ले जाता है तो वहां उस का किस तरह से शोषण होता है, मंडी में जो कुछ होता है वह केवल देखने से ही वास्ता रखता है, अगर कोई माल बेचने जाता है तो उस से धर्मादा लिया जाता है और एक अजीब परिस्थिति वहां की होती है। दुनियां के किसी व्यापार में ऐसा नहीं देखा जाता कि पैदा करने वाले गल्ले के मालिक को खुद अपनी चीज को बाजार में बेचने का अधिकार न हो, आज गरीब किसान की अपने ही गल्ले के मुताल्लिक यह बेबसी है, वह दूसरों के हाथ में पड़ जाता है और वही उसके माल को बेचते हैं और आढ़तियों से वह उफ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि इस दिक्कत को दूर करने के लिये मंत्री जी जल्द से जल्द रेगुलेशन आफ मारकेटिंग बिल लावें और उसे जल्द से जल्द पास कराने का प्रयास करें ताकि किसान पूरा पैसा अपनी उपज का पा सके।

इस सिलसिले में मैं कुछ बातें गन्ने के विषय में जरूर कहूंगा। मुझे याद है कि सन् ५७ में जब मैंने इसी सदन में अपनी मेडेन स्पीच दी थी तो मैंने गन्ने के बारे में कहा था कि आज गन्ना और दूसरे विभागों में एक होड़ है और नहीं कहा जा सकता कि कौन आगे निकल जाय लेकिन मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज कोई विभाग इतना करप्ट नहीं है जितना कि गन्ना विभाग है। इस के कई कारण हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, २ मिनट और दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं आप ३ मिनट में खत्म कर दें।

श्री जगवीर सिंह—अन्त में मैं यह और कहूंगा कि मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं कि जिन्होंने कहा कि आर० सी० ओज० की पोस्ट होना चाहिये। आज हमारे यहां उस जरूरी केडर के कोई लोग नहीं हैं लेकिन ऊपर टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। मैं चाहता हूं कि विकेंद्रीकरण कर के यहां से असिस्टेंट केन कमिश्नरों को आर० सी० ओ० बनाकर भेज दें। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

[श्री जगवीर सिंह]

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कही जाती है कि हमारे विभाग ने बड़ी तरक्की की है। उस तरक्की का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सन् १९५९–६० से ६०–६१ में गन्ने की पैदावार घटी है। यह क्यों ? इतना ही नहीं अगर हम साउथ से अपना मुकाबिला करें तो वहां हमसे चौगुनी और हवाई आईलैन्ड में हम से १२ गुनी गन्ने की पैदावार होती है। और शुगर परसेंटेज को देखें तो हमारे यहां साढ़े ९ फीसदी साउथ में १० फीसदी और हवाई आईलैन्ड में १२ फीसदी हैं। मैं जो करप्शन की बात कह रहा था तो उसका एक खास मन्तव्य है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान अपना गन्ना ले जाता है तो उसका जो अन्डरवेमेंट होता है अगर उसको रोकने में यह सरकार अपने को असमर्थ पाती है तो यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमें चाहिये कि मिल मालिकान को मजबूर कर दें कि वे आटोमैटिक वेमेंट्स लगावें। हो सकता है कि पूरा एक साल में न हो पावे। तो पहले वर्ष में २५ प्रतिशत दूसरे वर्ष में ५० प्रतिशत, तीसरे वर्ष ७५ प्रतिशत और इस तरह से ४ वर्षों में पूरे वेमेंट आटोमेटिक हो जायेंगे। अगर हम मिलमालिकों को मजबूर कर देंगे तो उसे वेमेंट आटोमेटिक लगाना पड़ेगा और उससे ९० प्रतिशत करप्शन इस विभाग का हम खत्म करा सकेंगे।

एक अजीब बात हमें दिखाई पड़ती है। एक कहावत है कि इंद्र जब देखता था कि किसी की तपस्या पूर्ण होने वाली है तब वह किसी अप्सरा को भेज देता था कि उसकी तपस्या जाकर भंग करो। इसी तरह से जब हमारे किसान की तपस्या पूर्ण होती है और जब वह गन्ने को लेकर जाता है तो हमारे मुहकमे की पुरजी रूपी अप्सरा उस किसान को बहका देती है और वह उस समय वहां पर कुछ पैसे बांटने की बात सोचने लगता है। अगर किसान कहीं बेइमानी की बात सोचता है तो इस मुहकमे में। हमारे मिलमालिक क्या करते हैं ? हमें गन्ने का पैसा नहीं दिया जाता है। हमारी कीमत बाकी रहती है तो सूद देने की बात तो दूर रही, मैं अपने जिले की बात कहता हूं, हमारे यहां तो यहां तक होता है कि ऐसे सेंटर्स वहां मौजूद हैं जिनमें रेलवे सेंटर्स का पैसा हमको मिलना चाहिये, वहां हमको मजबूर कर दिया जाता है कि हम रोड सेंटर का पैसा लें। इसके लिये हमने कई बार लड़ाई की लेकिन सुनाई नहीं होती और अगर सुनवाई हो भी जाती है तो उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस ओर ठोस कदम उठावे और गन्ने के किसानों की जो बरबादी हो रही है उससे उसको बचाने के लिये कोई न कोई ठोस कदम उठाने की बात बहुत जल्द सोचे।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश जैसे कृषिप्रधान राज्य में जहां ८० प्रतिशत लोगों का जीविकोपार्जन खेती पर ही आश्रित हो और जहां के इस माननीय सदन में ८० प्रतिशत किसानों के चुने हुये प्रतिनिधि बैठे हों वहां जब हम उस कीमती विषय, कृषि बजट पर बहस करने बैठे हों, उस समय हम इतनी थोड़ी संख्या में बैठकर विवाद उस विषय पर कर रहे हों, यह बड़े दुख की बात है। हमारे प्रांत में करीब ७ करोड़ २० लाख एकड़ कुल जमीन खेती योग्य है। खेती के अधीन रकबा ५३६.९६ लाख एकड़ है। बोया गया रकबा ४२४.७२ लाख एकड़, खराब जमीन—३० लाख एकड़, बीहड़ और ऊबड़ खाबड़ ४५ लाख एकड़ भूमि कटाव के कारण पैदावार शून्य हो गयी है, १५ लाख एकड़ जोत भूमि खर पतवार एवं झाड़ियों से ढंकी हुई है, ३० लाख एकड़ भूमि ऊसर का रूप ले रही है और २० लाख एकड़ भूमि विभिन्न रोगों से ग्रसित है। मैंने अभी बताया था कि बोया गया रकबा ४२४.७२ एकड़ है। इतनी बड़ी लम्बी चौड़ी जो मैंने जमीन बताई है लगभग १३० लाख एकड़ वह हमारी खराब है।

हमारे एक माननीय सरकारी पार्टी के सदस्य ने बताया कि और तमाम जमीन ऐसी है जिसमें रेह होता चला जा रहा है। नहरों के पानी के जरिये खेतों में बालू आती है वह बराबर बढ़ रही है। तमाम जमीन ढाल के कारण कटाव में खराब होती जा रही है, नदियों के कटाव

से बरबाद हो रही है। जब इतनी बुरी तरह से जमीन प्रदेश की बराबर खराब होती चली जा रही है तो सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया। क्या कारण है मंत्री जी बतायेंगे।

फर्टिलाइजर व रासायनिक खाद की बात कही गई। कटौती के प्रस्तावक महोदय ने जैसा बताया कि किसान को उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो खाद जाती भी है वह काश्तकारों तक नहीं पहुंचती, सब ब्लैक में चली जाती है। बिल्लौर जैसे सीड स्टोर से हजारों बोरे खाद हैदराबाद और मैसूर में जाकर बिके।

इसके अलावा सबसे कीमती चीज गोबर की खाद है और हरी खाद है। मंत्री जी ने भी बताया है कि अगर गोबर को जलाया न जाय और खाद के लिये इस्तेमाल हो तो किसान को काफी फायदा हो और ५० फीसदी उसकी खाद की समस्या हल हो जाय। यही बात मंत्री जी ने पिछले साल बजट के समय कही थी। बात बिल्कुल सही है। रानीखेत में एक अनुसंधान हुआ था जहां गोबर से गैस बनायी गई जो खाना बनाने व रोशनी के काम आ सकती है और गोबर की बचत हो सकती है खाद के लिये। इसी तरह से जो नई टट्टियां बाटर शील लैट्रिन बनायी गई हैं उनसे पाखाने की गंदगी की समस्या भी हल हो सकती है और उससे गैस बनाकर रोशनी-खाना व अन्य काम किये जा सकते हैं। तो मैं पूछना चहता हूं जब मंत्री जी इन सब उपयोगों को जानते हैं फिर इस बजट में कोई मुनासिब कदम इस दिशा में क्यों नहीं उठाया ?

इसी तरह से ५५–५६ में जो सोसाईटीज की तरफ से बीज दिया गया केवल ९ फीसदी लोगों को दिया गया। आज १०,१२ फीसदी लोगों को दिया गया। बीज सवाई पर दिया जाता है। कुछ सरकार की तरफ से सीड स्टोर्स हैं जिनमें कीमत लगाकर बीज दिया जाता है। आप जानते हैं बोने के समय अनाज मंहगा होता है और फसल के समय गल्ला सस्ता होता है जिसका नतीजा यह होता है कि किसान को बीज ड्योढा देना पड़ जाता है। कहने को तो सरकार कहती है कि हम किसान को सहयोग रूप में बीज देते हैं, लेकिन होता उसका उल्टा है। अच्छा खासा सरकार व्यापार चला रही है। जो बीज मिलता है वह ज्यादातर मंडियों से खरीद लिया जाता है या पंजाब से ले लिया जाता है। क्या काबुल में गधे नहीं होते? क्या पंजाब का सारा गल्ला अच्छी किस्म का है ? अब मंत्री जी बीज देने की दूसरी स्कीम बना रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कब तक वह योजना लागू होगी। आशा है जल्द से जल्द उसको लागू किया जायगा। मंत्री जी ने सिंचाई के बारे में पिछले साल बजट के समय बताया था कि ट्यूबवेल हमारे ज्यादा कामयाब नहीं हो पाये, नहरों के भरोसे किसान ने अपने छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों का उपयोग नहीं किया। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि जब आप यह जानते हैं तो इस बजट में गांवों के तालाबों, कुओं की सफाई के लिये, उनकी मरम्मत के लिये कितना रुपया बजट में रखा है ? सारा बजट आपका नहरों और ट्यूबवैलों पर खर्च होगा। कितना हिस्सा है बजट का जो छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों पर खर्च किया जायगा ? उत्तर प्रदेश की सिंचाई संबंधी तालिका में स्पष्ट है कि १९४५–४६ में ५९.५ लाख एकड़ में सिंचाई हुई और नहर की लम्बाई १७८२१ मील थी। ४६–४७ में ५९.७ लाख एकड़ में सिंचाई हुई और नहर की लम्बाई थी १८,०७१ मील और ४७–४८ में ६१.८ लाख एकड़ में सिंचाई हुई और नहर की लम्बाई नहीं दी हुई है। ४८–४९ में ५६.६ लाख एकड़ में सिंचाई हुई और नहर की लम्बाई थी १८,३७१ मील। इस तरह से आप देखेंगे कि वर्तमान सरकार की नहर की जो लम्बाई दी हुई है उससे ७५० मील लम्बी नहर से १६.६ लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की जायगी और ४६–४७ में आप देखेंगे कि ३३० एकड़ भूमि से औसतन सिंचाई होती थी और आपकी इस योजना में २,२०० एकड़ में सिंचाई होगी १ मील लम्बी नहर में, तो ये आंकड़े कहां तक न्यायसंगत माने जा सकते हैं।

[श्री शिवनाथ सिंह]

किसान अलाभकर जोत से परेशान है। माननीय मंत्री जी ने आपके सामने बताया कि ९० प्रतिशत किसान गरीब है, उसके पास अलाभकर जोत है। इससे वह अपनी जीविका के साधन भी अच्छी तरह से जुटा नहीं सकता। इसके लिये सोशलिस्ट पार्टी ने बराबर कहा कि इस तरह की अलाभकर जोतों को मालगुजारी से बरी कर दिया जाय। लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस वस्तुस्थिति को देखते हुये सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिये और अलाभकर जोतों से लगान माफ करने का क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिये।

*श्री राजदेव---(जिला देवरिया)----उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग का जो अनुदान है उस के संबंध में मैं खड़ा हुआ हूं। आज हमारे प्रदेश में कृषि की क्या हालत है या पशुपालन की क्या हालत है इस पर हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना है। हमारे प्रदेश के अन्दर किसान जो कृषि करता है, करीब-करीब उसमें ७०,७५ फीसदी किसान तबाह रहा है। आज इस प्रदेश तथा देश का एक बड़ा समुदाय देहातों में रहता है। खेती की जैसी तरक्की होनी चाहिये, जो साधन उसे सुलभ होने चाहिये मेरे खयाल से उसे मुहइया नहीं होते रहे। यह ठीक है कि पहले के मुकाबिले गल्ले की पैदावार कुछ बढ़ी लेकिन जिस तेजी से उत्पादन दिन दूना रात चौगुना बढ़ना चाहिये था उस तेजी से नहीं बढ़ा। जिस समय किसान को पानी की जरूरत होती है उसे पानी नहीं मिलता। उसे जब ट्यूबवेल्स तथा कुओं के लिये तकावी की जरूरत होती है तो वह दर दर का भिखारी होता है। जब सारी खेती सूख जाती है तो तहसील-दार, कानूनगो, लेखपाल के पास दौड़ा करता है। उसकी खेती सूख जाती है। ठीक समय से उसे पानी नहीं मिल पाता और न तकावी मिल पाती है। उसका कुवां बन नहीं पाता इसलिये किसान खुशहाल नहीं हो पाता।

हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या गेहूं, चना, मटर तथा जौ की है, जेठ तथा क्वार के महीने में गल्ला पदा होता है। किसान जब बाजार में गल्ला ले जाता है तो ठीक समय से और उचित रूप से उसे कीमत मिलनी चाहिये लेकिन वह कीमत उसे नहीं मिल पाती है और सस्ते दाम में वह अपना अनाज बेंच देता है और जब असाढ़, सावन, भादों या माघ का महीना आता है और जब वह गल्ले को खरीदने के लिये बाजर में जाता है तो उन्हीं अढ़तियों के जरिये दूने, तिगुने दाम पर उसे गल्ला खरीदना पड़ता है। मैं समझता हूं सरकार को इन कठिनाइयों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह सही है कि यह विभाग एक ऐसे कुशल और कर्तव्यपरायण मंत्री जी के हाथ में है जिन पर हमारे प्रदेश को विश्वास है। मैं समझता हूं कि पशु पालन और कृषि के बारे में वह जितना कर सकें उतना ही अच्छा है ताकि हमारे प्रदेश में भरपूर अन्न का उत्पादन हो सके।

मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कृषि और सिंचाई विभाग, ये दोनों किसी एक मंत्री के हाथ में होने चाहिये क्योंकि कृषि और सिंचाई, इन दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध है। कृषि के लिये जब सिंचाई की जरूरत होती है तो सिंचाई विभाग एक बेसुरा राग अलापता है। मैं स्वतः एक किसान हूं। पारसाल मैंने २२ एकड़ में धान बोया था। धान की फसल बहुत अच्छी जमी थी लेकिन जब उसे पानी की जरूरत थी तो पानी नहीं मिला। सारा धान सूख गया। आज कोई भी खेती करना नहीं चाहता। आज एक अध्यापक, एक चौकीदार, चपरासी, ये अपना जीवन बिता सकते हैं लेकिन एक किसान अपने जीवन को इतना हेय समझ रहा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक किसान को साधनों से सम्पन्न नहीं किया जायगा तब तक उसका जीवन ठीक नहीं होगा। आज बाजरा, मटर, पनीर, मक्खन, घी, दूध, सारा सामान गांवों में पैदा होता है लेकिन किसान इन चीजों को शहरों में ले जाता है और सस्ता बेंच आता है। लेकिन जब यह खाने वाला सामान वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुद खरीदने जाता है तो बड़े मंहगे दामों में मिलता है। आज सारे देश की रीढ़ किसान पर निर्भर है। इसलिये आप उसके हल, बैल, खेत, मकान, तकावी, सिंचाई आदि की व्यवस्था. जितनी जल्दी ठीक कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।

पशु पालन के विषय में मुझे दो एक बातें कहनी हैं। कोई जमाना था जब हमारे देश में घी और दूध की नदियां बहती थीं। लेकिन आज मुझे १६ और १८ साल के नौजवानों के पिचके चेहरे और बुझते हुये दीपक देख कर ताज्जुब होता है कि क्या हमारे देश के नौजवान ऐसे ही हैं। आज उसे खाने को भर पेट अन्न नहीं मिल रहा है, घी और दूध की बात तो दूर रही। शहरों में जो दूध मिलता है उसमें एक हिस्सा दूध और तीन हिस्सा पानी रहता है। हम देखते हैं कि स्वीटजरलैन्ड अमेरिका, आदि पश्चिमी देशों में वहां की गवर्नमेंट गरीब बच्चों के लिये पेय दूध का इंतजाम करती है। लेकिन हमारी सरकार तो वेजिटेबिल आयल को प्रोत्साहन देती है जिसके खाने से आज हमारा नौजवान शक्तिहीन हो रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी गाय, भैंस आदि पशुओं की नस्ल सुधारने की जरूरत है। कोई देश तब बनता है, जब उसके नौजवानों में शक्ति आती है, वह दूध, घी और दही खाने से आती है गोकुल और मथुरा आज हमारे ही प्रदेश में हैं जहां आज भी घी और दूध काफी होता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री चौधरी चरणसिंह जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मथुरा और गोकुल जैसी हालत सारे प्रदेश में पैदा होगी।

मंत्री जी ने चरागाह के बारे में बताया था जिसके चारे को खाकर जानवर तगड़ा होता है और दूध भी ज्यादा देता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन चरागाहों की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे।

श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय कृषि विकास का विषय है। हमारी तरफ के सभी साथियों ने यह कहा है कि हमारे यहां कृषि का विकास नहीं हो रहा है और यदि हो रहा है तो बहुत कम। उधर के ज्यादातर साथी हमारे पक्ष में ही बोल रहे हैं और केवल एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारे यहां कृषि विकास कर रही है। मुझे माननीय मंत्री जी से पूर्णतया आशा थी कि वे किसानों की तमाम दिक्कतों को इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखेंगे क्योंकि उनका जन्म एक किसान के घर में हुआ है। लेकिन उन्होंने बड़ी तारीफ की और चीन, जापान की बात कही। मैं समझता हूं कि जहां तक कृषि के विकास का संबंध है अगर हम सरकारी तौर पर देखें तो मालूम होगा कि कृषि का हमारे यहां वाकई विकास किया गया है। कचहरियों की दीवारों पर, सरकारी कागजात में और मंत्रियों के भाषणों में कृषि का विकास हुआ है। हमारे जिले में देखिये कि जिलाधीश महोदय खेती कर रहे हैं। उन के बंगले में गेहूं की काश्त होती है। इससे ज्यादा आपकी कृषि और क्या तरक्की करेगी? जिस खेती को किसान करते थे आज उसी को जिलाधीश महोदय करते हैं।

श्रीमन्, कृषि के विकास के पता तो सही माने में उस समय चल सकता है जब हम गांवों में जाकर देखें कि किसानों ने अपनी खेती में विकास किया है या नहीं? हमें बारीकी से चीजें नहीं देखनी चाहिये। आपके एग्रीकल्चर कालेजों में जो चीज पढ़ाई जाती है क्या वह चीज हमारे यहां के किसानों को मुहैया है, उपलब्ध है? मैं कहता हूं कि आज जिन परिस्थितियों में किसान खेती कर रहा है उनको लेकर यदि तुलना करें कि हमारा किसान कैसे तरक्की कर सकता है तो आपके कालेज और विभाग बेबुनियाद रह जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। उनको क्या साधन मिलते हैं? हमें बारीक चीजों की जरूरत नहीं है बल्कि मामूली और मोटी चीजों को लाना होगा अगर किसानों के कष्टों को हम दूर करना चाहते हैं। एक बूढ़े किसान ने मुझ से कहा था कि आज खेती पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। ये एग्रीकल्चरिस्ट्स क्या खेती

[श्री विजयपाल सिंह]

करायेंगे ? हमारे यहां खेती के लिये खाद, पानी, खुदाई और बीज की आवश्यकता है। हमारे यहां के किसान को इन एग्रीकल्चरिस्ट्स से कहीं ज्यादा तजुर्बा है जो तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिये उसने कहा था कि ये चार चीजों की ही खेती करने की एक कहानी है।

जब मैं चलने लगा तो उस बूढ़े ने कहा कि ठहरो असली चीज एक और है और उसके बिना ये चारों चीजें बेकार हो जायंगी। जो सब से जरूरी चीज है उसको कोई नहीं देखता। अगर एक अच्छी कार होती है तो उसके चलाने के लिये एक अच्छा ड्राइवर खोजा जाता है, अगर किसी स्कूल के लिये मास्टर की जरूरत है तो अच्छा मास्टर देखा जाता है लेकिन खेती के लिये हम यह नहीं देखते कि किसान की क्या हालत है ? किसान स्वस्थ है या नहीं, उसमें स्वाभिमान है या नहीं, उसके बारे में हम कोई चीज नहीं लिखते और मंत्री जी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा और उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। आज हमारे किसान की हालत यह है कि अगर वह किसी काम से दफ्तर में जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उसी दफ्तर के सामने अलसेशियन कुत्ता चला आवे तो दफ्तर के क्लर्क उसके लिये निकल पड़ेंगे, दफ्तर के अफसर निकल पड़ेंगे, लेकिन हमारा किसान दफ्तर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हमारे क्लर्क और अफसर उससे मिलने के लिये तैयार नहीं होते हैं। क्या इसी किसान से आप खेती कराकर उन्नति की आशा करते हैं ? आज हमारा किसान बड़े संकट में है।

हमारे यहां का किसान जहां पैदा हुआ है उसके दो वर्ग हैं। एक किसान और दूसरा वर्ग मजदूरों का है। जुलाहा-लुहार-तेली आदि सभी मजदूर अपना उद्योग करते थे, लेकिन आज उनके निजी उद्योग सब चौपट हो गये हैं। वह भूख के कारण आज किसान को ही सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं क्योंकि उसमें राजनीतिक चेतना तो है नहीं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी इन चीजों को जानते हैं। गांवों में आज किसान परेशान है और चारों तरफ से मजदूर उसको घेरे हुये है। आज अगर किसान की सहायता करनी है तो उससे पहले गांव के निजी उद्योग पनपाइये। मजदूरों के पास खाद भारी मात्रा में पैदा होती है। वह खाद नालियों में जाती है, सड़क के किनारे पड़ी रहती है लेकिन मजदूर चाहता है कि मजदूर की एक मुट्ठी खाद भी किसान के खेत तक न पहुंचने पाये।

आज किसान की मदद के लिए बड़े महकमें खोले गये हैं, आप उन ब्लाक्स को जाकर देखिये। वहां पर आप को मालूम होगा कि शायद अमेरिकन कालोनी है। डी० ओ०, सी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० की एक लम्बी कतार लगी हुई है। यह भेड़िये उस किसान को जिन्दा नहीं रहने देंगे।

आपने सुअर के बच्चों तक का खयाल किया, उनके खाने पीने का खयाल किया, लेकिन किसान जो सब चीजों का दाता है, भगवान कहा जाता है, उसके बच्चे की तालीम के बारे में क्या सोचा है ? वही चालीस रुपये का पाधा उसके बच्चों को पढ़ाता है। शहरों में मांटेसरी स्कूल खुले हुए हैं और हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सहूलियत नहीं है और न इलाज आदि का प्रबन्ध है और हम से चाहते हैं कि अच्छी काश्त करो ?

चलिये, सब झंझट पार हो गया। किसान बहादुर है। किसान भूखों मरना जानता है। फिर खेत में आया तो देखता क्या है कि पानी नहीं है। पानी के सरकारी आंकड़े बहुत हैं। बहुत लागत लगायी जा रही है। उस पर कुछ ऐतराज नहीं और कुछ न कुछ पानी बढ़ा भी है लेकिन हमारे इलाके में जमन नहर है। उसके पुल तोड़े गये, लाखों रुपया खर्च किया गया, लम्बाई बढ़ायी गयी, लेकिन पानी कितना बढ़ा ? पानी नहीं बढ़ा। जहां तक ठेकेदारों की आमदनी का ताल्लुक था वह तो बढ़ी, जहां तक किसान के पानी का ताल्लुक था वह नहीं बढ़ा।

आपने कहा कि कुएं बना कर और तालाबों से सिंचाई की जाय। आज करोड़ों किसानों के पास अनइकोनामिक होल्डिंग्ज हैं। क्या बीस बीघे का किसान कुंआ बना सकता है ? हजारों

रुपये कुएं की लागत है। कुएं का पानी निकालने के लिए कम से कम दो जोड़ बैल चाहिए। इतने छोटे-छोटे किसान कैसे यह साधन जुटा सकते हैं? मान लो कि कुंआ बना भी लिया लेकिन अगर आपकी नहर की नाली में अपना पानी किसान ले जाय तो आपका वही रेट है जो कि नहर का है। क्या यह अन्याय नहीं है?

जहां तक खुदाई का ताल्लुक है जो आदमी पैदल चलकर ६७ मील चलता था आज वह भी दो आने देकर रिक्शा कर लेता है। इतनी तरक्की हो गयी है। लेकिन खुदाई के क्षेत्र में हमारा किसान वहीं का वहीं है। अब भी वही पुराना हल किसान चलाता है। खुदाई के मामले में हमारी सरकार ने क्या तरक्की की है?

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री तमेश्वर प्रसाद** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय कृषि मंत्री ने अनुदान सदन के समक्ष पेश किया मैं समझता था कि वह बहुत ही इन्नोसेंट था और माननीय सदन बहुत ही गम्भीरता के साथ उस पर विचार करेगा क्योंकि खेती एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विषय है जिसका सीधा सम्बन्ध हमारे प्रान्त के काश्तकारों से है। उस समस्या पर विचार करते हुए बहुत से इमोशन्स, बहुत से सेन्टीमेन्ट्स और बहुत-सी बातें कहीं गई। लेकिन किसान की हालत कैसे सुधर सकती है, जो कार्यप्रणाली सरकार की है उसमें कैसे सुधार हो सकता है, उसमें क्या तरमीम होनी चाहिए, इस सिलसिले में कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया। माना कि उसमें खराबी है, लेकिन वह चाहे इस तरफ के माननीय सदस्य हों, चाहे उस तरफ के माननीय सदस्य हों, सबको मिलकर के उस प्रश्न का निराकरण करना है। किस तरह से सुधार हो, किस तरह से खेती हो, किस तरह से प्रगति हो, इस पर विचार करना है। हम सब लोगों ने और हमारे देश के सभी दलों के प्रमुख व्यक्तियों ने लोक सभा में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया है। अब उस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह जो विकास के सारे कार्य हो रहे हैं, वह फैलाये गये हैं। माना कि उसमें कमी है, माना कि उसमें जैसा व्यवहार कर्मचारियों का होना चाहिए, वैसा नहीं है। आप यह समझ लें कि कोई भी स्कीम हो, जब तक उसको जनता नहीं अपनायेगी, जबतक उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमारे प्रान्त के जिम्मेदार लोग उसमें सहयोग नहीं देंगे तब तक वह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती है। यह तो आप मानते ही हैं कि यह कृषि को सुधारने के लिए, कृषि को आगे ले जाने के लिए, देश की पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वह सिद्धान्ततः ठीक हैं।

जहां तक आपने कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स और सीलिंग इत्यादि का जिक्र किया और जो विरोधी दल के लोगों ने उस सम्बन्ध में बातें कहीं, वह कोई सत्यता नहीं रखती क्योंकि सीलिंग हो जाने से या कंसालिडेशन हो जाने से सिवाय किसान का फायदा होने के उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उनका है जो काश्तकारों के बल पर चुपचाप घर में आराम से बैठे रहते थे और काश्तकारों की गाढ़ी कमाई का रुपया इस्तेमाल करते थे और यही नहीं बल्कि चुनाव के जमाने में यह कहा गया कि कंसालिडेशन हो जाने से कागज में सरकार का नाम दर्ज हो जायगा और यह भी कहा गया कि काश्तकारों से उससे कोई सम्बन्ध नहीं रह जायगा। यह भी कहा जाता है कि जिस वक्त सहकारी खेती हो जायगी, सरकार खेत ले लेगी और काश्तकारों से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। लेकिन आप सभी लोग चाहे इधर के हों चाहे विपक्षी दल के हों जानते हैं कि जो सहकारी खेती करने की बात कही जाती है उसमें कहीं नहीं है कि मिल्कियत ले ली जायगी। तो सिर्फ एक बात की जरूरत है। हमारे यहां सब साधन उपलब्ध हैं। हम में सिर्फ साहस नहीं है, ताकत नहीं है, वह जोश नहीं है और काम करने का ढंग नहीं है चाहे आप हों, चाहे हम हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तमेश्वर प्रसाद]

मेरा यह निवेदन है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जिस मिशनरी स्पिरिट से काम करना चाहिए, उस मिशनरी स्पिरिट से वह काम नहीं करते हैं। जिस तरह से जनता में घुल-मिल कर उन्हें काम करना चाहिए, उस तरह से वह नहीं करते। यह उनमें कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी इस विभाग में काम करते हैं उनका प्रशिक्षण ऐसा हो, यह भावना उनमें कूट-कूट कर इस तरह भर दी जाय कि वह जनता की सेवा अधिक से अधिक कर सकें। यह न हो कि एक आफिसर की तरह वह गांव में जायं, अपने को अफसर समझें और जनता को कोई दूसरी चीज समझें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को ठीक रखने के लिये और उनको ठीक रास्ते पर चलाने के लिये हमारा और आपका भी कर्तव्य है और वह कर्तव्य यह है कि हम सही बातों को गांव में कहें। बगैर किसी पार्टी का लिहाज किये हुये, बगैर किसी पार्टी को नीचा दिखाये हुये जो काश्तकारों की भलाई के कार्य हैं, उनका ठीक-ठीक प्रदर्शन करें तभी यह सरकार की स्कीम कामयाब हो सकती है। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बजट हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है वह बहुत सुन्दर है और आप काश्तकारों के बहुत पुराने हितचिन्तक हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उसको स्वीकार किया जायगा। मुझे यह भी आशा है कि जो सुझाव सदन के सामने आये हैं उन पर माननीय मंत्री जी विचार करके आगे कदम बढ़ायेंगे। इन शब्दों के साथ मैंने जो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा था उसको वापस लेता हूं।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि मेरा नाम अक्सर गलत निकाला करते हैं। मेरा नाम तमेश्वर प्रसाद है और यही निकलना चाहिये। यह मेरा उनसे निवेदन है कि अब आइन्दा वह मेरा नाम ठीक निकाला करें।

(श्री भानुप्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय कृषि मन्त्री दो घंटा बोले हैं और राजा साहब ४० मिनट बोले हैं। मैंने कहा था कि १० मिनट प्रत्येक सदस्य को देना चाहिये। तो अब कम से कम हमको भी बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---जो कटमोशन मूव करते हैं उनके लिये भी सब दलों की ही तरह बात है क्योंकि एक दिन कोई दल मूव करता है और दूसरे दिन दूसरा दल मूव करता है। वह तो अलग चीज है। अभी तक स्वतंत्र पार्टी का कोई माननीय सदस्य नहीं बोला है। अभी आप बोल रहे हैं।

श्री उग्रसेन---मैं यह कहता हूं कि ऐसा न हो कि फिर आप कटौती के प्रस्तावक को बोलने के लिये बुला लें जवाब देने के लिये और हमको बोलने का अधिकार न रहे।

श्री उपाध्यक्ष---आपके सदस्य बोल चुके हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---श्रीमन्, मैं स्वयं एक किसान हूं और खेती के ढंग के विषय में कुछ सुझाव इस सदन के सामने रख सका हूं परन्तु जो खेती के सामने आज संकट उपस्थित है उसको देखते हुये उस खेती की डिटेल में न जाकर केवल खेती से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर ही अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। वादविवाद को सुनने के बाद मेरी समझ में बात यह आई कि जो खेती के सामने संकट है उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं है कि हम किस प्रकार खेती की व्यवस्था इस देश में आगे चलकर करना चाहते हैं। हमारे कांग्रेसी सदस्य कहते हैं कि सहकारी खेती जबरदस्ती लादी नहीं जायगी। यह बात ठीक है। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि सहकारी खेती जबरदस्ती लादी जायगी। मेरा सुझाव है कि कांग्रेसी सदस्यगण, नागपुर के प्रस्ताव को पढ़े, जहां से सहकारी खेती शुरू होती है।

उस प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि भूमि सुधार का अन्तिम लक्ष्य देश में सहकारी खेती की स्थापना है। जब अन्तिम लक्ष्य सहकारी खेती की स्थापना है तो फिर अगर किसान डरता है, तो उसका क्या दोष है? सम्भव है आप शक्ति का प्रयोग न करें लेकिन कोई न कोई उपाय करेंगे क्योंकि आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं।

दूसरी तरफ जो योजनायें सामने आती हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि हमारा विश्वास अभी कृषि स्वामित्व में बाकी है। हमको कहा जाता है कि हम गांवों में जाकर भ्रम फैलाते हैं, मेरा निवेदन है कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों और स्वयं सरकार के दिमाग में भ्रम है क्योंकि कौन सी व्यवस्था वह चाहती है यह पता नहीं चलता। अगर लक्ष्य सहकारी खेती का है तो जो सुझाव आये हैं, वे अनुपयुक्त हैं। उदाहरण के लिये मैसोनरी वेल्स की बात कही गयी। इस स्कीम से मैं पूर्णतयः सहमत हूं और जो सुझाव माननीय चरणसिंह जी ने दिया है वही मैंने सिंचाई अनुदान के समय दिया था। लेकिन यदि आपका लक्ष्य सहकारी खेती का है, तो फिर मैसोनरी वेल्स की जरूरत नहीं। इसी तरह से जो आपकी चकबन्दी की योजना है, अगर आपको सहकारी खेती करना है, तो उसकी कतई जरूरत नहीं है। बीज गोदामों के बारे में आज चाहे जो कुछ कहा जाय कि सरकार सवायी सूद नहीं लेना चाहती, लेकिन यह स्पष्ट है कि बीज गोदामों में जो परिवर्तन किया गया है वह इस उद्देश्य से किया गया है कि किसानों को ठीक सहकारी आन्दोलन पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। तो यह चीजें आपकी ऐसी हैं, जो एक दूसरे की परस्पर विरोधी हैं और आज इस कारण जो भ्रम फैला हुआ है, उसको दूर करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैं स्वयं कृषक स्वामित्व का कायल हूं और यह समझता हूं कि अगर कोई व्यवस्था इस देश के लिये लाभप्रद हो सकती है तो वह मौजूदा भू-स्वामित्व की प्रथा ही है। कुछ हमारे माननीय सदस्य, इधर के बैठने वाले भी और उधर के बैठने वाले भी, यह पूछते हैं कि अगर सहकारी खेती नहीं, तो दूसरा आल्टरनेटिव क्या है। मैं कोई कागजी योजना नहीं रखना चाहता। मैं केवल जापान का उदाहरण पेश करना चाहता हूं जहां पर आराजियों का बटवारा हमारे देश हमारे प्रदेश में, माननीय चरणसिंह जी ने बताया, ९० फीसदी कृषक अलाभकर जोत के हैं। जैसा ही है। जापान के अन्दर एक एकड़ से कम वाले किसान ३६ फीसदी हैं और ९९·५ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनकी खेती २५ एकड़ से कम है। फिर भी वहां की छोटी जोतें अच्छी खेती के रास्ते में बाधक नहीं बनीं। आज यह सभी मानते हैं कि जितनी अच्छी खेती जापान में हो रही है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। तो क्या कारण है कि उस नक्शे को, उस प्रथा को, हम अपने देश में लागू न कर सकें? सहकारी खेती के विषय में मैं ज्यादा न कहकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया की जो अन्तिम रिपोर्ट निकली है, १९५९–६० की उसमें जो लिखा है वह बताना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि ६ लाख १७ हजार एकड़ में सहकारी खेती हुई और उन सब पर हिसाब लगाकर ६ लाख ५० हजार का नुकसान हुआ। तो, श्रीमन्, मैं सहकारी खेती के समर्थकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे कम से कम जो वर्तमान सहकारी कृषि फार्म्स हैं उनको वे उस स्तर पर तो लाकर दिखावें जिस स्तर पर आज गैरसहकारी फार्म्स हैं। आज जितनी पैदावार हमारी साधारणतौर से होती है, उतनी पैदावार तो कम से कम उन सहकारी फार्मों में करके वे दिखावें। जब तक आप उस स्तर पर उनको नहीं लाते आपको सहकारी खेती का लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। आज, श्रीमन्, जरूरत इस बात की है कि हम सहकारी खेती की तस्वीर को बिल्कुल भुला दें और जो वर्तमान भू-स्वामित्व की प्रथा है उसको स्वीकार करें। इसको स्वीकार करने के बाद आवश्यकता इस बात की रह जाती है कि हम इन्टेन्सिव खेती की शरण लें क्योंकि यही एक उपाय है जिससे देश सम्पन्न बन सकता है।

श्रीमन्, मैं कृषि विभाग के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज उनका दृष्टिकोण, उनके कार्य करने का तरीका, उनके प्रदर्शन का ढंग ऐसा है जिससे खेती करने वाले किसानों को सबक सीखने का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदर्शन करने वाले एक गांव में जाते हैं, एक किसान को छांटते हैं और धान या

[श्री भानुप्रताप सिंह]

गेंहूं की खेती कराते हैं। फिर उस किसान को भुला देते हैं। दूसरे वर्ष दूसरी फसल के लिये दूसरे को तैयार करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता। मेरा सुझाव यह है कि एक किसान को लिया जाय और जितने भी वैज्ञानिक खेती के ढंग हैं उसकी हर फसल पर उसका प्रदर्शन किया जाय और हर गांव में १–२–४ हम ऐसे किसान पैदा कर दें जो स्पष्ट रूप से इस बात को साबित कर दें कि अच्छी खेती के ढंग को अपनाने से यह किसान संपन्न हो गये।

मैं जहां तक जानता हूं, कृषि विभाग में फार्म मैनेजमेंट का कोई एक्सपेरिमेन्ट नहीं हो रहा है जिससे यह बात साबित हो सके कि ४–५ एकड़ का छोटा किसान कौन-सा उपाय करे, कौन-सा हेर-फेर खेती में करे जिससे अधिक से अधिक पैदावार हो। इसलिये फार्म मैनेजमेंट के लिये रिसर्च करावें और कम से कम एक विद्यालय यदि हर जिले में सम्भव न हो तो कमसे कम सूबे में इंटेंसिव शिक्षा ऐक्ट के लिये इंटेंसिव फारमिंग स्कूल को खोला जाय। यदि केवल परीक्षा के लिये भी मंत्री जी तैयार हो जायेंगे तो मैं अपनी तहसील में उसके लिये जमीन भी दिलाने का आश्वासन देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस इंटेंसिव फारमिंग से किसानों को समझा सकें कि अच्छी खेती किस तरह हो सकती है। हम अपने कृषि विभाग में जो इतने लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ावें ....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भानुप्रताप सिंह—अच्छा साहब, धन्यवाद।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया कि मैं भी कुछ कहूं। कृषि के संबंध में कुछ कहा जाय, यह समझ में नहीं आता। यहां तो ८० फीसदी किसान इस देश में हैं। लेकिन जो कृषि की तरफ उन्नति की जा रही है यह अवनति की तरफ जा रही है। उसका क्या कारण है? केवल यह कि जो हमारा नौजवान वर्ग है वह देहातों की तरफ रुझान नहीं रखता, शहरों की तरफ चला आ रहा है। हम जो अलाभकर जोत की बात कहते हैं वह उनकी समझ में आ गयी है हम कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करेंगे कि यह जो अलाभकर की बात है इसको नौजवानों के दिलों-दिमाग से हटाना है। दूसरी बात यह है कि यह जो खेती में नातजुर्बेकारी होती है वह बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी कहावत है कि "१३ कार्तिक ३ असाढ़"। हमारा किसान जो खेती पर मुनहसिर करता है वह सिर्फ इतना जानता है कि किस नक्षत्र में जोतना चाहिये और किस नक्षत्र में नहीं जोतना चाहिये, यह हमारे आजकल के जो लोग हैं वह उसको पूरा उपयोग में नहीं ला रहे हैं जिसके कारण हमारी खेती दिनों दिन, बावजूद इसके कि हर प्रकार के साधन मोहैया किये जा रहे हैं, गिरती जा रही है। जहां तक खाद का प्रश्न है, वह समय से नहीं मिलती है इसलिये उससे फायदा नहीं हो पाता और न समय से बीज वगैरह ही मिलता है। ब्लाक द्वारा जो प्रदर्शन होते हैं वह भी समय से नहीं होते। इस कारण हमारी परेशानियां दिनोंदिन बढ़ती ही जाती हैं, घटती नहीं।

जहां तक खाद का प्रश्न है, देहातों में अधिकतर गोबर राख बन जाता है, जलाने के काम में लाया जाता है जिससे हमारी खेती को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके लिये हमें खेती के साथ बारी का प्रबन्ध करना भी जरूरी है। यदि बारी को प्रोत्साहन नहीं देते तो मैं समझता हूं खेती का जो मसला है वह हल नहीं हो सकता और दिनोंदिन हम जो खेती में उन्नति चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी। आज मुल्क का रवैया यह है कि हर तरह के साधन प्रस्तुत करने के बाद भी हम खेती की तरफ से उदासीन हैं और उसके कारण खेती अलाभकर हो गई है। इसके अतिरिक्त, किसान कितनी ही मेहनत करता है लेकिन जब उसकी फसल खलिहान में आ जाती है उसी समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से उसके अनाज को नाप होने लगती है, कर्ज के रूप में, मालगुजारी के रूप में, हर प्रकार से उससे छीन ली जाती है और कुछ दिनों के बाद जब उसको खरीदना पड़ता है तो ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है ।

अब जहां तक पशुपालन की बात है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो डेरी फार्म खुले हैं वह एक तरह से किसान के लिये स्लो प्वायजन हैं । सारा का सारा दूध शहरों में चला जाता है, और देहातों में जो उत्सव वगैरह होते हैं उसमें डालडा या बनस्पति ही इस्तेमाल होता है । इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी कोई ऐसा सुझाव दें जिससे हमारे बच्चे जो कृषि में फंसे हुये हैं उन्हें मुनाफा मालूम हो और उनका रुझान उस तरफ हो सके ताकि वह सफल काश्तकार हो सकें ।

मैं अधिक समय न लेकर एक बात और कहना चाहता हूं कि बीज भंडारों का जो सिलसिला है, वहां से बीज वितरण का जो सिलसिला है वह कुछ ऐसा है कि जो बहुत दिनों से बीज भंडारों में आ जाता है वही वितरण किया जाता है जिससे किसान के लिये अच्छा बीज पाना मुश्किल हो जाता है । तो मैं चाहूंगा कि जो बीज का वितरण किया जाता है वह साल-ब-साल अथवा हर दूसरे साल बदल दिया जाना चाहिये जिससे हमको अच्छा बीज मिल सके और हम अपनी खेती में उन्नति कर सकें ।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमें जो मैन्योर मिलता है उसमें भी मिलावट होती है, मैं सरकार से और अपने पूज्य मंत्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मिलावट पर भी कोई पाबन्दी लगायी जाय ।

इसके अलावा सिंचाई के कनेक्शन के बारे में काश्तकारों को जो सुविधा दी जानी चाहिये और जहां लाइन नजदीक है वहां लाइन का खर्च न लिया जाय ।

खेती में दो मुख्य ही चीज हैं—खुश्की और तरी । अगर खुश्की हो तो पानी के साधन उसको मुहैया कराये जायं और अगर तरी हो तो पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाय, तभी काश्तकार को अधिक फायदा हो सकता है । अगर पानी काफी होगा तो हम बहुत-सा ग्रीन मैन्योर भी पैदा कर सकते हैं फिर गोबर की खाद की भी हमें आवश्यकता न होगी और इसकी परवाह न रहेगी कि गोबर जलाया जाता है अथवा हुक्के में इस्तेमाल किया जाता है । अगर अप्रैल, मई अथवा जून में पानी मिल जाय तो उसमें घास पैदा हो जाय जिसकी अगर जुताई कर दी जाय तो काफी खाद हमें मिल सकती है ।

*श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—मैं सदन के तमाम सदस्यों का आभारी हूं जो उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया, उस तरफ के बैठने वालों ने भी और इस तरफ के बैठने वालों ने भी, लेकिन वोट पता नहीं उधर के बैठने वाले किधर देंगे यद्यपि विचार हमारे साथ में ही प्रकट किये हैं ।

हमारे दो साथी भगवान सहाय जी और जगबीर सिंह जी ने गन्ना विभाग के बारे में बहुत बातें कहीं । मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं । आज जितना भ्रष्टाचार गन्ना विभाग में बढ़ गया है शायद ही किसी विभाग में उसने ऐसी प्रगति की हो । इसका मुख्य कारण यह है कि इस विभाग में राजनीति बहुत घुस गई है और राजनीतिक दल के लोग अपना साधन सिद्ध करने के लिये उसका उपयोग करने लगे हैं । मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं । गोंडा जिले में अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव हुआ । कांग्रेस दल का प्रत्याशी केवल एक वोट से जीता और वह इसलिये जीता कि गन्ना विभाग का एक प्रतिनिधि जिला अन्तरिम परिषद् में जाता था । बलरामपुर केन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

डेवलपमेंट यूनियन की ओर से एक सदस्य भेजा गया। उसको कह दिया गया कि वह नाजायज है। इसके बारे में दोबारा प्रस्ताव पास किया गया और उसको केन कमिश्नर के पास भेजा गया। मगर आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि वे सही हैं या गलत हैं। वास्तव में वे सही थे लेकिन केन डेवलपमेंट में प्रस्ताव पास किया गया उसे नहीं माना गया। नतीजा यह हुआ कि असली प्रतिनिधि के बदले में नकली प्रतिनिधि ने वोट दिया और चुनाव में कांग्रेस वाले सफल हुए। जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। और भाइयों ने भी मुझे इसमें सहयोग दिया है लेकिन मैं सबसे ज्यादा आभारी श्री विजय पाल सिंह जी का हूं जिनका पीजेंट प्रोप्राइटर शिप से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि काश्तकारों का बहुत ऊंचा स्थान है और उनके ऊपर विशेश ध्यान रखा चाहिये ताकि वे अपने को उस सम्पत्ति का मालिक समझ सकें।

हमारे एक तमेश्वर प्रसाद जी ने कोआपरेटिव फार्मिंग का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसमें किसी की जयादाद नहीं जायगी। उस सम्बन्ध में एक शब्द मैं जरूर कह देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, तो आज मेरी धारणा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग में ओनरशिप फार्मर की नहीं रह जायगी, उसकी इंसेंटिव खतम हो जायगी और जब इंसेंटिव खतम हो जायगी तो आप सोच सकते हैं कि खेती का नतीजा क्या होगा। चौधरी चरण सिंह की एक किताब से मैं एक दो शब्द पढ़ देना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—आप एक किताब से कहें, मेरा नाम क्यों लेते हैं?

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—खैर, उस किताब में उन्होंने १८ पेज पर कहा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग को कलेक्टिव फार्मिग से अलग करना बिलकुल गलत है। उनका कहना है कि कोआपरेटिव फार्मिंग में किसान को कोई इंसेंटिव नहीं रहेगी। कोआपरेटिव फार्मिंग में मेरा अपना खयाल यही है कि किसी की निजी सम्पत्ति कायम नहीं रहेगी। यह कहना कि कोआपरेटिव फार्मिंग में भी निजी सम्पत्ति बना रहेगी, एक तरह से काश्कारों को धोखा देना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने किस पेज पर कहा है और किताब का नाम आपने नहीं बतलाया?

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये आप किसी माननीय सदस्य को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—आज इंटेलिजेंट काश्तकार खेती में आने से दूर ही रहना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें कोई लाभ नहीं है। अमेरिकन अम्बेसडर श्री गैलब्रेथ ने इकोनामिक डेवलपमेंट इन परसपेक्टिव नामक किताब में कहा है—

Nowhere in the world is there an illiterate peasantry that is progressive. Nowhere there is a literate peasantry that is not.

तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो कृषि विद्यालयों से हमारे पढ़े लिखे स्नातक निकलते हैं उनमें से कोई भी निजी खेती नहीं कर रहा है। मेरा दावा है कि आप बतलायें कि पिछले ५ वर्षों में मथुरा कृषि विद्यालय से निकले हुये किसी स्नातक ने अपना कोई निजी फार्म स्थापित किया है। नहीं, आज वे सभी सरकारी नौकरी के मुहताज हैं। आज हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में पदार्पण कर रहे हैं और दो पंचवर्षीय योजनाओं का नतीजा हमने देख लिया। हमारे कई भाइयों ने किताबों से कई आंकड़े दिये जिससे मालूम हुआ कि कहीं भी कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं हुई है। चौधरी साहब के ही वे शब्द हैं कि अगर हमने कोआपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया तो हो सकता है हमें पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप की तरफ रिट्रीट करना पड़े। झारखंडे राय जी व जेड० ए० अहमद साहब की बात को अगर मान लिया जाय तब तो बहुत ही भयंकर नक्शा बन जायगा। आज चीन के अन्दर भी महसूस किया जा रहा है कि यह रास्ता बिलकुल गलत है।

वहां की सरकार को मजबूर होकर किसानों को इंसेंटिव देना पड़ रहा है और ख्रुश्चेव ने भी एडमिट किया है कि हमारे यहां भी कृषि की पालिसी फेल हो रही है। आज वही दृष्टिकोण रख कर अगर मंत्री जी इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपया खर्च करना चाहते हैं तो वह वेस्ट होगा और उससे तो काश्तकार की हैसियत बिगड़ जायगी, इसको आप सोच लें।

उन्होंने कहा कि हमारा विभाग सरकार की निगाह में बहुत उच्च स्थान पा रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है कि खेती करो, पशुपालन करो और मछली पालन का भी जिक्र किया गया है लेकिन आप का जो माल विभाग है वह कोशिश करता है कि कहीं भी कागजात में किसी तरह से इन चीजों का इन्द्राज न होने पावे, पशुपालन होता है, मछली पालन होता है लेकिन कहीं भी रेवेन्यू विभाग के लोग कागजात में उनका इन्द्राज नहीं करते, वह होना बहुत जरूरी है। जितने नक्शे सीलिंग के बनते हैं या पटवारी के कागजात बनते हैं वे सब जो वस्तुस्थिति है उस के अनुसार बनने चाहिये और जैसा हो वही कागजात में दर्ज किया जाना चाहिये। इस तरह से ही पशुपालन या मछलीपालन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मैं अपने सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कि मेरे प्रस्ताव को सपोर्ट किया है और मैंने आज देखा कि अधिकतर लोग सहकारी खेती के खिलाफ हैं और पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप के मुआफिक हैं। यह किसानों की रक्षा, उनकी जिन्दगी और जीवन का सवाल है, उनकी रक्षा होनी चाहिये। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी हिम्मत करेंगे और खेती के जो नक्शे बन रहे हैं उनमें वह अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि हमारी किसान की नीति यह है और खेती की नीति यह है, अब खाद पानी की बातों में अधिक महत्व नहीं रह गया है।

*श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि आज के डिबेट में हिस्सा लिया है। कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिये गये हैं, उन सब का मैं यहां जिक्र न कर के केवल एक सुझाव के अलावा, अन्य सभी सुझावों पर अपने कर्मचारियों के साथ परामर्श करूंगा और देखूंगा कि किन-किन पर अमल हो सकता है। एक रचनात्मक सुझाव माननीय बी० पी० सिंह का है जिस का मैं जिक्र करना चाहता था। उन्होंने अभी फरमाया था कि इन्टेन्सिव काश्त ४–५ बीघा जमीन रखने वाले छोटे काश्तकार किस तरह से कर सकते हैं। इस का प्रयोग करनेके लिये या उस को सीखने के लिये एक स्कूल होना चाहिये और उन्होंने यह भी कहा कि उसके लिये मैं जमीन दिलाने को तैयार हूं। यह सुझाव वैसे तो अच्छा मालूम होता है और मैं इस संबंध मेंउन से भी और कर्मचारियों से भी बात करूंगा और अगर मुमकिन हुआ और जरूरत हुई तो मुझे इस सुझाव को अपनाने में कोई आपत्ति न होगी।

अब पेश्तर इसके कि मैं कोआपरेटिव फार्मिंग या प्राइस फिक्सेशन की बातों का जवाब दूं जो और बातें कही गई हैं उनका मुखतसरन जिक्र करना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ कि केन विभाग के संबंध में माननीय भगवान सहाय ने बहुत सी आपत्तियां की हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि केन विभाग का कोई मैनुअल नहीं है। वह ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है और उस की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है, वह जल्द बनकर तैयार हो जायगा। दूसरे उन्होंने यह कहा कि इस विभाग में बहुत सी पोस्ट्स अस्थायी हैं। यह बात भी ठीक है लेकिन इस संबंध में सरकार की नीति है कि जहां-जहां पर भी अस्थायी पोस्ट्स कृषि, सिंचाई या केन विभाग में हैं वे धीरे धीरे स्थायी बनाई जा रही हैं। मेरा खयाल है कि काफी आदमी केन विभाग में मुस्तकिल हो चुके हैं और जो आदमी नहीं हुये हैं वे आहिस्ता-आहिस्ता स्थायी किये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

तीसरी बात जो उन्होंने कही और जिस का जिक्र राजा साहब ने भी किया वह भ्रष्टाचार की बात थी। जो भी बात ऐसी है वह दो किस्म के आदमियों की तरफ से है, एक तो वह लोग हैं कि जो अस्थायी केन यूनियन के एम्पलाईज हैं; इसका संबंध तो केन यूनियन्स से है, गवर्नमेन्ट से उसका क्या वास्ता और उनके इम्प्लाईज से क्या मतलब ? उसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट पर नहीं है। अगर उसके इम्प्लाईज करते हैं तो उसके लिये वह केन यूनियन्स जिम्मेदार हैं और वह यूनियन जिस हलके में काम करती हो उस हलके के एम० एल० ए० की शायद कुछ जिम्मेदारी हो लेकिन गवर्नमेंट तो उसमें कहीं ठहरती नहीं है। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स उन यूनियन्स के, उन लोगों के आपस में झगड़े, मुकदमे बाजी, पालिटिक्स और १० हजार, ५ हजार रुपये जो एलेक्शंस पर खर्च करते हैं उन की वजह से भ्रष्टाचार है, तो गवर्नमेंट उसके लिये जिम्मेदार नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि फसल की फसल जला दी जाती है,। होते हैं कुछ रोग जिनमें फसल जलानी पड़ती है। कोई जानबूझकर जलाना नहीं चाहता लेकिन बहालत मजबूरी जलानी पड़ती है।

माननीय राजा साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट के जितने डेयरी फार्म्स हैं वे सब नुकसान से चल रहे हैं। मैं तो यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सारे नुकसान पर चल रहे हैं। मसलन् गवर्नमेंट ऐग्रीकल्चरल कालेज का डेयरी फार्म है १, २ साल पहले तक, इधर के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, मुनाफे पर चलता रहा है। लेकिन और जो डेयरी फार्म्स हैं वह अधिकतर नुकसान पर चल रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन उसका कारण यह है कि जानवर इकट्ठा करके जब डेयरी कायम की जायगी यानी जब डेयरी बतौर प्रोडक्शन सेन्टर के चलेगी तो उसमें नुकसान होगा और बतौर प्रोसेसिंग सेन्टर के चलाई जायेगी तो फायदा होगा। तो उसकी ओर सरकार का रवैया अब यह है कि वह बतौर प्रोडक्शन सेन्टर के न चलाकर प्रोसेसिंग सेन्टर के तौर पर चलाई जाय। इसमें होगा यह कि किसान अपने गाय भैंस रखें और दूध निकालें और गवर्नमेंट या कोआपरेटिव सोसाइटी इकट्ठा करे और उसके लिये प्रोसेसिंग सेन्टर अलग हो; तब डेयरी फायदे से चलती है। जहां हजार जानवर हों, दो सौ जानवर भी हों तो कितना ही ईमानदार, योग्य मैनेजर हो उनकी वैयक्तिक देखरेख नहीं कर सकता, वह एक क्या, २ या १० मैनेजर भी नहीं कर सकते। एक फेमिली के अन्दर जब गाय भैंस रहती है तो उसको घर का मेम्बर समझकर दिन रात लोग उस पर निगाह रखते हैं तब जाकर दूध बढ़ता है। वह डेयरी में नहीं हो सकता।

श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)—जरा इस प्रोसेसिंग सेन्टर और प्रोडक्शन सेन्टर वाली बात को माननीय मंत्री जी और स्पष्ट कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री चरणसिंह—२० मिनट में मुझे सारी बातें कहनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मंडियों में किसानों की नावाकफियत का दूकानदार बहुत फायदा उठाते हैं। तो हम अब विचार कर रहे हैं कि ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग बिल सदन के सामने लावें। दरअसल यह बिल एक प्राइवेट बिल के तौर पर पेश करने के लिये मैं सन् १९३८ में लाया था लेकिन आज तक वह स्टैटयूट बुक पर किन्हीं कारणों से नहीं रखा जा सका। अब मैं कोशिश यह करूंगा कि एक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग लेजिस्लेशन यहां हो जाय जैसा कि बहुत से प्रदेशों में है तो फिर दूकानदार जो किसानों की नावाकफियत का फायदा उठाता है वह नहीं उठा पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि क्राप इंश्योरेंस, अर्थात् खेती का बीमा, कर दिया जाय। आज जानवरों के बीमे का जिक्र नहीं आया लेकिन कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि कैटिल इंश्योरेंस कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जहां हमारी और बहुत-सी समस्यायें

हैं हमारी गरीबी की, स्वास्थ्य अच्छा न होने की, वहां सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की यह है कि हमने जितने विचार लिये हैं वह सब पश्चिम से ले लिये हैं, पश्चिम की किताबें पढ़ ली हैं। जितने यहां बैठते हैं जिन्होंने बी० ए० या एन्ट्रेन्स पास किया है उन्होंने वहां की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं और जिनकी हिन्दी भाषा है उन्होंने भी वही पढ़ा है और व्याख्यान उन्हीं लोगों के जरिये सुना है जिन्होंने अमरीका और अंग्रेज मुल्कों की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं। बस उसी में क्राप इंश्योरेंस का भी जिक्र है, अमरीका और योरप में वह है इसलिये आप अपने यहां भी वही चाहते हैं। पर अपने हालात को नहीं देखते कि यह सम्भव है कि नहीं। यहां के हालात में क्राप और कैटिल इंश्योरेंस हरगिज सम्भव नहीं है। बहुत छोटा, जाहिल और गरीब किसान से, क्राप इंश्योरेंस में नेचुरल कैलेमिटी से नुकसान हो गया, खुद आग लगा ली है, इन सब को पता लगाने के लिये कौन कम्पनी तैयार होगी। एल० आई० सी० से पता लगाया जाय वह क्राप इंश्योरेंस के लिये तैयार है। मैंने १९५६–५७ में कहा था जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से कहा यह स्कीम हरगिज चलने वाली नहीं है। लेकिन अखबार में निकला कि पंजाब में चल रही है। मैंने कहा पंजाब से मालूम कर लो। तो उन्होंने जवाब दिया हम विचार कर रहे हैं। लेकिन उनके यहां नाफिज नहीं की गई। चल नहीं सकती। यहां तो पढ़े-लिखे आदमी तरह-तरह के झूठे क्लेम फाइल करते हैं।

श्री उग्रसेन—प्लानिंग कमीशन क्या कहता है ?

श्री चरणसिंह—प्लानिंग कमीशन वालों ने भी उन्हीं किताबों को पढ़ा है, देवरिया वालों की लिखी हुई किताब को नहीं पढ़ा। हम सब का दोष है, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजी भाषा में किताबें पढ़ी हैं। आदमी कोई कितना ही विद्वान हो, हर एक की लिमिटेशन्स होती हैं, एनवायरनमेंट्स होते हैं, जिस जगह पर रहता है उस सराउन्डिंग के लिहाज से आदमी किताब लिखता है। हमारे यहां वे कंडीशन्स नहीं हो सकतीं। इसलिये बहुत बातें हमें भूलनी पड़ेंगी और क्राप इंश्योरेंस उनमें से एक हैं।

पेश्तर इसके कि मैं कोआपरेटिव फार्मिंग और मिनिमम प्राइस फिक्सेशन का जिक्र करूं, एक बात आम कही गई जिसका जवाब देना चाहता हूं। माननीय विजय पाल सिंह नहीं हैं, तथा अन्य सदस्यों की बातों में एक ध्वनि पाता हूं कि सरकार यह कर दे, सरकार वह कर दे। अब तक मकान कच्चे हैं जब कि देश को आजाद हुए १५ साल हो गये, सड़कें हर जगह नहीं, राज्य कर्मचारी अच्छा बरताव नहीं करते। ट्यूब वैल सब के यहां नहीं। मैंने कुएं की बात कही तो जवाब दे दिया कि सरकार को कुंओं की मरम्मत करानी चाहिये, नये कुंए बनवा दें क्योंकि तीन एकड़ का किसान गरीब है वह खुद नहीं बनवा सकता।

माननीय उपाध्याय जी ने यह कहा कि जैसे हरियाना में पास्चर्स हैं वैसी घास सरकार सारे सूबे में लगवा दे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब बातें जब सोचते हैं तो डाईमेंशन्स हमारी प्राबलम्ब की क्या हैं, जो समस्या हमारे सामने है वह कितनी बड़ी है उस पर कभी कोई विचार नहीं करता। कोई सुझाव दें तो वह चीज मुमकिन है इसके लिये कागज पर हिसाब जरूर लगा लें कि कितना रुपया चाहियेगा और यह रुपया कहां से आयेगा। अगर हिसाब लगा लें तो दिमाग में याद रखें कि १ करोड़ बे पढ़े गरीब हैं और जिनसे यह आशा नहीं है कि सब के सब ईमानदार होंगे उनसे डील करने के लिये उतनी ही ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो। ऐसा होगा तो डिक्टेटरशिप हो जायगी कि छोटे-छोटे किसानों के लिये हर बात के लिये राज कर्मचारी होगा तब डेमोक्रेटिक फ्रीडम खत्म हो जायगा और लोग गुलाम बन जायेंगे। लोगों में यह इच्छा पैदा करना चाहिये कि हम स्वयं अपना काम करें, अपने पैरों पर खड़े हों बजाय इसके कि यह भावना पैदा करें किसानों में कि सब काम सरकार करे। कोई आउटसाईड एजेंसी जरूर हो जैसे कोआपरेटिव सोसाईटी, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, बी० एल० डब्ल्यू, एम० एल० ए० या गवर्नमेंट उसे

[श्री चरणसिंह]

कर देगी। बजाय उसे बहरमुखी करने के अन्तरमुखी करना है। हो सकता है कि मेरे मित्रों की समझ में यह बात न आती हो लेकिन आज इस पहलू से इस सारे मसले पर विचार करना है। हर मामले पर हर अंग पर, हर पहलू पर हम जो विचार करें उसे सरकार कर दे, यह हो नहीं सकता। इसका नतीजा क्या होगा? जब नहीं होगा तो निराशा की भावना उनमें पैदा होगी। डिमारेलाइजेशन पैदा होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—आपका तो खुद ही अधिकार है १५ मिनट का समय बढ़ाने का।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की राय लेने में क्या हर्ज है? १५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है। लेकिन चौधरी साहब उसमें वोटिंग के लिये टाईम छोड़ेंगे। मुझे भी तीन बार घोषणायें करनी हैं।

श्री चरणसिंह—कोआपरेटिव फार्मिंग तथा मिनिमम एग्रिकल्चरल प्राइस फिक्सेशन के नारे लगाये जाते हैं जो कि सब पार्टियों को प्रिय हैं। हमारे उग्रसेन जी की पार्टी को बहुत प्रिय है। राजा साहब ने तो कहा ही है। स्वतंत्र पार्टी का यही कहना है। मेरे माननीय मित्र मुझे माफ करेंगे कि यह भी उन विचारों में से है जो कि उधार लिया गया है।

हम सब लोगों ने यह पढ़ा, आर्टिकिल्स में यह पढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने लड़ाई के जमाने में, दोनों लड़ाइयों के बीच में और दूसरी लड़ाई के दौरान में और अमेरिका की गवर्नमेन्ट ने भी किसानों को मदद पहुंचाने के लिये ताकि किसान खुद अन्न पैदा करें, मिनिमम एग्रिकल्चरल प्राइस फिक्स कर दी। मिनिमम एग्रिकल्चरल प्राइस फिक्स करने का मतलब यह हुआ कि बाजार में भाव १० रुपये है लेकिन गवर्नमेन्ट ने १२ रुपये मुकर्रर कर दिया ताकि किसान को नुक्सान न हो। तो गवर्नमेन्ट १२ रुपये पर खरीदती है उस सामान को जिसको कुछ दिन बाद वह १० रुपये पर बेचेगी। तो मिनिमम प्राइस फिक्स करने का मतलब यह हुआ कि दो रुपये फी मन हम किसान को सबसिडाइज कर रहे हैं। यह बात दूसरे मुल्कों में मुमकिन है लेकिन हर मुल्क में मुमकिन नहीं। ५४ में भी मैंने यह बात कही थी जब १० रुपये गेहूं के दाम तय किये किये थे, गुड़ के दाम तय किये गये थे। एक फसल के बाद वह स्कीम चली नहीं और वह माननीय मित्रों को याद होगा। इंग्लैंड के अन्दर किसानों की तादाद है ५ फी सदी, ९५ फीसदी लोग वहां दूसरे पेशे करते हैं। अमरीका में अब से १२ साल पहले किसानों की तादाद थी १३ फीसदी, अब शायद ११ फीसदी होगी। ८९ या ८८ फीसदी आदमी दूसरे पेशे करते हैं। तो किसानों को सब सीडाइज करना मुमकिन है इंग्लैंड और अमरीका में, ८८, ८९ या ९५ फीसदी लोगों की जेब से जो टैक्स आता है उसके जरिये। वहां किसान एक वर्ग है, जनता नहीं। ९०, ९५ फ़ी सदी लोगों से जो टैक्स आता है उससे ५ या १० फीसदी लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन यहां कंडीशन्स बिल्कुल उल्टी हैं। यहां ७५ फीसदी गवर्नमेन्ट को जो आमदनी होती है वह या तो सीधे किसानों पर टैक्स लगा कर होती है या वह टैक्स लगा कर होती है जो एक या दो कड़ी के बाद किसान के ऊपर जा कर लगता है। तो यहां मिनिमम ऐग्रीकल्चरल प्राइस फ़िक्सेशन का अर्थ यह हुआ कि किसान की जेब से किसान को सबसिडाइज करना। उससे क्या फ़ायदा होगा?

फिर उसके इम्प्लीकेशन्स को विचार करें, एक या दो साल तक अगर किसी चीज के दाम गिर गये। हमारी तरफ़ से आवाज उठती है कि इसका प्राइस फ़िक्सेशन हो। तो उसके लिये लाखों राज कर्मचारियों की जरूरत होगी। छोटे-छोटे किसान बाजार में थोड़ी-थोड़ी चीज लाते हैं और सब की चीज खरीदनी है। छोड़िये उस प्रोड्यूस की किस्म को कि जो उसमें

फ़र्क होगा उस को कौन तय करेगा, उसमें तमाम कम्प्लीकेशन्स होंगे। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि लाखों राज कर्मचारी होंगे, उनकी तनख्वाह कहां से आयेगी? और वह लाखों राज कर्मचारी हाइली पेड नहीं होंगे, उसमें करप्शन का अन्देशा होगा। दूसरी बात यह है कि वे टेम्पोरेरी होंगे। फिर उसमें और बहुत-सी बातें होंगी, उसके लिये ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम, उसको जमा करने के लिये गोदाम। फिर उसमें जो स्टोरेज में वेस्टेज होता है उसको जोड़िये। तो इस सब के कारण जो किसान को २ रुपया फ़ी मन फ़ायदा होगा उसके बदले उसे ४ रुपया फ़ी मन टैक्स पड़ेगा जो उसी की जेब से जायगा। ७५ फ़ी सदी होने की वजह से ४ के बजाय ३ ही रुपये मान लीजिये। इसलिये वह चीज मुमकिन हमारे यहां नहीं है। मासेज की इन्कम से क्लास को सबसीडाइज किया जा सकता है लेकिन मासेज की इन्कम से मासेज को सबसीडाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम यह तय करें कि वकीलों की आमदनी जिसकी ढाई सौ से कम हो उस की हम ढाई सौ पूरी कर दें तो यह हम कर सकते हैं क्योंकि वकील एक छोटा सा वर्ग है, बजट में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लेकिन आम तौर पर यह पालिसी हो कि मिनिमम ऐग्रीकल्चरल प्राइस फ़िक्सेशन हो जाय मुझे इसमें बहुत, बहुत कठिनाई लगती है। किसी एक पर्टीकुलर कमोडिटी की प्राइस फ़िक्स कर दें, जैसा कि हमने केन का कर रखा है, वह तो हो सकता है, लेकिन सारी ऐग्रीकल्चरल कमोडिटीज का मिनिमम प्राइस फ़िक्सेशन हो जाय वह नहीं हो सकता।

अब एक सवाल इसमें उठता है, जो राजा साहब ने उठाया था कि किसान मेहनत क्यों करे क्योंकि जब वह मेहनत कर के पैदावार बढ़ाता है तो भाव गिर जाता है। श्रीमन्, मैं आप को बताऊं कि एक फसल का नहीं बल्कि अगर कई साल तक किसान की पैदावार का भाव गिरा हुआ रहता है तो मोटी सी बात है कि किसान को खेती का पेशा छोड़ कर गैर-जराअती पेशे में जाना चाहिये। जिस तरह पानी हायर लेविल से लोअर लेविल की ओर जाता है उसी प्रकार लोअर इन्कम ग्रुप वालों को अपने पेशे को छोड़कर हायर इन्कम वाले पेशे में चला जाना चाहिये। हर दस साल के बाद देखने से पता चलता है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की तो उनमें यह हुआ कि खेती करने वाले लोगों की तादाद घटती चली गई और दूसरे पेशे वालों की तादाद बढ़ती चली गई। लोग अपने पेशे को छोड़कर दूसरे अच्छे पेशे में गये हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत है। लेकिन हमारे यहां नेसेसरी मेंटल एटीट्यूड यह है कि अगर किसी साल ज्यादा पैदा हो गया है तो दूसरे साल कम करना शुरू कर देंगे क्योंकि काम चल जाता है। अगर हमें अपने यहां इकोनामिक एडवांसमेंट करना है तो हमारे आदमियों को, हमारे किसानों को यह चाहिये कि हायर इनकम प्रोफेशन्स की तलाश में लोअर इनकम वाले प्रोफेशन को छोड़ दें। अगर यह नहीं करेंगे तो, श्रीमन्, कम्यूनिज्म का सवाल आता है जिसमें वह यह तय करते हैं कि किस गांव से कितने आदमी जायंगे और वे क्या काम करेंगे। यह होगा तभी इन्डस्ट्री बढ़ेगी। इसलिये या तो डैमोक्रेटिक वे हों या डिक्टेटोरियल वे हों। अगर खेती की पैदावार कम हो तो दूसरे पेशे में जाना चाहिये। इसलिये यह रूरल औक्सोडस कहलाता है और किसान रूरल सराउंडिंग्स को छोड़कर अरबन की ओर जा रहा है जो पहले अन्तर था वह नैरो डाउन हो रहा है और जहां जितनी किसानों की आमदनी है उतनी ही दूसरे पेशे वालों की है तो किसान खेती छोड़कर फैक्टरी में नहीं जाता है क्योंकि वहां भी उतनी ही आमदनी है। इसी लिये फैक्टरी का मजदूर फैक्टरी छोड़कर खेती की ओर नहीं जाता है। जब खेती की आमदनी कम है और दूसरे देशों में ज्यादा है तो एक ही रास्ता है कि वे खेती को छोड़ कर दूसरे पेशों में चले जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसी मित्र ने कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में जिक्र किया। नागपुर में यह तय हुआ कि यह हमारा नक्शा है, कांग्रेस का यह सिद्धान्त है यानी कांग्रेस की यह इच्छा है कि लोग मिल कर खेती करने लगें तो खेती की पैदावार बढ़ जायगी। लेकिन नागपुर में

[श्री चरणसिंह]

जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ था उससे गलतफहमी पैदा होती थी। इसीलिये बंगलौर के प्रस्ताव को देखिये उसमें साफ कर दिया गया है कि एक भी किसान को उसकी मर्जी के खिलाफ कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल नहीं किया जायगा। हमारा कहना यह है कि अगर मिल कर खेती करें तो बहुत अच्छा है। लोगों का खयाल है कि कामयाबी हो सकती है। लेकिन बात सही हो या गलत हो, व्यावहारिक हो या अव्यावहारिक हो, लेकिन किसान की जहनियत में कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिये। यह केवल समझने मात्र की बात है। अगर उसकी मर्जी मिल कर खेती करने की है तो हजार बार करे और अगर उसकी मर्जी नहीं है तो कोई उसको मजबूर नहीं कर रहा है। मैंने जो कहा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग डिजनरेट कर रही है वह कम्युनिस्ट कंट्रीज के लिये कहा है। जो देश डेमोक्रेटिक रहना चाहता है, वह किसान को हो नहीं, किसी को भी, उसकी इच्छा के विरुद्ध, खेती करने के लिये, या किसी खास ढंग से करने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। कांग्रेस इस वेडेड टु डेमाक्रेटिक वेज। हम कहते हैं कि शराब न पिओ लेकिन लोग पीते हैं। मजबूरी क्या है? इसी तरह से समझाना मात्र है। लेकिन उस का मतलब यह है कि जबरदस्ती किसान को कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए मजबूर करना चाहते हैं।

एक सदस्य--यह तो आप ने कांग्रेस के प्रस्ताव की बात बताई। आप ने जो किताब में लिखा है वह भी तो बताइये।

श्री चरणसिंह--मैं कांग्रेसमैन की हैसियत से, कांग्रेस मिनिस्टर की हैसियत से जवाब दे रहा हूं। यह बात तो बिलकुल साफ है।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मंत्री जी यह बता दें कि आप ने स्वतंत्र पार्टी के लिए जो बाइबिल लिख दिया है, उसमें यह विचार हैं?

श्री उपाध्यक्ष--इसके लिये आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। यह सब विवाद होने के बाद कुछ घोषणाएं करनी हैं। इसलिये समय कुछ थोड़ा सा बढ़ जाय तो अच्छा होगा। पांच मिनट और बढ़ जायं।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--पांच मिनट के लिये, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय बढ़ा दिया जाय, उसके अतिरिक्त जो आपने निर्धारित किया है।

श्री उग्रसेन--व्यवस्था का प्रश्न है। पांच बजे के पहले माननीय सदस्य को यह प्रस्ताव करना चाहिये था। पांच बजे के अन्दर वह नहीं किये तो अब सदन का समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष--१५ मिनट का समय बढ़ा दिया गया है उसके बीच में प्रस्ताव आ सकता है।

प्रश्न यह है कि सदन का टाइम बजाय १५ मिनट के, ५ बज कर २० मिनट तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। घंटी बन्द होने के उपरान्त प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया।)

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)--व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव सदन के सामने नहीं है, जिस पर आप सदन का मत ले रहे हैं। सदन के सामने प्रस्ताव यह है कि पांच मिनट बढ़ाया जाय। और आपने प्रस्ताव पेश किया कि १५ मिनट के बजाय २० मिनट बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---(अत्यधिक शोर के बीच)

(प्रश्न हाथ उठा कर निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१०१,

विपक्ष में---० ।)

(इस समय शोर के बीच विरोधी दलों के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २१ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने के उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस सदन का समय दस मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, किस नियम के अनुसार समय बढ़ाया जा रहा है ?

(शोर)

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१८ के अनुसार जब कोई व्यवस्था हो जाती है तो किसी सदस्य को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । आप घोषणा कर चुके हैं कि समय बढ़ाया गया । उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ।

कुंवर श्रीपाल---मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के आधार पर यह समय बढ़ाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह नियम के आधार पर ही समय बढ़ाया गया है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---यह किसके प्रस्ताव से सदन का समय बढ़ाया गया है यह तो बतला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१---कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३०,९२,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---मेरा निवेदन एक है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको आप सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जब आप किसी को सुनते ही नहीं हैं तो हम भी सदन से बाहर जाते हैं।

(माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २२ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,१५,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २३ के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३—पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,१३,९५,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,४०,३१,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न घोषणायें

श्री उपाध्यक्ष—अब मुझे कुछ घोषणायें करनी हैं। पहली घोषणा यह है कि लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों, मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में से प्रत्येक में १६–१६ सदस्यों, महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के ३ सदस्यों जिनमें एक महिला होगी, लाभपद विषयक संयुक्त समिति के लिये विधान सभा

के १० सदस्यों और राज्य स्वास्थ्य परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १७ मई, १९६२ को सांयकाल ५ बजे तक के लिये निर्धारित की गयी थी। नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य पार्टियों के नेताओं के अनुरोध पर नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २५ मई, १९६२ को सांयकाल ५ बजे तक बढ़ा दिया गया है' किन्तु निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो, २९ मई, १९६२ को ही विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

दूसरी घोषणा इस प्रकार है---१ मई, १९६२ से गन्ने का निम्नतम मूल्य घटाने के संबंध में भारत सरकार के आदेश के बारे में श्री गेंदासिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत दी गई सूचना को मैंने स्वीकार कर लिया है, और इस विषय पर विचार करने के लिये १८ मई, १९६२ को ५ बजे से ६ बजे तक समय निर्धारित किया है।

तीसरी सूचना इस प्रकार है---नेता सदन एवं नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने परामर्श करके यह निश्चय किया है कि अनुदान संख्या ३३, ३४, ३५ तथा ५० जो १७ मई, १९६२ को ली जाने वाली थी वह १८ मई, १९६२ को ली जायगी और अनुदान संख्या १९ और २० जो १८ मई, १९६२ के लिये निर्धारित थी वह १७ मई, १९६२ को ली जायगी।

अब हम उठते हैं और १७ मई को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर बृहस्पतिवार, १७ मई, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
११ मई, १९६२।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३० पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ के द्वितीय शुक्रवार के लिये निर्धारित सर्वश्री वेदराम, हरीशकुमार गंगवार तथा बसन्तसिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ से सम्बन्धित सूची

१—मुजफ्फरनगर
२—अलीगढ़
३—मथुरा
४—बुलन्दशहर
५—मुरादाबाद
६—मेरठ
७—आगरा
८—शाहजहांपुर
९—मैनपुरी
१०—बाराबंकी
११—सहारनपुर
१२—इटावा
१३—बिजनौर
१४—एटा
१५—जौनपुर
१६—पीलीभीत
१७—हरदोई
१८—गाजीपुर
१९—फतेहपुर
२०—प्रतापगढ़
२१—गोंडा
२२—बस्ती
२३—बदायूं
२४—जालौन
२५—झांसी
२६—कानपुर
२७—रामपुर
२८—फर्रुखाबाद
२९—लखीमपुर-खीरी
३०—बहराइच
३१—बरेली
३२—नैनीताल
३३—पौड़ी-गढ़वाल
३४—टेहरी-गढ़वाल
३५—अल्मोड़ा
३६—देहरादून
३७—चमोली
३८—गोरखपुर
३९—सीतापुर

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८१ एल० ए०—१९६२—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा